दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही

सत्र-11 दिल्ली विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिन अंक-82

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :-

12. श्री धर्मदेव सोलंकी

1.	श्री ए. दयानन्द चंदीला ए.	13.	श्री हरिशंकर गुप्ता
2.	श्री अनिल भारद्वाज	14.	डॉ. हर्ष वर्धन
3.	श्री अनिल झा	15.	श्री हरशरण सिंह बल्ली
4.	श्री अनिल कुमार	16.	श्री हसन अहमद
5.	श्री अरविन्दर सिंह	17.	प्रो. जगदीश मुखी
6.	श्री आसिफ मो. खान	18.	श्री जयभगवान अग्रवाल
7.	श्री बलराम तंवर	19.	श्री जय किशन
8.	श्रीमती बरखा सिंह	20.	श्री जसवंत सिंह राणा
9.	चौ. भरत सिंह	21.	श्री करण सिंह तंवर
10.	डॉ. बिजेन्द्र सिंह	22.	श्री कुलवंत राणा
11.	श्री देवेन्द्र यादव	23.	श्री मालाराम गंगवाल

24. श्री मंगत राम

उपस्थित सदस्यों की सूची

- 25. श्री मनोज कुमार
- 26. चौ. मतीन अहमद
- 27. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- 28. श्री मुकेश शर्मा
- 29. श्री नंद किशोर
- 30. डॉ. नरेन्द्र नाथ
- 31. श्री नरेश गौड़
- 32. श्री नसीब सिंह
- 33. श्री नीरज बैसोया
- 34. श्री ओ.पी. बब्बर
- 35. श्री प्रद्युम्न राजपूत
- 36. श्री प्रहलाद सिंह साहनी
- 37. चौ. प्रेम सिंह
- 38. श्री राजेश जैन
- 39. श्री राजेश लिलोठिया
- 40. श्री राम सिंह नेताजी
- 41. श्री रमेश बिधूड़ी

- 42. श्री रविन्द्र नाथ बंसल43. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता
- 44. श्री साहब सिंह चौहान
- 45. श्री सतप्रकाश राणा
- 46. श्री शोएब इकबाल
- 47. श्री श्रीकृष्ण
- 48. श्री श्याम लाल गर्ग
- 49. श्री सुभाष चौपड़ा
- 50. श्री सुभाष सचदेवा
- 51. श्री सुमेश
- 52. श्री सुनील कुमार
- 53. श्री सुरेन्द्र कुमार
- 54. श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल
- 55. चौ. सुरेन्द्र कुमार
- 56. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
- 57. श्री वीर सिंह धिंगान

दिल्ली विधान सभा							
की							
कार्यवाही							
	बुधवार, 05 सितम्बर, 2012/भाद्रपद 14, 1934 (शक)	अंक-82					

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

विविध

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न श्री सुनील वैद्य।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं आपका ध्यान विधान सभा की महत्वत्ता के बारे में दिलाना चाहता हूँ। विधान सभा आपके अंतर्गत आती है, इसकी किसी दीवार, किसी बोर्ड पर, जगह पर कोई बोर्ड लगाना, यह नाजायज है। हमने कई बार बोर्ड लगाए शीला जी का इस्तीफा मांगने पर हमें पकड़कर बंद कर दिया गया, परंतु आज यहां सारे बोर्ड लगे हुए हैं, चारों तरफ और यहां हमने ...अंतरबाधा। अध्यक्ष जी, निकाल दिया, इसी बात पर निकाल दिया, ...अंतरबाधा। अध्यक्ष जी, डिफेसमेंट कोई प्रोपर्टी लग सकता है या नहीं, आप इसकी रूलिंग दीजिए। यहां पर ये लगाया था कि शीला दीक्षित जी इस्तीफा दें, उनके भ्रष्टाचार के बारे में पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। नहीं उनको तो आपने निकाल दिया, उनको नेम कर दिया....अंतरबाधा। यह बात मैं स्पीकर साहब से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। क्या स्पीकर साहब ने परमिट किया है, कि वहां पर इसको लगाएं। अध्यक्ष जी, जब हम ये बोर्ड लेकर बाहर निकले तो पुलिस ने हमको दस बार गिरफ्तार किया, दस बार पकड़ कर जेल में डाला, परंतु यहां पर Defacement of public property ... अंतरबाधा। बोर्ड लगाया है उन्होंने गलत काम किया है, अगर उनसे परमिशन नहीं ली है तो यह फर्जीवाडा है। अगर परमिशन ली है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। सोनिया जी का नाम दिया है, शीला जी का नाम दिया है, उनसे परमिशन लेकर लगाए है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मामला बिल्कुल गलत है। मैं अपाकी रूलिंग चाहता हूं कि आप बताए विधानसभा में लग सकता है तो हम भी लगाए ...अंतरबाधा.....

4

डॉ जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, कानून तो सबके लिए एक है। हमने वहां उसी स्थान पर प्रदर्शन किया था तो हमें पकड़ कर जेल में ठूस दिया था। मुझे जेल में भेजा था, मेरे ऊपर केस किया था।... अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मलहोत्राः आप ये बताए कि लग सकते है, या नहीं लग सकते है? श्री कंवर करण सिंहः हाऊस के अंदर बैठे हुए थे, आपके रूल में लिखा है कि आप अंदर लेकर नहीं आ सकते अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: आप कार्यवाही मत कीजिए, कल से हम भी लगाएंगे। कल से विधानसभा का स्वरूप बदल जाएगा। it must be checked यह विधानसभा परिसर की गरिमा का सवाल है। नहीं तो कल से हम भी लगाएगे, चारो तरफ लगे होंगे फिर कैसे करेंगे आप ...अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इस बारे में बताएं कि पर्लियामेंट में लगता है, कहीं ओर लगता है। उनकी परमीश्न के बिना लगाए ... अंतरबाधा।

श्री रमाकांत गोस्वामी, परिवहन मंत्री: हाऊस में जो कुछ हो रहा है उसकी गरिमा का कोई ध्यान नहीं है। हाऊस चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, उसकी कोई गरिमा

विविध

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 5 भाद्रपद 14, 1934 (शक) का ध्यान नहीं है। पहले आप इनको रोकिए, आपकी व्यवस्था के बाद भी ये बोर्ड दिखाते रहे।... अंतरबाधा।

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्राः बोर्ड लगाते है, हम भी लगा देते है। हमें भी परमीशन दे दो, अंतरबाधा।

डॉ. जगदीश मुखी: कल से हम भी विधान सभा को पूरा भर देंगे, कल से भरेंगे, देखेंगे कि कौन हटाता है..... अंतरबाधा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने कहा था कि कोई जन्मदिन के बोर्ड भी न लगाए, बाकी भी न लगाए, डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी में सारे हटा देने चाहिए, सारी दिल्ली में बोर्ड लगा रखे है, हम भी लगा देंगे उसको ...अंतरबाधा।

श्री रमाकांत गोस्वामी: अध्यक्ष जी, दूसरों को उपदेश देते है।...अतंरबाधा।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए। देखिये, अपने यहां परिपाटी है कि अच्छी बात यदि कोई बच्चा भी कहे तो उसको मान लेना चाहिए। मल्होत्रा जी ने जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी उससे सहमत होगी। सदन के परिसर में यदि होर्डिंग्स न लगे तो अच्छा है। कोई भी पार्टी न लगाए और यदि किसी ने लगया है या लगाएगा तो सचिवालय देखेगा और उस पर कार्यवाही करेगा। सुनील जी प्रश्न प्रस्तुत करे। सवाल पूछिए, सुनील जी सवाल।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री सुनील वैद्य: अध्यक्ष जी प्रश्न सं. 21 प्रस्तुत है:

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 6 5 सितम्बर, 2012 क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा एस0 सी/ एसटी/ ओबीसी और अल्पसंख्यक को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है,
- (ख) यदि हां, तो उपरोक्त जातियों व धर्म के लोगों को विभाग कैसे कैसे व कितना कितना ऋण देता है, इसकी पूर्ण जानकारी दे, और
- (ग) अल्पसंख्यक वर्ग के लिए व्यक्तिगत लोन व व्यवसाय के लिए कैसे व कितना ऋण मिलता है, इसकी पूर्ण जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदयः लोक निर्माण मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां।

- (ख) 1. इस निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग सुमदाय के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।-एक लाख रूपए तक की कंपोजिट ऋण योजना।
 - 2. स्वयं व्यवसाय आरंभ करने हेतु पांच लाख रूपए तक की ऋण योजना।
 - 3. अधिकतम पाँच लाख रूपए तक की परिवहन ऋण योजना।
 - शैक्षिक ऋण योजना जिसके अंतर्गत देश में शिक्षा ग्रहण करने पर 7.5 लाख एवं विदेश में शिक्षा ग्रहण करने पर 15 लाख रूपए तक ऋण प्रदान किया जाता है।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 7 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

5. स्व-रोजगार हेतु 5 लाख रूपए तक की दिल्ली स्वरोजगार ऋण योजना।

 एटीडीसी एवं एनएसआईसी के माध्यम से जॉब ओरियन्टेड कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करना, योजनाओं की पात्रताएं संलग्न है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष महोदयः सुनील वैद्य।

श्री सुनील वैद्य: अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो बाते जाननी है जितनी जानकारियाँ मंत्री जी ने मुझे प्रश्न के उत्तर के माध्यम से दी है, मैं यह समझता हूँ कि उन सभी की जानकारी उन सभी वर्गों, जाति या धर्मों के लोगों को नहीं है जिनके लिए योजनाएँ बनाई गई है। मेरी पहली प्रार्थना मंत्री जी से यह है कि इनका प्रचार- प्रसार इन सभी अपेक्षित वर्गों में हो और दूसरा, पूर्वी दिल्ली जिले में कोई भी अपने इस डिपार्टमेंट की कोई शाखा नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी से बैठक करके यह प्रार्थना की थी कि त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र में मैं स्थान उपलब्ध करा दूंगा अगर इसकी एक शाखा त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में खुल जाए तो पूरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इन सभी अपोक्षित वर्गो को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ ये दो प्रश्नों का माननीय मंत्री जी उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि प्रचार की कमी, अध्यक्ष जी, हम अखबारो में विज्ञापन के द्वारा इसका प्रचार तो करते हैं लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की दिशा-निर्देश से हम लोगों ने जो पाँच लाख की एक दिल्ली की अपनी एक स्कीम जो लागू तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 8 5 सितम्बर, 2012 करने जा रहे है, बजट सेशन में मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी। हम लोग पूरे दिल्ली के अंदर इन सभी योजनाओं को लेकर और खास तौर पर यह जो लोन की योजनाएँ है, क्योकि अध्यक्ष जी, इसमे छोटी परिवारों के लिए जो छोटे रोजगार करने के लिए अवसर मिलता है तो हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर सितम्बर-अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कैम्प लगाये और एक विधान सभा के आस-पास की चार-पाँच सभाओं में हम अपने तौर पर भी करें और आपसे भी हम लोग उसमें मदद मागेंगे कि आप उसका भी प्रचार करें, वो सभी लोगों को उससे फायदा होगा और अखबार के माध्यम से भी करेंगे। और जहाँ तक आपने त्रिलोकपुरी का इसमें सवाल किया है तो त्रिलोकपुरी में आप कोई जगह उपलब्ध कर दे, वैसे नंद नगरी के अंदर ऑफिस है अगर आप कोई जगह उपलब्ध करा दे तो हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री सुनील वैद्यः माननीय अध्यक्ष जी, मैं त्रिलोकपुरी में जगह उपलब्ध करा दूंगा, माननीय मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदयः श्री रातावाल साहब। सुनील जी, एक से ज्यादा नहीं।

श्री एस.पी. रातावाल : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले चार वर्षों में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., माइनोरिटी के कितने विद्यार्थियों ने हायर एजुकेशन के लिए भारत में आवेदन किया और कितनो को मिला और कितने बच्चे विदेशों में पढ़ने गए, जिन्होंने आवेदन किया और पैसा दिया गया हो। दूसरा, जो रोजगार के लिए पाँच लाख की व्यवस्था है, उसके अंदर कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की विटनेस चाहिये, क्या-क्या उनको देना है, जिससे कि उनको सरल ढंग से यह पैसा मिल सके और काम कर सकें। यह जानकारी अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मै लेना चाहता हूँ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 9 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, जो माननीय रातावाल जी ने पुछा कि इसमें गारंटी क्या लेनी चाहिए जो डिपार्टमेंट इसमें गांरटी लेता है अध्यक्ष जी, इसमे जो ए कैटेगरी का, मान लीजिएगा कि तीन लाख तक लोन लेगा तो उसमें ए, बी कैटेगरी का ऑफिसर्स का एक हम लोग गांरटर लेंगे। अगर वो ग्रुप सी और डी का कोई गांरटर देता है तो उसमें हम दो उससे गांरटर लेते है और जो पाँच तक का है उसमें ए, बी के हम लोग दो गारंटर उसमे लेते है और जो लोन है अध्यक्ष जी, इसमें कुछ फिगर्स है चार-पाँच सालों में कहीं दो, कहीं चार, कहीं छह इस तरह से आए है लेकिन हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं हम लोग विधान सभाओं में जाकर इसका प्रचार करेंगे जिससे ज्यादा लोग इन सुविधाओं का लाभ ले सकों।

श्री एस.पी. रातावलः माननीय अध्यक्ष जी, मेरी यह है कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदायः बब्बर साहब।

श्री एस.पी. रातावलः एक सेकेंड अध्यक्ष जी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः रातावाल साहब, एक-एक। समय नहीं रहता है, क्वेश्चन्स बहुत है।

श्री एस. पी. रातावलः जवाब पूरा देने दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा अनुशसित हूँ मैं कभी फालतू बात नहीं करता। लेकिन यह ओबीसी, एसटी, अल्पख्यकों की वेल्फेयर की स्कीम है, इसलिए मैं इसको विस्तार से जानना चाहता हूँ पूरा सदन सुने कि जो दिक्कतें आ रही हैं लोन की जैसे कम्पोजिट लोन, जब एक गरीब अनुसूचिता जाति का व्यक्ति, उनको गजेट्रेड ऑफिसर कहाँ मिलेंगे, गवर्नमेंट सर्वेट कहाँ मिलेंगे? तो क्या ऐसा नहीं हो तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 10 5 सितम्बर, 2012 कि अगर उसका अपना मकान, उसकी प्रोपर्टी अपनी है, तो उसको गिरवी रखकर क्या उस पर लोन दे सकते है ताकि अधिक से आधिक इस वर्ग के लोगों को फायदा पहुँचे, सिर्फ कागजो पर बनकर यह योजना न रह जाये।

अध्यक्ष महदोय : मंत्री जी। देखिये, आगे से जो भी सप्लीमेंट्री पुछे, वे एक से ज्यादा न पुछे।

लोक निर्माण मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह माननीय सदस्य ने पुछा कि मकान के पेपर रखने पर क्या यह लोन मिल सकता है तिल्कुल मिल सकता है यह हम लोगों का निर्णय है कि मान लीजिए अगर किसी को गांरटर नहीं मिलता है तो वो अपने मकान के पेपर रखकर भी इस लोन की सुविधा को ग्रहण कर सकता है। लेकिन मै रातावाल जी से यह भी निवेदन करना चाहुँगा जिस तरह सुनील वैद्य जी ने पूछा हम लोग इसका पूरा प्रचार करेंगे। अध्यक्ष जी, पहले एक लाख रूपये का लोन लेने के लिए कोई आता ही नहीं था बहुत कम सौ दो सौ लोग वर्ष के अंदर आ पाते थे। यह पाँच लाख का जो हमने लोन इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी एक योजना शुरू की है उसका मकसद यही है कि आज एक लाख के अंदर छोटा रोजगार हो नहीं पाता तो हम लोगों ने पाँच लाख की है और दिल्ली सरकार ने यह इसमें किया है कि 100 करोड़ की एक किट्ठी हम लोगों को मिल रही है जिसमें 50 करोड़ रूपया इस वर्ष दिया जा रहा है इस डिपार्टमेंट को और 50 करोड़ रूपया ईयर में दिया जाएगा और इसका विज्ञापन के द्वारा हम बोर्डस वगैरह लगा कर अखबारों में भी देंगे और बाकायदा मै तो कह रहा हूँ आपकी विधान सभाओं में एक प्वांइट के ऊपर चार-चार, पाँच-पाँच जगह विधान सभाओं को इसमे शामिल करेंगे। हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया है, सितम्बर-अक्टूबर से हम लोग यह स्टार्ट कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 11 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अध्यक्ष महोदय: श्री बब्बर साहब।

श्री ओ. पी. बब्बर: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 में क्या यह सच है कि एक भी ऐसे व्यक्ति को ट्रोंसर्पोट पर लोन नहीं दिया गया और कारण क्या यह है कि वहाँ पर ऐसी कंडीशन रखी गई है उन कंडीशन को आम आदमी जो इस कैटेगरी से बिलौंग करते हैं वो इसको पूरा ही नहीं कर सकता। क्या इस कैटेगरी के लोगों को और सहूलियत देने के लिए इसमें कोई अमेंडमेंट करने की जो आपने कंडीशन लगाई है, कोई उम्मीद है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निमार्ण मंत्री: अध्यक्ष जी, जिस तरह कमर्शिल वैहिकल के ऊपर लोन की बात आपने पूछी है, बिल्कुल कठिनाई हो रही थी हमारा जो डिपार्टमेंट था हम गांरटर तो लेते थे साथ में उसके डिपार्टमेंट से एक एन.ओ.सी. भी हम लोग मांगने लग गए थे जिसकी वजह से कोई भी गांरटी भी दे और अपने डिपार्टमेंट से एन.ओ.सी. भी लेकर दे, इससे उन लोगों को तकलीफ हो रही थी। अध्यक्ष जी, हमने यह एन.ओ.सी. का सिस्टम खत्म कर दिया है और अब कमर्शियल वैहिकल के लिए बाकायदा लोगों को चिट्ठी दे देकर, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनको खत लिखकर हम लोग कर रहे हैं और उनके लोन सैंक्शन हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, डिपार्टमेंट ने यह भी निर्णय लिया है अभी जिस तरह से ट्रांसपोर्ट की तरफ से लगभग 45 हजार लोगों को थ्री व्हीलर के लिए लाइसेंस इशु किए जाएंगे, वो भी इस कैबिनेट निर्णय के अंदर हुआ है कि पाँच लाख तक का जो लोन हम लोग देंगे वो कमर्शियल वैहिकल के लिए भी उपलब्ध करायेंगे।

अध्यक्ष महोदयः श्री गंगवाल साहब। बब्बर साहब, मैंने पहले ही कह दिया है एक

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 12 5 सितम्बर, 2012 से ज्यादा नहीं। प्लीज, बैठ जाइये। बैठ बब्बर साहब। बाकी बात आप इनके चैम्बर में जाकर कर लीजियेगा। गंगवाल साहब।

श्री मालाराम गंगवाल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चहता हूँ कि जहाँ पर पुनर्वास बस्तियाँ हैं, पुनर्वास कालोनियाँ हैं, जहाँ पर अनअथोराइज कालेनियाँ हैं, वहाँ के लोगों को भी क्या यह पाँच रूपये का ऋण उनके कागजों के ऊपर जो जीपीए से है क्या उनको उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यस महोदयः मंत्री जी,

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, वैसे तो इसके अंदर जो गांरटी का दिया हुआ है वो गवर्नमेंट सार्विस क्लास से गांरटर लेकर हम लोग उसको उपलब्ध करवा सकते हैं लेकिन लोन के जो पेपर है वो फ्री होल्ड प्रोपर्टीज के ऊपर ही दिया जाता है जीपीए सिस्टम पर मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदयः गर्ग साहब।

श्री श्याम लाल गर्ग: अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहा जो एमाउंट है तीन लाख का और पाँच का, यह पता नहीं कब सैंक्शन किया होगा और आज कि टाइम पर यह तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, क्या सरकार विचार करेगी कि इस एमाउंट को बढा़कार इतना sufficient amount हो जाये जिससे वो अपना काम ठीक से चला सकें।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी कि यह पाँच

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 13 भाद्रपद 14, 1934 (शक) लाख वाली बात तो अभी पिछले बजट सेशन में डिक्लेयेर की गई है लेकिन हाँ भारत सरकार के तहत इसी डिपार्टमेंट एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी के तहत अगर कोई अपनी इंडस्ट्रीज के लिए लोन मांगता है तो उसकी अप्रूवल हम लोगों को भारत सराकर से लेनी होती है लेकिन वो उपलब्ध किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदयः तरविन्दर सिहं मारवाह जी

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमे कितना बजट रखा हुआ है?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी बताया कि इस लोन स्कीम के अर्न्तगत इस वर्ष हमारे पास 50 करोड़ रू. है और 50 करोड़ रू. अगले वर्ष सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट को मिलेगा और वैसे भी जो हमारा एससी/एसटी/ओबीसी डिपार्टमेंट है उसके पास आलरेडी फण्डस हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो एफ. डी. वगैरहा बाकी हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री: अध्यक्ष जी, मालाराम जी ने भी जो प्रश्न किया और इन्होंने जो प्रश्न किया ये रि-शैटलमेंट अनौथराइज कालोनी या पॉश कालोनी का सवाल नहीं है। अगर किसी को भी इस डिपार्टमेंट से लोन लेना है तो अध्यक्ष जी, जो शर्ते पूरी करेगा उसको लोन मिलेगा, यह सरकारी पैसा है। अब एक सदस्य तो हमारे ऐसे हैं कहते हैं कि बिना गांरटी के ही लोन बांटना शुरू कर दो। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट की शर्ते है वीर सिंह जी तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 14 5 सितम्बर, 2012 वह अगर पूरी कराते हैं तो उनको लोन मिलेगा, चाहे वे अनौथ्राइज में रहते हों चाहे रि-शेटलमेंट में रहते हों।

अध्यक्ष महोदयः अगला प्रश्न चौहान साहब।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 22 प्रस्तुत है-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) दिल्ली में कुल कितने व किन-किन श्रेणी के कार्ड हैं, जिन पर अभी तक स्टैम्प नहीं लगी और राशन नहीं दिया जाता है,
- (ख) प्रत्येक श्रेणी के राशन कार्ड पर कितनी खाद्य सामग्री व मिट्टी का तेल मिलता है,
 उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है,
- (ग) क्या यह सत्य है कि कुछ श्रेणी विशेष के कार्डों पर कनैक्शन, चूल्हा व अन्य सामग्री नि:शुल्क दी जा रही है,
- (घ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है, और
- (ड़) राशन के स्थान पर नकद राशि व अन्नय योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है?
 अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री-क. दिल्ली में कुल 1608487 ए.पी.एल. कार्ड हैं जिन पर मोहर नहीं लगी है और इन कोर्डों पर राशन नहीं दिया जा रहा है।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 15 भाद्रपद 14, 1934 (शक) (ख) ब्यौरा निमनिलिखित है-

कार्ड का प्रकार गेहूं			चावल		चीनी		मिट्टी का तेल	
	मात्रा (किग्रा)	दर⁄किग्रा	मात्रा (किग्रा)	दर/किग्रा	मात्रा (किग्रा)	दर/किग्रा	मात्रा (किग्रा)	दर⁄किग्रा
ए.पी.एल.(स्टैम्प्ड	5) 18	7.05	4	9.25				
बी.पी.एल.	24	4.80	10	6.30	6*	13.65	12.5	14.83
जे.आर.सी.	25	7.05	10	9.25			12.5	14.83
ए.ए.वाई	25	2.0	10	3.0	6*	13.50	12.5	14.83
आर.सी.आर.सी.	25	7.05	10	9.25				

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली सरकार की "केरोसिन मुक्त दिल्ली" योजना के तहत उन बी.पी.एल./ए. ए.वाई/जे.आर.सी. कार्डधारियों को जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सस्ती दर पर मिट्टी का तेल प्राप्त करते है, को एल.पी.जी. कनैक्शन दिया जा रहा है। जिसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पहली बार एल.पी.जी. से भरा सिलेंडर, दो बर्नर वाला गैस चुल्हा, रेगूलेटर व सुरक्षा पाईप मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। सरकार द्वारा योजना को लागू करने से कुल खर्च का अनुमान 108.66 करोड़ रूपए है।

(ड़) "दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम" के अर्न्तगत ऐसे कमजोर परिवार (जिन्हें कैबिनेट निर्णय संख्या 1921 दिनांक 13.8.2012 द्वारा परिभाषित और चिन्हित किया गया है) जो बी.पी.एल/अन्नपूर्णना/अन्योदय कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे हैं, उन परिवारों को रू. 600/- प्रतिमाह नकद खाद्य सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 16 5 सितम्बर, 2012 की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त सितम्बर माह (2012) के लिए बी.पी.एल./ए.ए.वाई. राशनकार्ड धारियों को 3 किलो प्रति कार्ड अतिरिक्त चीनी (त्यौहार के लिए) जारी की गई है।

अध्यक्ष महोदयः चौहान साहब।

श्री साहब सिंह चौहान - अध्यक्ष जी, मंत्री जी का जवाब पूरे सदन ने सुना है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, गरीबों की मसीहा, दिल्ली का उत्थान करने वाली यह सरकार 1608487 कार्ड ऐसे हैं जिन पर राशन नहीं मिलता। बी.पी.एल. नहीं रहे, जे.आर. सी.बन नहीं रहे, ए.ए.वाई कार्ड बनता नहीं, आर.सी.आर.सी. कार्ड बनता नहीं। जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको भी एपीएल कार्ड पकड़ा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 16 लाख से ऊपर जिनमें गरीब भी शामिल हैं उनको राशन क्यों नहीं दिया गया। दूसरे अध्यक्ष महोदय, जो केरोसीन मुक्त दिल्ली की बात आपने की है, जो कार्ड हैं जब वे बने आपने जेआरसी बने, कम्प्यूटर में पहले से फीड था, गैस है या नही, बाद में धक्के खाते रहे, बीपीएल कार्ड और गैस छपा हुआ था, गैस भर दिया गया, वे तेल नहीं लेते थे क्या उन लोगों को, बीपीएल या इन कटेगरी में आते हैं, गैस गलती से डिपार्टमेंट के कम्प्यूटर में छपे हुए होने के कारण, राशन कार्ड में गैस लिखा है, क्या वे केरोसीन मुक्त दिल्ली की इस योजना से लाभान्वित होंगे? और कमजोर परिवार जो आपने कहा, कमजोर परिवार की केबिनेट में पास परिभाषा क्या है, और 600रू. जो आप देंगे उस गरीब महिला को और भी बुजुर्ग महिला, यदि गरीब है और इस परिभाषा में आती है और परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो फिर क्या पैसा दूसरी महिला के नाम बैंक में भेजेंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय-मंत्री जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 17 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

ऊर्जा मंत्री-अध्यक्ष जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सवाल कौन सा है, इन्होंने एक सवाल में इतने सारे सवाल पूछे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि जवाब किस-किस का देना है। अध्यक्ष जी, कल भी मैंने इस बात को कहा था जब जगदीश मुखी जी को बड़ा दर्द सता रहा था लालटेन का और मिट्टी के तेल का। ये जो 16 लाख कार्ड हैं, यह स्कीम सरकार इसलिए लेकर आई थी कि पहले एपीएल कार्ड होल्डर्स को मात्र 6 किलो गेहूं मिला करता था उसमें जो भी मेजोरिटी लोग थे 6 किलो के लिए कोई राशन की दुकान पर नहीं जाता था। वह तमाम गेहूं बाहर डाइवर्जन हुआ करता था जिसका जिक्र हमारी सरकार ने कई बार बार किया है, इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया कि वह परिवार जिनकी आय एक लाख रूपये से कम है उन परिवारों को हम राशनकार्ड स्टैम्प करेंगे। जिसकी वजह से जितने पीडीएस वाले है जितने पीडीएस सिस्टम के एफपीएस होल्डर्स हैं वे सारे जो एक संगठित तरीके से काम कर रहे थे, वे ज्यादा परेशान हैं बल्कि 14 लाख लोग जिनको आज तकरीबन 18 किलो गेहूं ... व्यवधान

श्री साहब सिंह चौहान-अध्यक्ष जी, मंत्री जी कल कर रहे थे वह यहा होती है-तू इधर उधर की बात न कर, बडा सीधा जवाब है, 1608487 को जिसमें बीपीएल वाले भी है गरीब भी हैं राशनकार्ड है, लेकिन राशन नहीं है। क्यों नहीं दे सरकारी... व्यवधान

ऊर्जा मंत्री-आप जवाब तो सुनिए।

श्री साहब सिंह चौहान: यह आप जवाब दे रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। मिट्टी का तेल और लालटेन यह कहते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों बैठ जाइए, मंत्री जी बैठ जाइए। काफी लम्बा सवाल और काफी लम्बा जवाब। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 18 5 सितम्बर, 2012 अध्यक्ष महोदय: श्री धर्मदेव सोलंकी।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, सरकार की पॉलिसी बन रही है अन्नश्री योजना।

अध्यक्ष महोदयः हो गया हो गया।

श्री साहब सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने दीजिए न।..

अध्यक्ष महोदयः जवाब आप ही दे सकते हैं। आप इतना लम्बा सवाल करते हैं। धर्म देव सोलंकी जी।

श्री साहब सिंह चौहानः आप सरकार को शील्ड कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः सरकार भूल जाती हैं।

श्री साहब सिंह चौहानः आप सरकार को बचा रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

....व्यवधान....

अध्यक्ष महोदयः इतने लम्बे सवाल में सरकार भी भूल जाती है। सोलंकी जी।

श्री साहब सिंह चौहान-अध्यक्ष महोदय, जो मुल प्रश्नकर्ता है, आप उसकी सप्लीमैन्टरी भी एलाउ नहीं कर रहें हैं। मिनस्टिर जवाब नहीं देंगे?

...व्यवधान...

अध्यक्ष महोदयः चौहान साहब, मैंने सप्लीमैंन्टरी भी कर दिया। मिनिस्टर साहब ने भी जवाब दे दिया। अब आप दोनों ही नहीं रहेंगे, यहां पटल पर और भी हैं। मिनिस्टर साहब तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 19 भाद्रपद 14, 1934 (शक) भी लम्बा जवाब दे रहे हैं। आप भी लम्बा पूछ रहे हैं। सोलंकी जी। बोलिए आपका क्या प्रश्न है।

...व्यवधान...

श्री साहब सिंह चौहान: जवाब नहीं दे रहे हैं कमाल हो गया। मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः सोलंकी जी, आप पूछ रहे हैं या अगला प्रश्न बोल दूं?

श्री धर्मदेव सोलंकी: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका जवाब आना चाहिए। दूसरा हमारे मंत्री जी ने आपके सामने स्वीकार किया है कि इस तरह राशन कार्डों पर जो बाजार में तेल बेचा जाता था। राशन भी, गेहूं भी, चीनी भी। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2-4-5 वर्षों में 10 वर्षों में या 14 वर्षों से जब से भी इनको जानकारी है, क्या कुछ लोगों को पकड़ा गया। आम धारणा दिल्ली में ये थी कि सिर्फ बाजार में जाता है, सब लोग पैसा देते हैं, ..ऊपर से नीचे तक पैसा जाता है। क्या ऐसे लोगों को कोई सजा दी गयी, क्या कोई जेल में रहा? आज तक कोई जेल में है या सब छोड़ दिये?

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी। सोलंकी साहब का जवाब दीजिए।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महदोय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये काम लगातार विभाग करता है और इन्फोर्समैन्ट और विजिलेन्स डिपार्टमैन्ट...

श्री साहब सिंह चौहानः ... व्यवधान..

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 20 5 सितम्बर, 2012 अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप जवाब दीजिए।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, कार्यवाई लगातार होती रहती है और ऐसी दुकानों को सस्पैण्ड किया जाता है, और कैन्सिल किया जाता है। अब ये संख्या इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री नरेश गौडुः ... व्यवधान..

ऊर्जा मंत्री: नरेश जी मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ। 5 साल उधर बैठने की वजह से ये सब हालत हो गयी है आपकी।

...व्यवधान..

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप बैठिए। मैडम बोलना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री : सर, सारे मामले को कन्फ्यूज किया जा रहा है। ये आपको भी विदित है और हमे भी सभी को विदित है कि राशन कार्ड में पीडीएस जो है एक फेल्योर है। पीडीएस का जितना माल आता है, चाहे वह करेरेसीन के रूप में हो, चाहे वह अन्न के रूप में हो, वह सब डायवर्ट हो जाता था।... सुन तो लीजिए जरा। कैप हुआ है। केन्द्र की सरकार ने 4 लाख परिवारों को कैप किया कि वे बीपीएल माने जायेंगे, इसके अलावा और. .. इसीलिए हमने सोचा क्योंकि दिल्ली की आबादी बढ़ती है हर साल 5 लाख लोग आते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए अन्ना श्री को लाया गया, वो हम खर्च कर रहे हैं। वो कैश ट्रांसफर हम हर परिवार को दे रहे हैं और उसमे महिला का मतलब ये है कि जो सीनियर मोस्ट होगी। ये नहीं कि बुजुर्ग ही होगी या बडी ही होगी। हो सकता है कि बहू हो।...एक मिनट आप सुन तो लजिए। सुनना आप चाहते नहीं हैं। तो वो ये था इसमें से ये किया गया। और ये 600 रू. सब स्टडी के बाद किए गए हैं। हमने कैश ट्रांसफर तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 21 भाद्रपद 14, 1934 (शक) जो मौजूदा बीपीएल फेमिलीज हैं, उनको कैश ट्रांसफर 1 हजार रू. पर मंथ में कोई दो-सौ तीन सौ परिवारों को किए। उसकी जो स्टडी निकली। ..सुन लीजिएगा। We have no accpeted it or rejected it. But telling you at study giving you some knowledge that one thousand rupees given to the family सर उसका फीड बैक हमें ये मिला, कि उन महिलाओं ने कहा कि हमें एक हजार रू0 मिलने से बहुत ख़ुशी हुई है। क्योंकि जब हम राशन की दुकान में जाते थे तो हमें भेज दिया जाता था कि राशन आया नहीं है या कोई भी अहाना, दुसरा जो सबसे बडा लाभ उनका हुआ कहीं वे अपने बच्चों को अंडे या दुध भी दे पा रहे हैं उस एक हजार रू. में। दूसरा कभी कभी उनके घर में दवाई भी खरीद लेती है। उसे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गयी। ये हमने केन्द्र सरकार से भी लिया हुआ है और हमें ये आशा है कि जिस तरह से ये स्टडी हुई.. और जगह भी होनी चाहिए। जिसमें ये जो पीडीएस की बातें आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हम रास्ता कुछ खोज रहे हैं कि किस तरह से हम लोगो को जो बेसिक अन्न है, वो मिल जाये। और यही कारण रहा कि हमने अन्नश्री शुरू किया। वो हम अपने पैसे से कर रहे हैं। किसी से मांग कर नहीं रहे हैं। हम उस महिला को दे देंगे अब वह 600 रू. में अपना अन्न खरीदे या वह 600 रू. में दवाई खरीदे या फल खरीदे। यह उसके ऊपर है तो this is the support system towards food security. This is the first step. We don't think it is the last step and also don't think that it has been implemented. it will take some time..

...व्यवधान..

मुख्यमंत्री: डिसीजन आफँ दि कैबिनेट के बाद ही ये चीजें की गयी हैं। आप अपनी लिस्ट दे दीजिएगा मंत्री महोदय को, आपको संतुष्ट कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदयः मल्होत्रा साहब।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 22 5 सितम्बर, 2012

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, इससे और निराशाजनक उत्तर संभव ही नहीं था। सीधा सवाल ये पूछा है कि 16 लाख परिवारों को राशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीएस फेल हो गयी। अगर पीडीएस फेल हो गयी। 14 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर पीडीएस फेल हो गयी तो who is responsible? और 16 लाख परिवारों को आप कह रहे हैं कि food for all 16 लाख परिवारों को क्या आप देंगे 1 हजार रू. में। न उनको एक हजार रू0 दे रहे हैं, न 16 लाख को राशन दे रहे हैं। केवल 3-400 लोगों को आपने एक हजार रू0 दे दिये। तो 16 लाख आदमी कहाँ गये। 16 लाख आदमी जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है..

Chief Minister please do not be confused. I think you should go in for some memory pills.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः उसको राशन नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा निन्दनीय बात क्या हो सकती है? यह अकेली बात की इस सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा जाती है कि 16 लाख परिवार मतलब 80 लाख आदमियों को राशन नहीं मिल रहा हैं। food for all की बात की जा रही है। ये तो बहुत ही गलत यहां पर किया गया है।

अध्यक्ष महोदयः डॉ. मुखी साहब।

...व्यवधान....

डॉ जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत संगीन है, मैं इसके एक छोटे ऐ हिस्से के बारे में माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूँ आज ये लिखित रिप्लाई दी है कि 1 अप्रैल, 2008 से 31 अगस्त, 2012 तक 525406 एपीएल कार्ड जारी किए गए है। और साथ में लिखा है कि किसी को आज तक एक कतरा गेहूं हमने जारी नहीं किया है। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 23 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उन्हें राशन देने की स्थिति में नहीं हैं वो एक राशन कार्ड बनाने के लिए व्यक्ति तीन महीने खराब करता है। उसके पश्चात जब वह राशन लेने जाता है, कहा जाता है कि आपके स्टैम्प नहीं लगी। 1 अप्रैल, 2008 से आज तक जितने भी राशन कार्ड जारी किए गए हैं, किसी को आज तक राशन की कोई भी वस्तु नहीं दी गयी है। यदि ऐसा था, आप देने की स्थिति में नहीं हैं। आज उनको राशन कार्ड क्यों जारी किए गए, मैं यह जानना चाहता हूँ और अब मेरा सवाल यह है कि इनको किस दिन से आप राशन देना शुरू कर देंगे।

ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, तकरीबन 14 लाख परिवारों को ये जो 18 किलो गेंहूं आप सुन लिजिए मुखी जी, आप बैठिए। 14 लाख परिवारो को 18 किलो गेहूं और 6 किलो चावल उनको मिल रहा है, जिनको मात्र 6-7 किलो गेहूं मिला करता था। और ये स्कीम जो हम लेकर आये थे। जो अभी मुखी जी ने कहा कि..

डॉ जगदीश मुखी: फिर आप कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने ... मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। He is deviating from the point. My point is altogether different. My point is

ऊर्जा मंत्री : Mukhiji, why do you lose patience so far?

डॉ जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो जाना चाहें जाने दें। यह नहीं होता। जो सवाल पूछा है वे उसका जवाब दें। आपको बहुत जानकारी है। आप हमारे आँनरेबल मिनिस्टर हैं। आपके पास सारी जानकारी हैं। मैं जो जानकारी चाह रहा हूँ।

ऊर्जा एवं खाद्य एवं संभरण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको जानकारी दे रहा हूँ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 24 5 सितम्बर, 2012 **डॉ जगदीश मुखी:** अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस मंच के माध्यम से जो जानकारी चाह रहा हूँ मुझे वो जानकारी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः वे उसी पर आ रहे हैं।

ऊर्जा एवं खाद्य एवं संभरण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब स्टाम्पिंग का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसको तीन महीने लगातार बढ़ाया गया कि जिनकी आय एक लाख रूपय से कम है, वो अपने कार्ड पर स्टाम्प लगवा लें। उसके बाद कुछ राशन के दुकानदारों ने जो गेहूं का डायर्वजन किया करते थे। उनहोंने प्रैशर डालकर लोगों को यह उकसाया कि तुम को तो राशन नहीं मिलेंगा क्योंकि जब वो eligible नहीं था। वे 2008 से 2012 की बात कर रहे हैं। यह उससे पहले का नहीं है। उसके बाद हम ने किसी कार्ड के ऊपर स्टाम्प नहीं लगाई और जो मुखी जी कहते हैं। मैं उस बात को मान रहा हूँ मुखी जी मेरी बात को सुन लिजिए। मुझे यह पता है कि 15 वर्ष का समय बहुत लम्बा अर्सा होता है। और आदमी पर बड़ा प्रैशर रहता है कि कब तक यहाँ पर बैठेगे। लेकिन थोड़ी बर्दाशत रखिए। यह दिल्ली कि लोग तय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब कोई राशन कार्ड बनवाने के लिए आता है। यह उसका अधिकार हैं। उसको यह मालूम है कि इसके ऊपर न तो स्टाँम्प लगेगी और न राशन मिलेगा। उसके बावजूद दिल्ली में ऐसे लोगों की बडी संख्या हैं।

डॉ जगदीश मुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं एफिडेविड दे रहा हूँ तो मुझे राँशन क्यों नहीं मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्टाम्प क्यों नहीं लगेगी। आपकी एक लाख रूपए आय को सीमा है वो एफिडेविड दे रहा है कि मेरी इनकम एक लाख रूपए है। आप उसका स्टाँम्प क्यों नहीं करेंगे क्योंकि चार साल के अंदर एक भी राशन कार्ड, जो रिप्लाई दिया है। यह 2008 से पहले की रिप्लाई है। मैं तो स्पेसिफिक जो आपने राशन कार्ड जारी किए हैं। जिन लोगों की एक लाख रूपए से कम इनकम है। उनको राशन क्यों नहीं दे रहे। वे इसका जवाब दें। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 25 भाद्रपद 14, 1934 (शक) ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय उनको यह मालूम है कि इसके ऊपर राशन नहीं मिलेगा।

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, आपको केन्द्र सरकार दे रही है। आप उनको नहीं दे रहे हैं। क्या घाल माल है, मैं यह जानना चाहता हूँ आपको वहाँ से इनके नाम से राशन मिलता है और आप इनको देते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या घाल माल है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रविन्द्र बंसल जी।

डॉ जगदीश मुखी: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है। Sir, I need your protection या तो वे यह कहें कि यह स्पेसिफिक क्वश्चन नहीं है। आज की डेट का इनका रिप्लाई है। मेरा नहीं है। मैं उसी को पढ़कर बोल रहा हूँ मुझे इस बात को बताइए। मुझे यह जवाब चाहिए इन सब का इनको राशन मिलता है। उन्हें केन्द्र सरकार देती है। आप उन व्याक्तियों तक पहुँचा नहीं सकते है। इसका मतलब यह नाकारा सरकार है। आपने उन्हें राशन कार्ड क्यों जारी किए हैं। वो यह एफिडेविड दे रहे हैं कि मेरी इनकम एक लाख रूपए से कम है, आप उनको पिछले चार साल से स्टाम्पिंग क्यों नहीं कर रहे। हमें इसका जवाब चाहिए। यह अजीब बात है। वे इधर-उधर की बात कर रहे हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब ही दिया है।

.....अतंरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब बैठ जाइए।

डॉ जगदीशमुखी : Sir, I need your protection.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अपने आँफिस से इनक्वारी करके मुखी साहब को जो कुछ वे चाहते हैं, उसका पूरा जवाब दे दीजिए। रविन्द्र बंसल जी। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 26 5 सितम्बर, 2012 अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब मैंने आपका नाम नहीं लिया है, जो ये बोल रहे हैं उसे वो सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए। बंसल साहब।

श्री रविन्द्र नाथ बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अप्रैल, 2008 के बाद क्या कोई राशन कार्ड स्टाम्प किया गया है। क्या सरकार की यह योजना है कि भविष्य के अंदर भी कोई राशन कार्ड स्टाम्प नहीं किया जायेगा। क्या सरकार इस पी.डी.एस स्कीम को Scrap करना चाहती है। इस बारे में सरकार की क्या योजना है। मंत्री जी बतायें।

ऊर्जा एवं खाद्य एवं संभरण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा कि नए कार्डो के ऊपर स्टाम्प नहीं किया जायेगा।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए। जब तक जवाब पूरा न आ जाए।आप बीच में मत बोलिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको जवाब मिल जायेगा। मंत्री जी।

ऊर्जा एवं खाद्य एवं संभरण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है। इसके पीछे यह मंशा थी कि जो diversion भ्रष्टाचार इस विभाग में है। वो पी.डी.एस. सिस्टम में है। केरोसिन को खत्म किया गया। हम ने उन गरीबों का ख्याल रखते हुए किया, जिनको केरोसिन मिलता ही नहीं था और आज अगर उनके बारे में कहता है तो मैं यह समझताा हूँ कि जो लोग पी.डी.एस का दुरूपयोग कर रहे थे। वो उसकी सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है।

श्री रविन्द्र नाथ बंसल : अध्यक्ष जी, हम सवाल का जवाब चाह रहे हैं। मंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। वे सीधा-सीधा बतायें कि हम नहीं कर रहे। यदि वे नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। सरकार की योजना क्या है। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 27 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अध्यक्ष महोदय : डॉ हर्ष वर्धन जी।

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि कल से इस संदर्भ में जो भी Statements आ रही है। भाषण हो रहे हैं, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की तरफ से यह स्वीकार किया जा रहा है कि इस विभाग में काफी भ्रष्टाचार इत्यादि है। आज भी सारी बातें हुई है। उसमें भी ये सारी बातें आ रही है। बहुत सारे जो प्रश्न उनके कोई जवाब सरकार देने में सक्षम नहीं दिख रही है। हमें ख्याल है कि बहुत से पिछले वर्षों में अंग्रेजी के प्रमुख अखबारों में और हिन्दी के प्रमुख अखबारों में इस फुड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बड़े-बड़े लेख और बहुत बड़ी खबरें छपती रही हैं। कई कई लाख नकली.....।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछ लीजिए। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर आऊँगा। मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूँ मैं तो मंत्री जी से बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आप ही से रिक्वैस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यह इतना संवेदनशील विषय है। पिछले समय में, में उनको रिक्वैस्ट कर रहा हूँ यह मेरा राइट है कि मैं स्पीकर साहब सक रिक्वैस्ट कर सकता हूँ।

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे सवाल पूछ ही नहीं रहा।

.....अंतरबाधाएँ.....

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हाऊस के कुछ नियम हैं या नहीं।

.....अंतरबाधाएँ.....

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 28 5 सितम्बर, 2012 डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर साहब ऐसा करिए। इस तरह से ऑर्डर मत दिया कीजियेगा। आप सवाल पूछ लीजिए।

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूँ मैं उनसे नहीं पूछ रहा। मैं तो आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि पिछले सालों में अखबारों में ये खबरे आती रही हैं।

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं भी यह स्मरण होगा कि इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के बारे में डायरियाँ मिली थी।

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर साहब आप लम्बा कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लीजिए।

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियो के बारे में, अधिकारियों के बारे में यह अखबारों में आता रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछे, वे जवाब देंगे।

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनके इस विभाग में भ्रष्टाचार है। मेरी सर आपसे यह रिक्वैस्ट है कि आप आदेश करें कि ये जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं। उसके बारे में.............।

.....अंतरबाधाएँ.....

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 29 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, हमारी यह रिक्वैस्ट है कि वे अपने इस डिपार्टमेंट में ऊपर एक White Paper Publish करें। सर वह यह बतायें कि पिछले सालों में कौन कौन लोग इनवॉल्व रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर साहब आप सवाल नहीं पूछ रहे है। इसलिए मैं अगला क्वश्चन ले रहा हूँ श्री मनोज कुमार, प्रश्न संख्या-23.

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, आप इतने संवेदनशील विषय ignore कर रहे हैं। Protection लेना, यह हमारा राइट है। यदि सरकार कुछ नहीं कर रही तो हम आपसे प्रोटैकशन माँग रहे है। In the large public interest माँग रहे हैं। हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं, आप यह बताइए। मंत्री जी उत्तर नहीं दे रहे हैं। इतना पुराना है इतिहास है। वहाँ के मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार कर रही हैं। मैं पिछले सालों की अखबारों की रिपोर्ट से इसका उल्लेख कर रहा हूँ। उसमे मंत्रियों के नाम डायरियों के अंदर आये हैं।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय : डॉक्टर साहब आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं ले रहा हूँ। मनोज कुमार जी।

डॉ हर्षवर्धन : अध्यक्ष महोदय, आप इनते संवेदनशील विषय को इग्नोर करना चाहते हैं। हमें तो यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसमें जहाँ लाखों लोगों का interest है। आप इसको इतना Causally ले रहे हैं। सर हमें आन्नद नहीं आया। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 30 5 सितम्बर, 2012 **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** अध्यक्ष महोदय, वे यह तो बता दें कि राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इसका जवाब तो दिला दें। आप इतना ही बता दें कि उन 16 लाख लोगों को कब राशन मिलेगा।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय : सब से पहले सचदेवा साहब ने उठाया था। लेकिन गाड़ी इतनी आगे चली गई वो वापिस नहीं आ पा रही है। मनोज कुमार जी।

(23) श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रश्न संख्या 23 प्रस्तुत है।

- (क) क्या यह सत्य है कि किसी महिला ने यदि विवाह न किया हो और वह पूर्णत: अपने पिता के परिवार पर ही आश्रित हो, परन्तु वृद्धावस्था पेंशन की श्रेणी में न आती हो तो उसे किसी भी प्रकार की पेंशन/सहायता नहीं मिल सकती,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि यदि किसी महिला को उसके पति द्वारा बिना कानूनी तलाक दिए छोड़ दिया गया हो अथवा आपसी रजामंदी अथवा पारिवारिक पंचायत के सामने साधारण पेपर पर लिखा पढ़ी करके छोड़कर चला गया है ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की पेंशन/सहायता नहीं मिल सकती, और:
- (ग) यदि हाँ, तो ऐसा नियम क्या है तथा यदि इन मामलों में भी पेंशन/सहायता का प्रावधान है तो स्पष्ट करें और नियम की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएँ?

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर प्रस्तुत है।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 31 भाद्रपद 14, 1934 (शक) (क) जी हाँ। पेंशन सहायता नहीं मिल सकती।

- (ख) नियमावली संलग्न है। नियम 5 सीके अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मान्य हैं।
 1. तलाक की डिग्री, 2. पुलिस रिपोर्ट 3. पारिवारिक सलाह केन्द्र में दर्ज शिकायत,
 4. राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायत, 5. महिला पंचायत में दर्ज शिकायत।
- (ग) नियमावली की प्रति संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न 'ख' था। अभी तक पिछले एक साल के अंदर कितनी ऐसी महिलाओं को सहायता दी गई है। क्या उसकी जानकारी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी दिल्ली का लेकर आई हूँ। मैं प्रश्न का उत्तर बता देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी यह पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली का बताना चाहो तो दिल्ली का बता दो, यदि आप मेरी विधान सभा का बताना चाहो तो बता दें। आपके पास जो सूचना उपलब्ध है वो बता दें।

अध्यक्ष महोदय : समाज कल्याण मंत्री जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 32 5 सितम्बर, 2012 समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो टोटल है, एक लाख 10411 टोटल फॉर्म रिसीट है और sanctioned हैं।

अध्यक्ष महोदय : किरण जी यदि लम्बी लिस्ट है तो टेबल कर दीजिए। समाज कल्याण मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं टोटल बता रही हूँ 95208 और रिजैक्टिड 1341 हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में एक भी केस पेन्डिंग नहीं है और मई, जून, जुलाई का जो था, जुलाई अगस्त, सितम्बर में टोटल केसिस हो गए हैं। हमारे पास जो सितम्बर में केसिसि आये हैं वो 15 सितम्बर, 2013 तक सब के बैंक में चले जायेंगें।

अध्यक्ष महोदय : सचदेवा जी।

श्री सुभाष सचदेवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे शादीशुदा पति उसको छोड़कर चला जाए तो उन्होंने बताया कि इन इन जगहों पर रिपोर्ट कराने के सात साल के बाद उनको पेंशन दी जा सकती है। इसमें दो तरह की हमारी और बहनें हैं जो दिक्कत में रहती हैं। एक तो जिनकी शादी हुई ही नहीं। उनके बारे में परिवार में लोग आते हैं और दूसरा वो लोग किसी वजह से रिपोर्ट नहीं करा पाए। वो लोग दिक्कत में है। उनके लिए सरकार क्या कोई अगर समाज के लोग या परिवार के लोग लिखकर दे कि तलाक हो चुका है या पति छोड़कर जा चुका है या उसकी शादी नहीं हुई और उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत परिवार हैं। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, इनका जो पहला प्रश्न है। उसने

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 33 भाद्रपद 14, 1934 (शक) इतना पेचीदा बना दिया है कि अगर उसने कहीं पर रिपोर्ट दर्ज की है तो उसको हम मान रहे है। मगर दूसरी स्थिति में जहाँ उसका विवाह नहीं हुआ है उसके बारे में सोचा भी है। हम यह सोचते हैं कि इस चीज का दुरूपयोग न हो क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो विवाहित नहीं है और सिर्फ विवाहित न होना अपने आप में यह साबित करेगा या नहीं करेगा। उसके बारे में जरूर सोचा जा सकता है, क्योंकि वो भी हो सकता है कि इस तरह की श्रेणी में आ सकती है तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप की स्थिति देखना जिनके पास वो रह रही है और उसकी आर्थिक स्थिति देखना।

श्री सुभाष सचदेवा : पहले तो आप यह विचार करें कि ऐसा केस किया जा सकता है, उसकी इकोनॉमीकली कंडीशन तो हम पहले भी देखते हैं, पहले तो उसकी उम्र आप कितनी रखेंगे, जिसकी 40 साल तक या 45 साल या पचास तक नहीं हुई। हम 50 साल मान करके चलते हैं। उसके बाद तो हिंदुस्तान में वैसे ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे बहुत से परिवार आते हैं, मैं एक इंसानियत के नाते यह बात उठा रहा हूं। जब ऐसी बात हमारे पास आती है। तो हम उनको जवाब दे पाते, तो बडा मुश्किल होता है, जब हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं तो ऐसी एक योजना कि पचास वर्ष हो, हमें एक उम्र रख देते हैं, उनके लिए।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : आदरणीय सचदेवा जी ने जो बात कहीं है, इस तरह के बहुत से केस एमएलएज डिस्कस कर रहे है तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस इश्यू को कैबिनेट में लेकर के जाना ही होगा। मगर उसकी उम्र का दायरा जरूर सोच लें, जैसा आपने कहा कि 45 साल के आस पास। क्योंकि हम यह भी करेज नहीं करना चाहते कि कोई औरत काम न करे और उसको काम करने की डिजायर न हो, तो उसको भी रोकते हुए, मगर जायज केसों को करते हुए शायद 45 साल की उम्र को सोचा जा सकता है। इस पर विचार किया जायेगा। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 34 5 सितम्बर, 2012 श्री जय भगवान अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानकारी चाहूँगा कि ऐसा व्यक्ति जो विशेष वर्ग का हो और जो नियमानुसार एक से ज्यादा

शादी कर सकता हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो कितनी पत्नियों को पेंशन मिलेगी।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, ऐसी परिस्थिति में जितनी पत्नियां है उन सबको पेंशन दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदयः मैडम, सचदेवा साहब भी कुछ पुछना चाह रहे हैं।

श्री सुभाष सचदेवा : जयभगवान जी, आपका कुछ इरादा तो नहीं है।

श्री जय भगवान अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कोई सीमा है क्या, एक पत्नी, दो पत्नी, चार पत्नी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इसका कोई सीमा है क्या।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से पत्नियों की सीमा तो शायद चार है। किसी भी धर्म को मिलाकर।

अध्यक्ष महोदय : गौड़ साहब।

श्री नरेश गौड़ : अध्यक्ष जी, मुस्लिम समाज में कोर्ट कचहरी में कई बार फैसले नहीं होते कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उनके यहां उनके धर्म में समाज में सिस्टम है कि वो तलाक तलाक तलाक कह कर सारा काम हो जाता है। जिन महिलाओं की न तो थाने में रिपोर्ट है, न कोर्ट कचहरी का मामला है अगर वो अपने धर्म गुरू से लेकर आती है कि हमारा तलाक हो चुका है, क्या ऐसी महिलाओ को आप पेंशन देना एलाउ करेंगे। तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 35 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : अध्यक्ष जी, बिल्कुल तलाक के जो भी नियम है जिस भी धर्म के अनुसार उनको हमारा विभाग मानता है बहराल ऐसी जो आपने बात कही है कि जिसका टेलीफोन पर हो गया, या कैसा हो गया उसके बारे में कोट्र की भी जजमेंट है। मगर हमने बहुत सरल कर दिया कि हमने दिल्ली महिला आयोग में हमने ऐसी बहुत सी इस धर्म की महिलाओं को निराश्रित में पेंशन दे दी है।

श्री नरेश गौड़ : मैडम, निराश्रित तो वो है जिनका न माता है, ना पिता है, अकेली है। में पूछ रहा हूं वो महिलाएं जिनका तलाक हो गया है न थाने में रिपोर्ट है न महिला आयोग में रिपोर्ट है न कोई सर्टिफिकेट है क्या धर्म गुरू का उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : हमारे को लिख देगी तो हम जरूर मानेंगे।

श्री नरेश गौड़ : मैंने बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को भेजा पर डिपार्टमेंट मानता नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप डिपार्टमेंट को आदेश दे दे।

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री : आदरणीय एमएलए साहब आप केस तो लाइए।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

24. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सोनिया विहार की सागर मार्किट व ई -4 और 5 में अधिक संख्या में हरिजन परिवार के लोग निवास करते है,
- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि विधान सभा में बारम्बार प्रश्न उठाने पर भी आज तक इस क्षेत्र को हरिजन बाहुल्य वाले ई.बी. में नहीं जोड़ा जा रहा है,

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 36 5 सितम्बर, 2012

- (ग) यदि हाँ, तो इसको ई.बी. में न जोड़े जाने के क्या कारण हैं और कब तक ई.बी.
 में जोड़ दिया जाएगा, और
- (घ) क्या यह भी सत्य है कि हरिजन कल्याण बोर्ड से आज तक इस क्षेत्र में एक भी पैसा जनहित में खर्च नहीं किया गया है इसकी उपेक्षा के क्या कारण हैं?

लोक निमार्ण मंत्री

- (क) जनगणना 2011 के अंतिम आँकडे अभी केवल जिला व तहसील स्तर पर जारी किये गये है, 2011 के जनगणना के अनुसचित जाति के आंकडे अभी जारी नहीं किये गये है। जनगणना 2001 के समय सोनिया विहार सादतपुर गजरन जनगणना कस्बे (वार्ड संख्या 97) के अन्तर्गत ई.बी. 1 से 63 के अन्तर्गत लिया गया था। जनगणना 2001 के अनुसार ई.बी. 1 से 63 की कुल जनसंख्या 42434 है जिसमे से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 3712 है। सोनिया विहार के ई ब्लाक (ई.बी. 45 से 56) की कुल जनसंख्या 7965 है जिसमें से अनसूचित जाति की जनसंख्या 564 है। 7.08%.
- (ख, ग) जनगणना के ई.बी. बनाने का कार्य जनगणना निदेशालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जाता है। जनगणना के प्रत्येक ई.बी. में लगभग 150 परिवारो को लिया जाता है।
- (घ) विभाग द्वारा जनगणना के आधार पर केवल जहां अनुसुचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक है, उन क्षेत्रों में विकास के कार्य (चौपाल बारातघर, गली, नाली, सड़क आदि) करवाने के लिए फण्ड स्वीकृत किया जाता है। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सोनिया विहार क्षेत्र का कोई भी प्रावकलन प्राप्त न होने के कारण कोई लॉम्बित नहीं है, इसलिए कोई खर्चा नहीं

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 37 भाद्रपद 14, 1934 (शक) किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा करावल नगर विधानसभा में विकास के विभिन्न कार्य वर्ष 2006 से 2012 तक करवाये गये है।

25. श्री विपिन्न शर्माः क्या लोक निमार्ण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि रोहतास नगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित मंडोली रोड, रोड, शाहदरा की सड़क के दोनों ओर बने नालों में गाद भरी रहती है जिसके कारण थोडी सी बारिश होने पर भी सडकों पर पानी भर जाता है,
- (ख) यादि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि देख-रेख लोक निर्माण द्वारा की जाती है?
 लेकिन नालों की सफाई समय पर न होने के कारण समस्या उत्पन्न होती है?
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि बरसात के दौरान सडकें गंदे पानी से भर जाती है, संबंधित विभाग के अधिकारी समय रहते पानी की निकासी के लिये पम्पों का प्रयोग क्यों नहीं करते है? और
- (घ) क्या सरकार मंडोली रोड शाहदरा के रोडों का लेवल नालों से ऊपर करने तथा बरसात के दौरान इस रोड पर पम्प लगाने की कोई योजना बना रही है, यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी नहीं मंडोली रोड को अभी हाल ही में दिल्ली निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। यह रोड काफी मवेशियों का गोबर इत्यादि नियमित रूप से आता रहता है जिसकी वजह से सफाई करने के पश्चात् भी ड्रेन कालोनी का पूरा पानी लेने में असक्षम है इसलिए बारिश होने पर यहां जल भराव की समस्या होती रहती है।

- (ख) मंडोली रोड जून, 2012 में दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुई है। इसके पश्चात् मंडोली रोड की ड्रेन की सफाई का कार्य लो. नि. वि. द्वारा किया गया परंन्तु दुकानदारों ने ड्रेन के ऊपर पक्के प्लेटफार्म बना रखें हैं जिसके कारण उस जगह पर सफाई करना असंभव है। इस संबंध में अनाधिकृत कब्जे हटाने के लिए संबधित अधिकारियों जैसे एसडीएम/ एसएचओ को पत्र लिखा जा चुका है तथा अपने स्तर पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिश भी की गई मगर दुकानदारों ने इसका भारी विरोध किया तथा स्टाफ के साथ बदसलूकी भी की।
- (ग) जी नहीं। बारिश के दौरान इस रोड पर पानी को हटाने के लिए लगातार पंप काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आवश्यक पड़ने पर सुपरसकर मशीन भी लगातार कार्य रह रही है।
- (घ) इन सड़कों को ऊंचा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति रू. 11.53 करोड़ दिनांक : 07.08.2012 को स्वीकृत हो गई है। सुव्यवस्थित पक्का नाला बनाने के लिये आरम्भिक अनुमान व्यय (ऐस्टीमेट) अलग से तैयार किया जा रहा है। ऐस्टीमेंट आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा जाएगा। उसकी स्वीकृति के पश्चात नाला व सड़क बनाने का कार्य इस वर्ष के अंत तक शुरू करा दिया जाएगा।

26. श्री जसवंत सिंह राणाः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने के कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का देहान्त हो चुका है और वे अपने वृद्ध दादा-दादी के पास रह रहे हैं और उनकी वृद्धा पेंशनों पर ही आश्रित तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 39 भाद्रपद 14, 1934 (शक) हैं तथा स्कूलों में पढ़ रह है, क्या दिल्ली सरकार की ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता के लिए कोई योजना है, यदि हों, तो इसका विवरण क्या है,

- (ख) यदि नहीं तो क्या इस प्रकार के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही हैं, और
 - ख. फिलहाल ऐसी कोई योजना विचार हीन नहीं है।
- (ग) यदि नहीं तो योजना कब तक बना दी जाएगी?
 - ग. उपरोक्त 'ख' के अनुसार।
 - महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बाल गृह चलाये जा रहे है, जिनकी सूची संलग्न है। इन संस्थाओं में निराश्रित, अनाथ तथा अन्य जरूरतमंद बच्चों को आश्रय, आहार चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोंजन की सुविधाएं दी जाती हैं
 - इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 41 बाल गृह तथा 15 ओप शेल्टर होम जा रहे हैं।
 - इन संस्थाओं में प्रवेश हेतु सरकार ने धारा 29 दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2009 के अनुसार 07 बाल कल्याण समितियों का गठन किया है, जिनकी सूची संलग्न है।
 - उपर्युक्त संस्थाओ में बच्चों को आश्रय, आहार, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोंरजन आदि की सुविधाएं दिल्ली किशोर (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम 2009 के अनुसार निशुल्क सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 40 5 सितम्बर, 2012 27. श्री सतप्रकाश राणाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2012-13 के बजट के गरीब परिवारों को 600 रूपए दिए जाने की घोषणा
 किस योजना के तहत की गई थी, पूर्ण विवरण दे,
- (ख) इस योजना के तहत किन-किन परिवारों को 600 रूपए महीने का लाभ दिया जाएगा और यह योजना कब तक लागू की जाएगी,
- (ग) बी.पी.एल. परिवारों को गैस कनैक्शन के लिए 2000 रूपए देने के घोषणा की गई
 थी, और यह योजना कब तक लागू की जाएगी, और
- (घ) क्या दिल्ली में नए बी.पी.एल. कार्ड बनाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो कब तक।

ऊर्जा मंत्री

- (क) "दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम'' के अर्न्तगत ऐसे कमजोर परिवार -जिन्हें कैबिनेट निर्णय निर्णय संख्या 1921 दिनांक 13/8/2012 द्वारा परिभाषित और चिन्हित किया गया है) जो बी.पी.एल./अन्नपूर्णा/अन्त्योदय कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे हैं, उन परिवारों को रू 600/- प्रतिमाह नकद खाद्य सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की सबसे बुजर्ग महिला सदस्य के बैंक खाते में सीध े अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
- (ख) उपरोक्तानुसार। इस योजना को इस वित्तवर्ष के दौरान ही शुरू किया जाएगा।
- (ग) दिल्ली सरकार की केरोसिन मुक्त योजना के तहत बी.पी.एल/ए.ए.वाई/जे.आर.सी.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 41 भाद्रपद 14, 1934 (शक) कार्ड धारियों को मिट्टी की तेल की जगह पर गैस कनेक्शन (चूल्हा, बर्नर एवं भरा सिलेंडर) दिया जा रहा है न कि 2000 रूपए। यह योजना 21 अगस्त 2012 से लागू हो चुकी है।

(घ) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

28. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में मडोली फाटक, श्मशान घाट के पास, प्रीत नगर साइड वाली रोड लेाक निर्माण विभाग द्वारा 2010 में बनाई जानी थी?
- (ख) यदि हाँ, तो आज तक यह रोड क्यों नहीं बनाई गई? और
- (ग) यह रोड कब तक बना दी जायेगी ?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हां।

(ख, ग) इस कार्य का प्रारंभिक अनुमान तैयार कर लिया गया है तथा प्रारंभिक अनुमान 323 लाख रूपये है। इस अनुमान की प्रशासनिक एवं तकनीकी जांच की जा रही है तथा जांच के पश्चात् इस कार्य के निष्पादन हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी एवं कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

29. श्री सुभाष सचदेवाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने राशन कार्डधारी है, इनमें से कितने बी.पी.एल.वाई. व
 ए.पी.एल. कार्डधारी है,

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 42 5 सितम्बर, 2012

(ख) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने ए.पी.एल. व ए.ए. वाई कार्ड है,

- (ग) क्या बी.पी.एल. कार्ड व ए.ए.वाई. कार्ड बन रहे है, यदि नही, तो कब बनने प्रारम्भ होंगे, और
- (घ) जिन कार्डो में अंगूठे का निशान नहीं लगाया गया है व जिनमें नाम गलत लिखा गया है, उन गलतियों को ठीक करने की क्या प्रक्रिया है, व कितने समय में यह त्रुटिया ठीक कर दी जाएंगी?
- (क) दिल्ली में कुल 3393809 राशन कार्डधारी हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

ए.ए.वाई	103197
बी.पी.एल	262148
ए.पी.एल.(जे.आर.सी.)	40501
ए.पी.एल. (आर.सी.आर.सी.)	221183
ए.पी.एल(स्टैण्ड)	1158293
ए.पी.एल.	1608487

 (ख) मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में ए.पी.एल. व ए.ए.वाई कार्ड है, ब्योरा निम्न प्रकार है:-

ए.ए.वाई	2637	
बी.पी.एल	1825	
ए.पी.एल. (जे.आर.सी)	2901	
ए.पी.एल. (आर.सी.आर.सी)	03	
ए.पी.एल. (स्टैण्ड)	8685	
ए.पी.एल.	16684	

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 43 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (ग) जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई विचाराधीन नहीं है।
- (घ) इससे संबंधित आवेदन, आधार पहचान पत्र (यू.आई.डी), चुनाव पहचान पत्र, बिजली का बिल के साथ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा सत्यापन के पश्चात् सही पाए जाने पर ऐसे की त्रुटियों को यथाशीध्र दूर कर दिया जाता है।

30. श्री कुलवंत राणाः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा में नए बी.पी.एल. कार्ड कनाने की कोई योजना बनाई जा रही है,
- (ख) यदि हाँ तो यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी,
- (ग) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण है, और
- (घ) इस योजना के नियम व शर्तें क्या होंगी?

ऊर्जा मंत्री

- (क) जी नहीं। अभी ऐसी कोइ योजना विचाराधाीन नहीं है।
- (ख) उपरोक्त ''क'' के अुनसार लागू नहीं।
- (ग) दिल्ली में बी.पी.एल. कार्डों कि संख्या, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा, दिल्ली के लिए स्वीकृत बी.पी.एल. राशन कार्डों की संख्या के लगभग बराबर है।
- (घ) उपरोक्त ''क'' के अुनसार लागू नहीं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 44 5 सितम्बर, 2012 31. श्री जय किशन : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:-

- (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र में दिल्ली में कितनी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, उनकी सूची क्या है,
- (ख) कितने आवेदन विभाग में लबित हैं,
- (ग) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कांयक्रम के तहत मिलने वाली 10,000 रूपए की राशि बंद कर दी गई, और
- (घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र में 2403 विधवा
 महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। सूची संलग्न है।
- (ख) कोई आवेदन विभाग में लंबित नहीं है।
- (ग) जी, नहीं।
- (घ) लागू नहीं।

32. श्री नसीब सिंहः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग ने एमसीडी से 60 फूट से बडी रोडों
 को टेक ओवर क्या है?
- (ख) क्या डीडीए से भी 60 फुट से बड़ी रोडों को टेक ओवर करने की कोई योजना है?

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 45 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (ग) क्या यह भी सत्य है कि 51 कालोनियों के पब्लिक नोटिस निकाले गए है जिसमें आब्जेक्शन और सजेशन मांगे गए थें? और
- (घ) यदि हाँ, तो इसका पुर्ण विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ कैबिनेट निर्णय संख्या-1904 दिनांक 25.6.2012 के अनुसार 60 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर डी.डी.ए द्वारा निर्माण करने के बाद व पी.डब्ल्यू, डी. द्वारा आंकलित डेफिसिन्सी चार्जज/(प्रभार) का भुगतान करने के बाद डी.डी.ए ये सड़के पी.डब्ल्यू डी. विभाग को हस्तांतरित करेगा।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI GENERAL ADMINISTRATION DEPARTEMENT DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No.F.3/2/2011-GAD/CN/Pt./ File-1-2520-2531 Dated: 29/06/12

CABINET DECISION NO. 1904 - DATED : 26.06.2012

Sub : Proposal for policy on construction andmaintenenace of Master Plan Roads.

Decision : The Cabinet considered the note of Pr. Secretary (PWD) and after due deliberations, decided that since the DDA not only develops the entire area but appropriates the entire salw proceeds of the sale of land in the colonyt and consequently has huge deposit running into thousands of crores in its bank account, there is no justification for Govt. of NCT to fund construction of roads of DDA. However, the Cabinet approved that the roads above 60 feet can be transferred by DDA to PWD after cosntruction on payment of deficiency charges calculated and comunicated by the PWD authorties.

Sd/-(P.K. TRIPATHI) SECRETARY TO THE CABINET

No. F.3/2/2011- GAD/CN/Pt. File-1-

Dated :

Copy forwarded to the following :-

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 47 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- 2. Pr. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
- 3. Secretary to Ministery of Health. Govt. of NCT of Delhi.
- 4. Secretary to Minstery of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. Secretary to Minieter of Food & Supplies, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. Secretary to Minister of PWD, Govt. of NCT of Delhi.
- 7. Secretary to Minister of Industries, Govt. of NCT of Delhi.
- 8. Secretary to Minister of Industries, Govt. of NCT of Delhi.
- 9. Pr. Secretary (PWD),/Govt. of NCT of Delhi with the request to upload ATR on CDMS.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi.
- 11. Hindi Officer, Language Department for translation.
- 12. Guard file.

Sd/-(SHAKTI SINHA) JOINT SECRETARY TO THE CABINET तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 48 5 सितम्बर, 2012 33. श्री वीर सिंह धिंगान: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बातने की कृपा करेंगी कि:-

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास की कुछ योजनाएं चला रही हैं,
- (ख) यदि हां, तो सरकार क्या-क्या योजनांए चला रही है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि आंगनबाड़ी सेन्टर भी सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं,
- (घ) यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं तथा इन में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्य कर रहे है,
- (ड.) क्या यह भी सत्य है कि सीमापुर क्षेत्र में भी कुछ आंगबाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे
 हैं, और
- (च) यदि हां, तो किस-किस पते पर कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) जी, हां।
- (ख) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:-
 - 1. विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रू० प्रतिमाह पेंशन योजना।
 - पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 30000 रूपये एक मुश्त राशि देने की योजना।

- 3. लाडली योजना।
- 4. प्रियदर्शनी कामकाजी महिला हाँस्टल, विश्वास नगर, नगर, दिल्ली।
- 5. महिला कार्य केन्द्र।
- 6. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की ''घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005" राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र, दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं।
- रहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध आधिकारी नामित किया गया है।
- 8. दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लाक, विकास भवन नई दिल्ली।
- 9. निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय गृह।
- 10. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।
- 11. आवाज उठाओ।

इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं।

- 1. निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़ नई दिल्ली।
- 2. अलपावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।
- 3. महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

4. अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

- 1. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं।
- 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं।
- समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 10615 अंतगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं।
- 5. कमजोर वर्ग की दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता।
- 6. राजीव गांधी किशोरी सशाक्तिकरण योजना सबला।
- (ग) जी हां।
- (घ) दिल्ली में वर्तमान में 10615 आंगनबाड़ी केन्द्र रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र में 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 1 आंगनबाड़ी सहायिका कार्य कर रही है।
- (ड़) जी हाँ।
- (च) सीमापुरी क्षेत्र में कुल 64 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। पतों की सूची संलग्न हैं।

- तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 51 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 34. श्री श्रीकृष्ण त्यागी: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सतर्कता समिति के अध्क्षता की सर्कल लेवल पर क्या भूमिका है और उसकी क्या शाक्तियाँ हैं, और
- (ख) क्या सतर्कता समिति के अध्यक्ष सर्कल पर एफ.पी.एस. लाइसेंस के निलंबन/ निरस्तीकरण की संस्तुति कर सकते है?

ऊर्जा मंत्री

(क) सतर्कता समिति से संबंधित आदेश की कापी संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

GOVERNMENT OF NATIONA CAPITAL TERRITORY OF DELHI OFFICER OF THE COMMISSIONER: FOOD, DUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS K-BLOCK, VIKAS BHAWAN: I.P.ESTATE: NEW DELHI-110002 (DISTRIBUTION BRANCH)

52

No.3(II)/F&S/P&C/2008/75

Dt 16.02.03

ORDER

- 1. In supersession to all previous orders in pursuance of paragraph 6(3) of the Annexure to the PDS (Control) Order 2001 regarding formation of Vigilance Committee on TPDS by the concerned State/UT Government, all the zonal Assistant Commissioner are, Hereby, directed to reconstitute the Circle Level Vigilance Committee latest by 16.02.2009. The Composition of the Circle Vigilance Committee will be as under:
- 1. Area MLA -- Chairman
- 2. FSO -- Member Secretary
- 3. Two reputed persons/NGO from the area -- Member nominated by zonal Asst. Commissioner.
- 2. The main objective and the function of the Circle level Vigilance Committee will be as under:
 - (i) To attend to the complains regarding non-availability of wheat, rice, sugar, kerosene oil etc. to the FPSs/KODs.
 - (ii) To report black-marketing and diversion of SFAs/K. Oil as and when noticed.
 - (iii) To watch and suggest measures for prevention of the cases of short supply, less weighment, over-charging and distribution of sub-standard quality of SFAs/K.Oil by FPS/KOD holders.
 - (iv) To monitor the day to day schedule prescribed by the department for opening and closing of the PDS outless.

- (v) To inform about the bogus cards issued, if any, at circle level and to suggest measures to prevent the issuance of bogus cards.
- (vi) Identification and certification of BPL and Antyodaya families.
- 3. It shall be mandatory to hold meeting of the Committee atleast once in the month and minimum quora required for the meeting will not be less than 50% of the total number of the Committee members.
 - (ii) Copy of the minutes of the meeting of Circle level Vigilance Committee will be drawn formally and circulated to all the members. Recommendations and reports will be sent to the Zonal Assistant Commissioner for necessary action. All the reports, recommendations and suggestions should be made collectively by the Committee and recorded by the Member Secretary.

Sd/-(R.T.L.D'SOUZA) JOINT SECRETARY (P&C)

Copy to:

- (1) All Hon'ble Members of legislative Assembly;
- (2) The Secretary to the Minister, Food Supplies & Consumer Affairs;
- (3) Joint Commissioners of Food & Supplies Deptt.;
- (4) Al the Assistant Commissioner of Food & Supplies Deptt.;
- (5) All Food & Supply officers.;
- (6) P.S. to C.F.S.;
- (7) P.S. to A.S. (D);
- (8) Guard File.

Sd/-

(DINESH PANDEY) FOOD & SUPPLY OFFICER (POLICY) तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 54 5 सितम्बर, 2012 35. श्री ओ.पी.बब्बर: क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम से सडकें लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई हैं?
- (ख) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कॉंलोनियों में आने वाली सडकों के डेंस कारपेंटिग/मरम्मत, साइनेज का सौन्दर्यीकरण तथा नालों के निर्माण/ रखरखाव एवं इनके डिसिल्टिंग के लिये बजट में क्या प्रावधान किये गये हैं एवं सडकों की मरम्मत का कार्य पूर्ण होने की निर्धारित समय सीमा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हां (सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है)।
- (ख) तिलक नगर विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कालोनियों में आने वाली सड़कों के डेंस कारपेटिंग, मरम्मत और नालों के निर्माण/रखरखाव हेतु प्राक्कलन बनाकर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रषित किए जा चुके है एवं स्वीकृत प्राप्त होने पर कार्यो के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तय की जाएगी।

36. श्री मालाराम गंगवालः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सभी खाद्य कार्डो से मिट्टी का तेल देना बंद कर दिया है,
- (ख) क्या सरकार इसी तर्ज पर राशन की दुकाने भी बंद करने जा रह है,
- (ग) क्या सरकार खाद्य पदार्थों के बदले गरीबों को नकद राशि देने पर विचार कर रही
 है; और
- (घ) यह योजना कब तक पूरी कर दी जाएगी?

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 55 भाद्रपद 14, 1934 (शक) ऊर्जा मंत्री

- (क) जी नहीं।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) दिल्ली सरकार ने उपाध्यक्ष योजना को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कार्डधारियों को राशन या राशन के बदले नकद राशि में से किसी एक को चुनने की सुविधा प्रदान करने के लिए योजना बनाने की स्वीकृति है।
- (घ) उनरोक्तानुसार।

37. श्री प्रहलाद सिंह साहनी, क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि अनूसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडें वर्ग की बेरोजगार महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान लाने की योजना विचारधीन है।
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा अलपसंख्यको के बच्चों को स्कूल में पढ़ने हेतु आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) सरकार द्वारा अनूसुचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बेरोजगार महिलाओं के लिए कोई विशेष अनुदान लाने की योजना अभी विचारधीन नहीं है,
- (ख) जी हाँ, सरकार द्वारा अलपसंख्यकों के बच्चों को स्कूल में पढने हेतु छात्रवृति के
 रूप में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसकी विस्तृत जानकारी पुस्तकालय
 में उपलब्ध है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 56 5 सितम्बर, 2012 38. डॉ. जगदीश मुखी क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि अप्रैल 2008 से आज तक दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली वासियों को ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी किए गए हैं यदि हाँ तो उनका ब्यौरा सर्कल अनुसार क्या है,
- (ख) अप्रैल 2008 से आज तक जारी ए.पी.एल. राशनकार्ड धारियों को राशन पर
 क्या-क्या सामग्री कितनी मात्रा में जारी की गई,
- (ग) यदि इन्हें आज तक कोई सामग्री राशन पर नहीं दी गई तो राशन कार्ड जारी करने
 का क्या औचित्य है, और
- (घ) इन कार्डधारियों का राशन कब से देना प्रारम्भ किया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री

- (क) सूची ''क'' संलग्न है।
- (ख) अप्रैल 2008 से आज तक जारी ए.पी.एल. अनस्टैम्प्ड धारियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि वर्ष 2010 में जनवरी, फरवरी, जुलाई व सितम्बर माह में ए.पी,एल अनस्टैम्प्ड राशनकार्ड धारियों को निम्नलिखित मात्रा एवं मूल्य के अनुसार राशन जारी किए गए थे।

तारांकित	प्रश्नों	के	लिखित	उत्तर	57	भाद्रपद 14

पद 14, 1934 (शक)

माह एवं वर्ष	मात्रा (किग्रा.)		मूल्य (रूपए)	प्रति किग्रा.
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
जनवरी (2010)	15	5	11.50	16.07
फरवरी (2010)	15	5	11.50	16.07
जुलाई (2010)	14.25	3.75	9.15	12.55
सितम्बर (2010)	14.25	3.75	9.15	12.55

यह मूल्य सामान्य ए.पी.एल स्टैम्प्ड कार्डों पर जारी किए जा रहे राशन के मूल्य से अधिक था।

- (ग) ए.पी.एल. राशनकार्ड वर्तमान में सरकार की नीति एवं दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए जा रहे है।
- (घ) अभी इस प्रकार की कोई योजना विचारधीन नहीं है।

APL UNSTAMPED RATION CARDS CIRCLE WISE PREPARED WITH EFECT FROM APRIL 01, 2008 UPTO AUGUST 31, 2012

Circle No	Total no. of APL Unstamped Ration Cards prepared	Circle No.	Total no. of APL Unstamped Ration Cards Prepared
1.	17112	37	1344
2.	17951	38	3901
3.	4005	39	3673
4.	5162	40	3629
5.	8408	41	2733
6.	9481	42	3653
7.	10677	43	2721
8.	18691	44	4533
9.	20870	45	5050
10.	5806	46	6629
11.	11038	47	6069
12.	7312	48	4830
13.	3925	49	4819
14.	4357	50	2348
15.	3256	51	3557
16.	6998	52	3212
17.	1940	53	10798
18.	1966	54	7005
19.	8382	55	7342
20.	2778	56	13089
21.	4994	57	7963

Circle No	Total no. of APL Unstamped Ration Cards prepared	Circle No.	Total no. of APL Unstamped Ration Cards Prepared
22.	7551	58	5948
23.	6064	59	3896
24.	7162	60	9344
25.	1762	61	8666
26.	5790	62	4696
27.	6833	63	4895
28.	4169	64	7977
29.	6848	65	7887
30.	3555	66	8113
31	12428	67	5436
32.	9120	68	10145
33.	13725	69	10782
34.	15908	70	11811
35.	15060	Total	525406
36.	13828		

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 59 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

39. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

- (क) क्या सत्य है कि मुस्लिम तलाक शुदा महिला को पेंशन लेने के लिए न्यायालय
 द्वारा तलाक की डिक्करी कॉपी लानी पड़ती है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि मुस्लिम धर्म गुरूओं, मोलिवियों के द्वारा तलाक के संबंध
 में जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है,

- (ग) वर्ष 2008 से 31 जून, 2012 तक तिमारपूर विधान सभा क्षेत्र में कितने नागारिक विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पुत्री सहायता एवं विधवाऐं 10,000/- रू. की अर्थिक सहायता प्राप्त कर रही हैं, उनकी सूची नाम पते सहित उपलब्ध करवाएं,
- (घ) वर्ष मार्च 2008 से 18 अगस्त 2012 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त किए कितने
 रद्ध किए गए उनकी सूची नाम एवं पते सहित उपलब्ध करवाएं?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) तलाक की डिक्करी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कोई भी एक मान्य है:-
 - पुलिस रिपोर्ट
 - परिवारिक सलाह केन्द्र में दर्ज
 - महिला आयोग में दर्ज शिकयत
 - राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकयत
 - महिला पंचायत में दर्ज शिकायत
- (ख) नियमों के अनुसार अपरोक्त मान्य है।
- (ग) सूची संलग्न है।
- (घ) सूची संलग्न है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 61 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 40. श्री अनिल झा क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने के कृपा करेगी कि:

- (क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ऑगनवाड़ी के माध्यम से कौन-कौन योजनाएँ चलाई जा रही है?
- (ख) क्या ऑगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य हेतु जैसे वोट बनाने, वोट काटने,
 छांटने के कार्य पर भी लगाया जाता हैं?
- (ग) यदि हाँ, तो किस ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को कौन-कौन से बूथ की जिम्मेदारी दी गई हैं इनके नाम, फोन नं, आदि क्या हैं?
- (घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में ऑगनवाड़ी केन्द्रों में जो भोजन उपलब्ध कराया जाता हैं वह कहाँ से आता हैं उसके कौन सी एजेंसी बनाती हैं, उसकी गुणवत्ता के जांच व मानदंड क्या हैं, स्पष्ट विवरण दें?
- (क) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत ऑगनवाड़ी के माध्यम के निम्नलिखित
 योजनाएं चलाई जा रही है:

लाभार्थी

(1)	समेकित बाल विकास योजना (ICDS)	जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे। गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाएं। इस योजना के अर्न्तगत पूरक पोषाहार, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जॉच, पोषाहार शिक्षा एवं
		स्कूल पूर्व शिक्षा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
(2)	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)	गर्भवती महिला–19 वर्ष से अधिक की आयु जिसका पहला व दूसरा प्रसव हो जिसमें उसने जीवित बच्चे को जन्म दिया हो और जिसका पति सरकारी कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (केन्द्रीय या राज्य सरकार) में काम नहीं करता हैं। लाभार्थियों को 4000 रूपये

तारांकित	1 प्रश्नों के लिखित उत्तर	62 5 सितम्बर, 2012
		की धन-राशि उचित देखभाल हेतु 3 किश्तों में निर्धारित शर्तों के आधार पर दी जाती हैं।
(3)	कमजोर वर्ग की दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायाता	कमजोर वर्ग की एवं अनुसुचित जाति एवं जन-जाति की दूध पिलाने वाली महिलाओं को उचित पोषाहार हेतु प्रथम 2 बच्चों के जन्म पर 500 रूपये की एक मुश्त राशि।
(4)	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना 'सबला'	इसके अर्न्तगत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषाहार एवं गैर पोषाहार संबधी सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं जिसमें स्वास्थ्य जॉच, आयरन एवं फैलिक एसिड की गोलियों का वितरण, जीवन कौशल कला शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान हैं।

(ख) विभाग द्धारा इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। बहरहाल, विभाग ने CEO को पत्र लिख कर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को Election Duty पर न लगाने का अनुरोध किया हैं तथा CEO ने यह मामला Election Commission of India को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया हैं।

- (ग) उपरोक्त अनुसार।
- (घ) किराड़ी विधान सभा में विभिन्न परियोजनाओं के अर्न्तगत चल रही ऑगनवाड़ियों में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से स्वसहायता समूहों द्धारा उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

(1)	सावदा परियोजना	5	स्त्री शक्ति
(2)	कन्झावला परियोजना	22	स्त्री शक्ति/नव प्रयास
(3)	प्रताप विहार परियोजना	92	पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी
(4)	प्रेम नगर परियोजना	110	राषट्रीय निर्बल उत्थान संस्था
(5)	बवाना परियोजना	16	राष्ट्रीया निब्रल उत्थान संस्था
(6)	अमन विहार परियोजना	103	दलित प्रहरी
(7)	मीर विहार परियोजना	28	नव प्रयास

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 63 भाद्रपद 14, 1934 (शक) ऑगनवाड़ियों में वितरित किये जा रहे भोजन की गूणवत्ता की जॉच खाद्य एवं पोषाहार विभाग, भारत सरकार की प्रयोशाला एवं अन्य किसी भी गैर सरकारी प्रयोशाला में करवाई जाती हैं। यह जॉच एक परियोजना में माह में 2 बार करवाना आवश्यक हैं उनकी रिर्पोट के आधार पर ही उनके बिलों के भुगतान हेतु कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

85. श्री जसवंत सिंह राणा क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के अलीपुर गांव में स्थित 21 से 24
 कि.मी. तक रोड लोक निर्माण विभाग के मंडल एम-311 के अधीन है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि अलीपुर में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के सामने रोड के दोनों ओर लोक निर्माण विभाग की कच्ची जमीन पडी है, जिसमें विद्यार्थियों के लिये पार्किग बनाने के लिये सी.सी.से पक्का करवाने हेतु कई बार लिखा जा चुका है,
- (ग) इन कार्यो को अब तक क्यों नहीं कराया गया, उपरोक्त कार्य को लोक निर्माण विभाग से कराया जा सकता है, और
- (घ) यदि हाँ, तो इस कार्य को कब करा दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ।

(ग,घ) लोक निर्माण विभाग आर.ओ.डब्ल्यू. के अर्न्तगत पार्किग बनाने की अनुमति नहीं देती है परंतु स्वामी श्रद्धानंद कालेज के हित में यदि पार्किग बनानी है तो स्वामी श्रद्धानंद लोक निर्माण विभाग से एनओसी प्राप्त करके पार्किग स्वयं बना सकता है अथवा प्रशासन लो.नि.वि से यह कार्य अनुमनित लागत जमा करके डिपोजिट कार्य के रूप में करा सकता है।

86. श्री जसवंत सिंह राणा क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के अलीपुर में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के सामने वाला रोड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है,
- (ख) यदि नहीं, तो यह रोड किस विभाग के अन्तर्गत आता है, और
- (ग) यदि हाँ, तो यह रोड पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य क्यों नहीं कराये जा रहे हैं?

लोक निर्माण

- (क) जी हां।
- (ख) क्रम संख्या:- 'क' कें उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।
- (ग) माननीय विधायक महोदय काइस सम्बन्ध में पत्र दिनॉक : 28.08.202 कार्यालय आभियतां (परियोजना) एम-31 को प्राप्त हुआ है। (प्रतिलिपि संलग्न है)। लोक निर्माण विभाग आ.ओ.डब्ल्यू के अंदर पार्किंग बनाने की अनुमति नहीं देती है परंतु स्वामी श्रद्धानंद कालेज के हित में यदि पार्किंग स्वयं बना सकता है अथवा कालेज प्रशासन लो.नि.वि.से यह कार्य अनुमानित लागत जमा करके डिपोजिट कार्य के रूप में करा सकता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 65 भाद्रपद 14, 1934 (शक) **JASWANT SINGH RANA** Head Office : H.No. 193, Village & M.I.AS. Narela P.O. Khera Kalan, Delhi-82 Tel: 011-27843185, Mob.: 9971077705 Date 1-8-2012

Ref. No.....

प्रिय श्री बंसल जी.

मेरे क्षेत्र के गांव अलीपुर में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है। इसके सामने आपके विभाग की कच्ची जमीन पड़ी हुई है जो काफी गहरी है। कॉलेज में पार्किंग की काफी परेशानी है। क्षेत्र के निवासियों द्वारा इस कच्ची जमीन का मिट्टी से भराव करव कर इसे पक्का करवाने हेतू लगातार मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपके विभाग को कई बार लिख चुका हूँ। परन्तु बडे खेद की बात है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि इस कच्ची जमीन का भराव करवा कर इसे पक्का करवाया जाये ताकि इसका इस्तेमाल कालेज की अस्थायी पार्किंग के रूप किया जा सकें।

हार्दिक धन्यवाद सहित.

आपका

(जसवंन्त सिंह राणा)

श्री एन. के. बंसल अधिक्षण अभियन्ता. लोक निर्माण विभाग, सर्किल एम-31, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:- **कार्यपालक अभियन्ता**, लोक निर्माण, मडंल एम-311,

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 66 5 सितम्बर, 2012 87. श्री सुभाष सचदेवाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पजांबी बाग में स्थित शमशान भूमि पर लोगों के सुविधा हेतु (आने जाने के लिये)
 फुटओवर ब्रिज बनाने की क्या योजना है?
- (ख) इस योजना में क्या रूकावटें आ रही हैं? और
- (ग) सरकार इन रूकावटों को कब तक हटाने का प्रयत्न करेंगी?

लोक निर्माण मंत्री

- (क,ख) इस रूट पर मैट्रों का प्रावधान है। मैट्रों का कार्य समाप्त होने पर फिर से फुट ओवर ब्रिज बनाने हेतु विचार किया जाएगा।
- (ग) क्रम संख्या-'क' एवं 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

88. श्री सुभाष सचदेवाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि रोड नं. व रिंग पजांबी बाग पर एक सिंगल लेन फलाई-ओवर बना हुआ है जिसकी वजह से रिंग रोड हमेशा जाम लगा रहता है? क्या सरकार की इस फलाई-ओवर को डबल लेन करने की कोई योजना है?
- (ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी और इस पर कितनी लागत आयेगी?
- (ग) यह कार्य कब तक प्रारम्भ करके पूरा कर दिया जायेगा? और
- (घ) यदि नहीं, तो क्या यह इस तरह की कोई योजना तैयार की जायेगी जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सकें?

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 67 भाद्रपद 14, 1934 (शक) लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ। सरकार इस फ्लाई ओवर को डबल करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी
 करने जा रही है।
- (ख) इस बारे में फिजिबिलिटी स्टडी के अनुमोदन के बाद ही बताना संभव होगी।
- (ग) क्रम संख्या:- 'ख' को उत्तर को परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं
- (घ) क्रम संख्या:- 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं
- 89. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधान सभा में लोक निर्माण विभाग द्वारा निगम की कुछ मुख्य सडकों का अधिग्रहण किया गया है?
- (ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी मुख्य सडकों को निगम से लिया है उनके नाम स्थान क्या क्या है?
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि जिन सडकों को निगम, द्वारा दशकों से नहीं बनाया गया
 था, उन खस्ता हाल सडकों को लोक-निर्माण विभाग शीघ्र बनायेगा? और
- (घ) यदि हाँ, तो किस-किस मार्ग की कितनी-कितनी लागत अनुमान बनाये गये है?
 तथा इनका निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जायेगे?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हां।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 68

- (ख) सीमापुरी विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम से निम्नलिखित तीन सड़कों को लोक निर्माण विभाग द्वारा टेक-ओवर किया गया है:
 - 1. कैप्टन जावेद अली मार्ग,
 - 2. रोड न. 64 एवं 68 के मध्य लिंक रोड।
 - 3. रोड न. 64 एवं 62 के मध्य लिंक रोड।
- (ग) जी हां।
- (घ) 1. रोड न. 64 एवं 68 के मध्य लिंक रोड न. 64 व 62 के मध्म लिंक रोड एवं मंडोली रोड के लिए लगभग रू0 11 करोड़ की स्वीकृति दिनांक : 07.08.2012
 को प्राप्त हो गई है तथा कार्य नवंबर, 2012 में शुरू करा दिया जाएगा।

 कैप्टन जावेद अली मार्ग लोक निर्माण विभाग को एम.सी.डी.से अभी हस्तांतरित हुआ है। इसका प्रारंभिक अनुमान शीघ्र ही भेजा जा रहा है।

90. श्री सत प्रकाश राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) महिपालपुर महरोली रोड, बसन्त कुंज से एक बाईपास रोड एन.एच.-8 रंगपुरी की
 और निकालने की योजना विभाग के पास कब से लंबित है?
- (ख) इस रोड पर कार्य प्रारम्भ करवाने पर क्या परेशानी आ रही है और किन कारणों
 से यह रोड बनाने में इतनी देरी हो रही है?
- (ग) वर्तमान में इस रोड को बनाये जाने की क्या स्थिति है? क्या इसकी ड्रांइग तैयार कर ली गई है, यदि हाँ तो वह क्या है? और
- (घ) इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ कराने का लक्ष्य है?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) महिपालपुर-महरोली रोड, वसंत कुंज से एक बाईपास रोड़ एन.एच.-8 रंगपुरी की
 ओर निकालने की योजना लोक निर्माण विभाग के पास वर्ष 2007 से लंबित है।
- (ख) मसूदपुर गांव सकीर्ण रास्ता होने के कारण तथा संभावित भारी संख्या में तोडफोड़ को मद्देनजर रखते हुए कई सुझावों का प्रयास किया गया। लेकिन इसका कोई हल प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण से विलंब हुआ है अब इस संबंध में MORTH के पैनल से कंसलटेंट नियुक्त किया जा रहा है जो कि वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अच्छा सुझाव देगा।
- (ग) परारमर्शदाता की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है।
- (घ) युटीटीआईपीईसी (यूटीपेक)/डीयूएसी जैसे स्थानीय निकायों के अनुमोदन के बाद कार्य 01.04.2013 से शुरू का लक्ष्य है।
 - 91. श्री श्रीकृष्ण त्यागी क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा बुराडी विधान सभा क्षेत्र के कौशिक एन्कलेव में
 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण हेतु ए/ए एंड ई/एस ले चुका है,
- (ख) यदि हाँ, तो अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा, और
- (ग) लोक निर्माण विभाग मेन रोड़ बुराडी (बुराडी क्रासिंग एनएच से बुराडी बैड) का दिल्ली नगर निगम से प्रभार कब तक ले लेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क,ख) कैबिनेट द्वारा अनुमोदित हो गया है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 70 5 सितम्बर, 2012

(ग) इस सड़क पर दिल्ली नगर निगम द्वारा अभी कार्य कराया जा रहा है। कार्य समाप्ति
 के पश्चात् यह सड़क दिल्ली नगर निगम से ले ली जाएगी।

92. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विजय नगर सिंगल स्टोरी, क्रिश्चियन कालोनी, नजफगढ़ नाला पुल से गुड मंडी जी,टी,रोड तक एलेवेटिड सडक का निर्माण करने की योजना लंबित है?
- (ख) यदि हाँ तो इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवायें, और
- (ग) यह रोड़ कब तक बननी आरम्भ हो जायेगी?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) मीरा बाग से वजीराबाद तक नजफगढ़ के ऊपर ऐलीवेटेड रोड बनाने की फिजिंबिलिटी स्टडी कराई गई थी जो कि जून, 2010 में यूटीपेक द्वारा ड्रोप कर दी गई थी। अब पुन: इस योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसे ककरोला मोड़ से वजीराबाद तक बनाने का प्रस्ताव है। इसी योजना के अंतर्गत माननीय विधानसभा द्वारा प्रश्न में वर्णित स्थान भी कवर होंगी।
- (ख) इस योजना के लिए परामर्शदाता द्वारा फ्रेश फिजिबिलिटी स्टडी यूटीपेक से कनसल्ट करके शुरू की जाएगी। ककरोला मोड़ से मीरा बाग के भाग के लिए नए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है।
- (ग) फिजिबिलिटी स्टडी यूटीपेक से अनुमोदन के उपरांत ही यह बताना संभव होगा कि
 रोड कब तक बननी प्रारंभ होगी।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 71 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 93. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार आवायीय परिसर तिमारपुर में लो.नि.वि द्वारा बारात घर, डिस्पैंसरी का रास्ता बालक राम अस्पताल की और से करवाने, झुग्गियों की तरफ से दिवार ऊंचा कर फोसिंग लगवाने, वयोवृद्धा के लिये रिकरेशन सैंटर, मनोंरजन कक्ष में लाईब्रेरी खुलवाने के लिये एन.ओ.सी. किशोर विकास केन्द्र के लिये सामुदायिक भवन में एक कमरा अलाट करवाने और कालोनी का मुख्य गेट का निर्माण गुलाबी बाग कालोनी के गेट जैसा करवाने हेतु कार्य करवायें जाने लंबित पड़े है।
- (ख) यदि हाँ तो स्पष्ट करें कि यह कार्य क्यों लंबित पड़े है और
- (ग) उक्त कार्यो को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

- बारात घर, डिस्पेंसरी का रास्ता, बालकराम अस्पताल की ओर से करवाना। प्रारंभिक प्राक्कलन पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृत 23.05.2012 को रू. 1,33,49,200/- के लिए प्रदान कर दी गई है।
- झुग्गियों की तरफ से दीवार ऊंचा कर फेसिंग लगवाना: वर्तमान दीवार को ऊंचा करना तकनीकी रूप से ठीक नहीं है अत: फेंसिंग को ऊंचा करने की योजना है।
- वयोवृद्ध कि लिए रिकरेशन सेंटर: इस कार्य के निष्पादन को क्रमांक (1) के साथ नियोजित किया गया है।
- 4. मनोंरजन कक्ष में लाइब्रेरी खुलवाने के लिए एन.ओ.सी: दिल्ली सरकार आवासीय

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 72 5 सितम्बर, 2012 परिसर तिमारपुर में कोई मनोरंजन कक्ष नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रकरण भी विचाराधीन नहीं है।

- किशोर विकास केन्द्र के लिए सामुदायिक भवन में एक कमरा एलॉट करवाना: सामुदयिक भवन में कमरे के आंबटन का कार्य लोक निर्माण विभाग के अधिकार/ कार्य क्षेत्र में नहीं है।
- 6. मुख्य गेट का निर्माण गुलाबी बाग कालोनी के गेट जेसा करवाने हेत: दिल्ली सरकार आवासीय परिसर तिमारपुर का गेट संकरे रास्ते में है जहां गुलाबी बाग कालोनी जैसा गेट नहीं बनाया जा सकता है। अत: इस परिसर की विशेषता को देखते हुए इस परिसर के लिए कस्टयुमाइज्ड अभिकल्पन वरिष्ठ वास्तुक द्वारा बनाया जा रहा है।
- (ख) विस्तृत प्राक्कलन बनाए जा रह हैं जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली 2012 के अनुसार नीतिगत हैं।
- (ग) कार्य के लिए निविदाएं 09/2012 में आमंत्रित किए जाने की योजना है। कार्य
 10/2012 में प्रारंभ कर 06/2012 में संपन्न होने की योजना है।
- 94. श्री मालाराम गंगवाल क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) दिल्ली में बने सब-वे का रख-रखाव कौन करता है?
- (ख) दिल्ली में काफी सब-वे में भिखारियों ने अड्डा बना रखा है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है?
- (ग) कुछ सब-वे में लोग स्मैक पीते हुये नजर आते हैं तथा कुछ में काफी कचरा पड़ा
 रहता है सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है इसके क्या कारण हैं? और

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 73 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

(घ) इसमें कब तक सुधार हो जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) दिल्ली में सब-वे के रखरखाव का कार्य संबंधित अनुरक्षण एजेंसी जैसे एम.सी.
 डी. लो.नि.वि. एन.डी.एम. सी. द्वारा किया जाता है।
- (ख) जी नहीं। लोक निर्माण विभाग के अधिकार/कार्यक्षेत्र वाले किसी भी सब-वे में
 ऐसा कोई मामला इस कार्यालय की जानकारी में नहीं आया है।
- (ग) जी नहीं। लोक निर्माण विभाग के अधिकार/कार्यक्षेत्र वाले किसी भी सब-वे में
 ऐसा कोई मामला इस कार्यालय की जानकारी में नहीं आया है। सब-वे की साफ-सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक है।
- (घ) क्र.सं.- 'ग' के उत्तर के परिप्रक्ष्य में लागू नहीं।

95. श्री मालाराम गंगवाल क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कारण हैं कि पीडब्ल्यू ने सभी टी-प्वाईटों पर सिग्नल ब्रिज बनाए है:
- (ख) जहां पर जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर बने सिग्नल ब्रिज को डबल में नहीं बदला जा सका
- (ग) पंजाबी बाग रिंग रोड पर मोती नगर मोड़ पर जो सिग्नल ब्रिज बना हैं, वहां हमेशा बहुत जाम लगा होता है सरकार इसे डबल ब्रिज कब तक बना देगी; और
- (घ) इस संबंध में पहले भी विधान सभा में प्रश्न उठ चुका है प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है?

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 74 5 सितम्बर, 2012 लोक निर्माण

- (क) ऐसे सभी ब्रिज पूरी स्टडी करवाने के बाद ही बनाए जाते है। सीधे जाने वाले वाहनों को सिग्नल-फ्री रखने के लिए टी-पाइंट पर ऐसे ब्रिज बनाए जाते हैं।
- (ख) इसके लिए ट्रेफिक कंजेक्शन को ध्यान में रखते हुए सिंगल से डबल ब्रिज बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जा सकती है।
- (ग,घ) सरकार इस फलाई ओवर ब्रिज को डबल करने लिये फिजिबिलिटी स्टडी कराने जा रही है।
 - 96. श्री मालाराम गंगवाल क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) रघुवीर नगर में जो ख्याला पुलिस स्टेशन पार्क की जगह में बना हैं, उसे ख्याला में कब तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लोक निर्माण को इसे स्थानांतरित करने में क्या परेशनियों का सामना करना पड़ रहा हैं?
- (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा थाने का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा; और
- (ग) क्या लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही की है?

- (क) सम्बन्धित पार्क, पी.डब्ल्यू.डी. के अधीन नहीं है।
- (ख) लोक निर्माण विभाग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ग) क्रम संख्या:- 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 75 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 97. श्री नसीब सिंह क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि विश्वास नगर विधान सभा मेa PWD ने एमसीडी से कौन-कौन सी सड़के Takeover की यह, उसका पुर्ण विवरण क्या है;
- (ख) उनके विकास कार्य में किस-किस मद में कितना-कितना खर्चा करने की योजना सरकार ने बनाई है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि इन सड़को पर मरम्मत के नाम पर और नालों की सफाई के नाम पर कई काम किये हैं; और
- (घ) यदि हां, तो वर्ष 2011 व 2012 में क्या काम किये गये हैं, उनका पूर्ण विवरण क्या है?

- (क) जी हॉ, संलग्न-'क' के अनुसार।
- (ख) संलग्नक-'ख' के अनुसार।
- (ग) इन सड़को पर मरम्मत और नालों की सफाई के कार्य किए गए हैं।
- (घ) वर्ष 2011-NIL वर्ष 2012 में-क्योंकि यह कार्य मंडल स्तर पर किए जाते हैं जिसमें कई विधान-सभा क्षेत्र आते हैं, अत: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से पूर्ण ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। इस विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम रोड पर लगभग 40 लाख रूपए का कार्य किया जा चुका है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 76 5 सितम्बर, 2012

विषयः दिल्ली -सभा में दिनांकः 05.09.2012 के लिए निर्धारति माननीय विधायक श्री नसीब सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्याः 97 के संबंध में।

- 1. Vikas Marg Red Light to Jitar Nagar.
- 2. New Rajdhani Enclave to DJB office.
- Zonal office Road, Karkari Road to Road No. 57, 57 Hans Appartment & New Sanjay Amar Colony.
- 'A' Block Surajmal Vihar Market to Shanti Vihar (Road No.58A to Road No. 72)
- 5. Shreshta Vihar (H.No.120) to Jagriti Enclave (H.No.228)
- 6. Rishab Vihar, Vikas Marg to Maharaj Surajmal Marg.
- 7. Jai Laxmi to Sai Chowk.
- 8. Kailash Apartment to Pancmahal Apartment.
- 9. Bathla Apartment to Engineers Apartment.
- 10. House Tax Building to Agarshan Apartment.
- 11. 60 Feet Road, 18 Quarter to Road No.57.
- 12. Balco Market to Baptist School.
- 13. Prince Apartment to Amarpali Apartment.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 77 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- 14. Oriental Apartment to Vandana Apartment.
- 15. Narwana Apartment to Trilok Apartment.
- 16. Trilok Apartment to My Fair Apartment.
- 17. Patparganj Road to Vikash Marg.
- 18. Rama Krishna Apartment to Sahyadhi Apartment.

Sd/-

उप-निदेशक (अनुविक्षण)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

विषयः दिल्ली विधान-सभा में दिनांक 05.09.2012 के लिए निर्धारित माननीय विधायक श्री नसीब सिंह द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्याः 97 के संबंध में।

78

S.No.	Name of work, Estimate	Estimated Cost in Crores
1.	Imrprovement of various Roads) Takenover form MCD) udner Division M-211 Dg, 2012-13 Sh: Patparganj Road from Madhuban Chowk, Vik Marg to Jheel	12.31 Tas
2.	Improvement of various Roads(taken over form MCD) under Divisoin M-211 Dg, 2012-13 Sh: Re From (1). ESI Hospital Road, ESI Hospital to C Block, Jhilmil. (2) Shaheed Bhagat Singh Marg, (block Vivek ph-II) to ITI Vivek Vihar. (3)Road al A block Jhilmil, Shaheed Bhagat Singh Marg to A Jhilmil Colony. (4) Shiva khand Road, Shivakhan to Govind khand. (5) Road along B block Jhilmil Shaheed Bhagat Singh Marg(B-block Jhilmil) (6) from Rishabh Vihar and Kiram Vihar to Vikas M	A ong A-1 d , Road
3.	Improvement of various Roads (taken over from MCD) under Division M-211 Dg. 2012-13. Sh: (1 Raod from Surajmal Vihar Market A-block to Sha Vihar (2) Road From zonal office MCD to Sanjay Amer Colony and Road No. 58 near Hedgewar H (3) Road from Srestha Vihar To Jagriti Enclave	anti y
4.	Improvement of various Road (taken ove form M under Division M-211 Dg. 2012-13. (1) Periphera (Vivekanand Mahila College to Ram Mandir via Vivek Vihar) (2) Booster pumpin Station opp. B-1	lRoad ITI

to A-block Market Vivek Vihar. (3) Sant Lal Gupta Marg.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

5. Improvement of various Road (taken ove from MCD) 3.24 under Division M-211 Dg.2012-13 Sh:(1) Kailash Apartement to Panchmahal Apartment in I.P. Extention.
(2) Bathla Apartment to Panchmahal Apartment in I.P. Extention.
(3) Sahadra Road fromDrainNo,- I to Dhalao Sanatan Dharam School.

79

- 6. Improvement of various roads (taken over from MCD) 4.11 under division M-211 Dg.2012-13 Sh: (1) Jai laxmi Apartment to sai chowk in I.P. Extension (2) House Tax Building to Agarsain Apartment in I.P. Extension (3) DCP offie to Shahadara Road. Shalimar Park.
- Improvement of various Roads (taken over form MCD) 5.82 under Division M-211 Dg. 2012-13 Sh: (1) Bhola Nath Nagar Road from Railway line to Babu Ram (2) Road No.57 to Gagan Vihar house no.303 (3) Road No.57 18 qtrs. (60 feet Road. Vishawas Nagar)
- Improvement of various roads (taken ove from MCD) 8.59
 Sh: (1) Prince Apartment to Amarpali Apartment in I.P. Extension. (2) Oriental Apartment to Vandhan Apartment in I.P. Extension. (3) Patparganj Road (Nagraj Raod, Vikas Marg to Patparganj Road)
- 9. Improvement of various roads (taken over from MCD) 4.43
 (1) Balco Apartment to Baptist School in I.P. Estnesion.
 (2) Narwana Apartment to Trilokia Apartment in I.P. Extention. (3) Triloka Apartment to May Fair apartment in I.P. Extention (4) Rama Krishna apartment to Sahyadri Apartment in I.P. Extension.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 80 5 सितम्बर, 2012 98. श्री नसीब सिंहः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि कडकडी मोड़ पर डी.डी.ए द्वारा लूप बनाये जाने की योजना
 थी जिसमें पी.डब्ल्यू.डी ने डिपोजिटवर्क में दो करोड़ किसी मद में दिये थे और
 नोएडा मोड़ पर भी लूप बनाये जाने की योजना को मंजूरी दी गई थी?
- (ख) क्या कारण है कि इन योजनाओं को निरस्त कर दिया गया है, उनके वर्क ऑर्डर की कापी योजना के मैप सहित व जिन आपत्तियों के कारण उनकों रिजैक्ट किया गया, उनका पुर्ण विवरण क्या है,
- (ग) क्या भाविष्य में इन पर कोई फुट- ओवर ब्रिज बनाने की योजना है? और
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों नही, यदि हॉ तो कब तक?

- (क) जी हां।
 - कड़कड़ी मोड जंक्शन वी.आर.टी.कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, अत: इसे यूटीपेक ने ड्रॉप कर दिया है।
 - नोएडा मोड़ पर दो स्लिप रोड़ व तीन लूप का कार्य होना था जिसमें से फेज-1 के अंतर्गत दो स्लिप रोड का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। तीन लूप का कार्य इस रूट पर बी.आर.टी. की योजना के कारण यूटीपेक ने ड्रॉप कर दिया है।
- (ख) वांछित सूचना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए) से अपेक्षित है।
- (ग) क्रम संख्या-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्षण में लागू नहीं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 81 भाद्रपद 14, 1934 (शक) (घ) क्रम संख्या- 'ख'के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

99. श्री ओ.पी.बब्बर क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों के रख-रखाव हेतु शिक्षा निदेशालय द्वारा लोक निर्माण विभाग को कितना बजट उपलब्ध करवाया गया है?
- (ख) क्या यह सत्य है कि 2385 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है? यदि हॉ, तो डिस्ट्रिक सैंटर से मीरा बाग (पश्चिमी जोन), आउटर रिंग रोड़ को सिंग्नल फ्री बनाए जाने की कोई योजना सरकार के विचारधीन है? और
- (ग) यह हॉ, तो उपरोक्त कार्य पूरा करने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

- (क) सभी विद्यालयों के लिए एक मुश्त बजट उपलब्ध कराया जाता है। उसमें से लगभग रू. 60 लाख का बजट तिलक नगर विधान-सभा क्षेत्र के विद्यालयों के लिए है।
- (ख) जी हां। डिस्ट्रिक्ट सैंटर से मीरा बाग (पश्चिमी जोन), आउटर रिंग रोड सिग्नल-फ्री बनाए जाने पर लगभग रू. 560 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जोकि डिस्ट्रिक सेंटर से वजीराबाद तक आउटर रिंग रोड को सिग्नल -फ्री बनाए जाने पर लगभग रू. 2238 करोड़ की योजना को मिली प्रशसनिक अनुमति का एक भाग है।
- (ग) इस योजना को अप्रैल, 2015 तक पुरा होने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 82 5 सितम्बर, 2012 100. श्री ओ.पी.बब्बर क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय के पत्र सं. 14(15)/09 आरएन/2618/3683 दिनांक: 09.12.2009 के तहत एक विस्तृत प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था जिसमें लाला गणेश खत्री मार्ग के विस्तारीकरण/नवीकरण द्वारा उसके यातायात भार को हल्का करने का आदेश दिल्ली जल बोर्ड, बी.एस.ई.एस. एम.टी.एन.एल. दिल्ली नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था? और
- (ख) उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) लाला गणेश खत्री मार्ग अप्रैल, 2012 में ही दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित हुआ है, अत: माननीय विधान-सभा सदस्य द्वारा प्रश्न में वर्णित 2009 के प्रस्ताव की लोक निर्माण विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।
- (ख) लाला गणेश खत्री मार्ग के नीवनीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग ने अप्रैल, 2012 के पश्चात एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसके लिए ए./ए./एवं ई./एस. प्राप्त हो गई है। निविदाएं खोली जा चूकी है और कार्य मानसूत्र के पश्चात माह अक्टूबर 2012 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

101. श्री प्रहलाद सिंह साहनी क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विश्वनाथ आश्रम बेला रोड सिविल लाईन से विद्यार्थी एवं

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 83 भाद्रपद 14, 1934 (शक) श्रद्धालू रिंग रोड पार करक यमुना में स्नान एवं पूजन करने के लिए जनता जाती है, और रोड पार करते समय अक्सर इस जगह पर दुर्घटना होती रहती है?

- (ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार की इस जगह पर रिंग रोड पार करने के लिए कोई फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना है? और
- (ग) यदि हां, तो कब तक इस जगह पर फुटओवर ब्रिज बन सकेगा, इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) इस जगह पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के योजना सब-वे कमेटी द्वारा मंजूर की जा चुकी है। योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- (ग) इस फुट ओवर ब्रिज की ड्रांइंग तथा प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया जारी है। प्राक्कलन को जल्द ही सक्षम अधिकारी को भेज दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की प्रशासनिक अनुमति व व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के 9 माह के अंदर इस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर दिया जाएगा।

102. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

 (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग को साठ फुटी चौड़ी सड़के सौंपी है, उनका रख-रखाव कब तक आंरभ होगा, और अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 84 5 सितम्बर, 2012

 (ख) यदि हॉ, तो चांदनी चौक, विधान सभा के अन्तर्गत मैगजीन रोड मजनु टीला, हेमिल्टन रोड कश्मीरी गेट, अंडर हिल रोड, राजपुर रोड, नया बाजार रोड, तथा सभी चांदनी चौक विधान सभा के अंतर्गत आने वाली सड़को का पूर्ण विवरण दें?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) सड़कों का विवरण संलग्नक 'ए' एवं 'बी' के अनुसार है।

LIST OF ESTIMATES CONTINGENCY OF CHANDNI CHOWK

S.NO.		AMOUNT in Rs Crore)
1.	Improvement of other PWD Roads and up-gradation of street lighting (G.T. Road, Barran Road, CNG Crematotium Road) takenover MCD under Sub-Division M-4131 PWD.	2.96
2.	P/L mastic wearing coarse on Khari Bauli Road,Qutub Road, Church mission Road H.C. Sen Margand junction of SPM Marg in old Delhi area under Division M-413.	3.90
3.	Improvementof Foopath/Central Verge upgradation f street light of H.C.Sen Road Church Mission Road, Khari Bauli Roa Mori Gate road, zorawar singh Marge (Hamiltion Road) and Qutub Road under PWD Divn. M-413.	2.85 ad,

Sd/-Superintending Engineer PWD, CRMC, M-41 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 85 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

कार्यालय प्रमुख अभियंता

O/o The Enginner-in-Chief लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय, दिल्ली सरकार Public Works Department Headquarter, Govt. of NCT of Delhi 12वां तल, बहु-मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002 12th Floor, MSO Building, I.P. Estate, New Delhi-110002 23490260, 23724561, 23311293, 23739423, 23490232 Fax No. 23319021, 23718089 Website : http://www.pwd.delhigovt.nic.in Email : pwdhqdelhi@gmail.com dm@pwddelhi.in

''संलग्नक बी''

विषयः विधान-सभा में दिनांक 05.09.2012 के लिए निर्धारित माननीय विधायक श्री प्रह्लाद सिंह साहनी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के संबंध में पूरक सूचना।

मैगजीन रोड, मजनू का टीला, अंडर हिल रोड, कश्मीरी गेट, गोखले रोड व उसकी एप्रोच रोड टुवर्ड्स निकल्सन रोड, सराए फुस रोड, गोखले रोड व सिटी वाल रोड प्राक्कलन तैया प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं।

राजनिवास, राजपुर रोड, लेथियान रोड, शामशान रोड पर पेचवर्क रिपेयर कार्य किया जा चुका है। चांदनी चौक विधान-सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली की सूची निम्न प्रकार है:

- 1. Rajniwas Marg,
- 2. Rajpur Road (Tis Hazari Red Light to Civil Lines Thana Light),
- 3. Approach Road from Baoulveard Road to City Wall (Mother Dairy),
- 4. Approach Road from Boulevard Road to Nichalson Road.

- 5. Hamilton Road from Phool Mandi to Pul Mithai,
- 6. Hamilton Road from RITZ Cinema to Kela Ghat Red Light,
- 7. Gokle Road from ISBT Metro Station to G.T. Road,
- 8. Magazine Road fromMall road to Road No.45,
- 9. Sarai Phoose Road from Barafkhana Chowk to Pul Mithai,
- 10. Under hill Road from Shyamnath Marg to Rajpur Road,
- 11. Shyam Nath Marg from Boulevard Road to I.P. College Crossing.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 87 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

103. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली रोड खजूरी से लेकर के सभापुर गांव तक पुश्ते वाली रोड को देखरेख का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से किया जाता है।
- (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि पुश्ते की रोड के बराबर सर्विस रोड की देखरेख भी लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है?
- (ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों के अर्न्तगत यू.पी. जल निगम को गन्दे पानी की निकासी के लिये (सीवर व्यवस्था) लाईन डालने के लिये सर्विस रोड पर परमीशन दी गई थी;
- (घ) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सर्विस रोड से पुरे करावल नगर के विधान सभा के लोगों का आना-जाना लगा रहता है? और
- (ड़) यदि हॉ, तो सर्विस रोड को आज दिन तक ठीक न किये जाने के क्या कारण है?
 तथा कब तक सर्विस रोड को ठीक कर दिया जाएगा?

- (क) जी हां। करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रोड खजूरी से लेकर सभापुर गाँव तक की रोड का अनुरक्षण (रख-रखाव) का कार्य लोक निर्माण द्वारा किया जाता है।
- (ख) जी हां।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

5 सितम्बर, 2012

- (ग) जी हां।
- (घ) जी हां।
- (ड़) उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य करने के पश्चात् बी.एस.ई.एस. ने भी कुछ कार्य इस सर्विस रोड पर किया था जिसकी वजह से कुछ कार्य तो कराया नहीं जा सका तथा कुछ कार्य कराने के बाद दोबारा खराब हो गया।

88

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्य करने के पश्चात् बी.एस.ई.एस.ने भी कुछ कार्य इस सर्विस रोड पर किया था जिस की वजह से कुछ कार्य कराने के बाद दोबारा खराब हो गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लाइन डालने के फलस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड की कुछ लाइनें रिएलोकेट हुई जिसके कारण कार्य नहीं हो पाया। अब जबकि विभिन्न एजेंसियो का कार्य पूर्ण हो चुका है, इस रोड की मरम्मत का कार्य 15 सितम्बर तक आरंभ करा दिया जाएगा।

104. श्री मनोज कुमार क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि नांगलोई-नजफगढ़ रोड की हालत बहुत जर्जर है, गहरे-गहरें
 गढ़ढों के कारण अक्सर वाहन खराब हो जाते हैं और जाम लग जाता है?
- (ख) उक्त रोड के निर्माण में देश के क्या कारण है? और
- (ग) विभाग द्वारा कब तक इस रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हां।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 89 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (ख) उक्त रोड के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं है बल्कि कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है और कार्य प्रगाति पर है।
- (ग) क्रम संख्या-'ख' के उत्तर के परिप्रेक्षण में लागू नहीं।

105. श्री मनोज कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) मुंडका विधान-सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें दिल्ली नगर निगम द्वारा लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई हैं?
- (ख) इन सड़कों में कौन-कौन सी सड़क खराब हालत में है? और
- (ग) इन सड़कों पर डेंस कारपेट का कार्य कब तक कर दिया जाएगा?

- (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा मुंडका विधान-सभा क्षेत्र की निम्न तीन सड़कें लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई हैं: (1) रोड न-3 चाँदपुर मोड़ से टटेसर गाँव तक (2) घेवरा बवाना रोड (एम.डी.आर-138) राष्ट्रीय मार्ग संख्या-10 से कंझावला चौक से चाँदपुर मोड़ (3) नांगलोई-नजफगढ़ रोड
- (ख) उपरोक्त सभी की हालत खराब है।
- (ग) उपरोक्त 1 से 2 सड़को की मरम्मत हेतु प्रक्कलन तैयार करके सक्षम प्राधिकरण को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु भेजे गए है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। (3) नांगलोई-नजफगढ़ को सीमेंट-कंकरीट से बनया जा रहा है जिसमें डेंस कापेट की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 90 5 सितम्बर, 2012

106. श्री साहब सिंह चौहानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि माननीय उप-राज्पाल, दिल्ली के साथ डी.डी.ए. के अधिकारियों ने घोंडा विधायक की मांग पर कहा है कि पूर्वी मार्जिनल बांध रोड के यमुना नदी साइड में मिट्टी का भराव व उस पर कार्यक्रम करने के लिए स्थान का निर्माण पीडब्ल्यूडी करे?
- (ख) डी.डी.ए. ने कहा है कि क्योंकि पुश्ता रोड, तो पीडब्ल्युडी के द्वारा बनायी गई है इसलिए वही इस कार्य को करे, और
- (ग) इस संबंध में पीडब्ल्युडी कब तक अनुमान बनाकर कार्य प्रारंभ करेगी?
 लोक निर्माण मंत्री
- (क) लोक निर्माण विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।
- (ख) लोक निर्माण विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
- (ग) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

107. श्री साहब सिंह चौहनः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि यमुना विहार सर्विस रोड, भजनपुरा पेट्रोल -पंप से रोड नं- 66 तक का चौड़ीकरण एवं विकास कार्य हेतु एक अनुमान पीडब्ल्युडी द्वारा बनाया गया है?
- (ख) उक्त अनुमान (ऐस्टीमेंट) कब बनाया गया? कितनी राशि का अनुमान है तथा
 उसका स्टेट्स क्या है? और

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 91 भाद्रपद 14, 1934 (शक) (ग) कब तक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) इस कार्य का अनुमान तैयार किया जा रहा है जिसको सक्षम प्राधिकरण को वित्तीय
 स्वीकृति हेतु 30.09.2012 तक भेज दिया जाएगा।
- (ग) प्रशासनिक अनुमोदन एव वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के दो माह के अंदर कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

108. श्री साहब सिंह चौहानः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के आदेश/निर्णय के अनुसार नगर निगम के अंतर्गत आने वाली 60 फुट व उससे अधिक चौड़ी सड़कों को नगर निगम से पीडब्ल्युडी को हस्तांतरित किया जाए?
- (ख) यदि हां, तो पूर्वी मार्जिनल बांध, गांवड़ी पांचवां पुश्ता घोंडा चौक होते हुए मौजपुर रोड न.-66 तक की रोड 100 फुट चौड़ी है, घोंडा से यमुना विहार डी.टी.सी. डिपों तक रोड 80 फुट चौड़ी है, मार्जिनल बांध चौथा पुश्ता करतार नगर से ब्रह्मपुरी मेन रोड तक 60 फुट चौड़ी रोड और घोंडा चौक से सीलमपुर तक ब्रहपुरी मेन रोड 80 फुट चौड़ी होने के बावजूद पीडब्ल्युडी ने उक्त सड़के पुर्वी दिल्ली नगर निगम से अब तक क्यों नहीं ली? और
- (ग) पीडब्ल्युडी उक्त सड़कें शीघ्र लेकर कब तक कार्यवाही पूर्ण कर लेगी?

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 92 5 सितम्बर, 2012 लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हां।

- (ख) दिल्ली नगर निगम ने अभी तक इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तंतारित नहीं किया है।
- (ग) जैसे ही दिल्ली नगर निगम इन सड़को की विस्तृत जानकारी लोक निर्माण विभाग को रोड हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत करेगा, उक्त सड़कों को अधिग्रहित कर लिया जाएगा।

109. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि आपके विभाग द्वारा चैक किया एक प्राक्कलन (एस्टीमेट0 जो कि लागभग 9 करोड़ रूपए का है, जिसमें न्यू अशोंक नगर स्थित हिंडन नहर पर दो छोटे पुल व किनारों का विकास कार्य होना है, आपके विभाग के पास लंबित पड़ा है? यदि हां, तो, और
- (ख) क्या यह सत्य है कि 9 करोड़ रूपए की राशि वाले ये विकास कार्य जो आपके यहा लगभग एक वर्ष से लंबित पड़े है, कब तक शुरू हो जाएंगे? यदि नहीं तो क्यों?

- (क) जी हां।
- (ख) उक्त प्राक्कलन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से संबधित है। उत्तर प्रदेश सिंचाई

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 93 भाद्रपद 14, 1934 (शक) विभाग के कार्यों के संदर्भ में दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से दिनांक 17.08.2011 **(छायाप्रति संलग्न)** में यह निर्णय किया गया है कि-

- 1. या तो यू पी सरकार जमीन का हस्तांतरण दिल्ली सरकार को कर दे या
- 2. यू पी सरकार अपने फंड से विकास कार्यो को कराए या
- यू पी सरकार इन कार्यों को करने के लिए अनापित्त प्रमाण पत्र प्रदान करें।
 दिल्ली सरकार के निर्णय से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिंनाक 03.09.2011
 एवं पुन: दिनांक: 28.05.2012 (छायाप्रति संलग्न) को अवगत करा दिया गया था जिस पर अग्रिम कार्यवाही उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से अपेक्षित है।

110. श्री सुनील कुमार वैद्यः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि आपका मंत्रालय जनहित में निर्माण व विकास करता है? यदि हाँ तो,
- (ख) त्रिलोकपुरी विधान-सभा क्षेत्र में आपके विभाग द्वारा 2009 से अभी तक किए गए विकास का विवरण राशि सहित देने की कृपा करें? और
- (ग) त्रिलोकपुरी विधान-सभा क्षेत्र में भविष्य में होने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का राशि सहित विवरण देने की कृपा करें?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हां।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 94 5 सितम्बर, 2012 (ख) वर्ष 2009 से अभी तक पूर्ण किए गए कार्यों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) भविष्य में कराए जाने वाले कार्यों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

111. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) गोकुलपुरी विधान-सभा क्षेत्र में सेवा धाम रोड पर नाले बनाने की योजना विचाराधीन है?
- (ख) यदि हां, तो यह नाले कब तक बनाए जाएंगे?
- (ग) क्या यह सत्य है कि इस रोड के लिए फंड स्वीकृत हो गया है? और
- (घ) यदि हां, तो इसकी एस्टीमेंट की सूची देने की कृपा करें?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) इस कार्य का अनुमान बनाया जा रहा है शीघ्र ही सक्षम अधिकारी को स्वीकृति
 हेतु भेजा जाएगा तथा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत यह कार्य शुरू किया जाएगा।
- (ग) जी हां।
- (घ) सेवाधाम रोड के सुधार के अनुमान की स्वीकृति दिनांक 07.08.2012 को मिल चुकी है। इसमे नाले के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है इसके लिए अलग से ऐस्टीमेट (प्राक्कलन) बनाकर भेजा जा रहा है।

112. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

 (क) गोकुलपुर विधान-सभा क्षेत्र में सेवा धाम रोड लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जानी थी? अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 95 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

(ख) यदि हां, तो यह रोड आज तक क्यों नहीं बनाई गई?

- (ग) क्या यह सत्य है कि इस रोड के लिए फंड स्वीकृति हो गया है? और
- (घ) यह रोड कब तक बना दी जाएगीं?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) यह रोड अभी कुछ माह पहले ही दिल्ली नगर निगम से लोक निर्माण विभाग के पास हस्तांतरित हुई है। इस सड़क के लिए अनुमान की स्वीकृति मिल गई है। यह कार्य नवंबर, 2012 में प्रारंभ हाने की संभावना हैं।
- (ग) जी हां।
- (घ) यह रोड नवम्बर, 2013 तक (लगभग एक वर्ष) में बना जाएगी।

113. श्री जय किशनः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग को सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र के विद्यालयों
 में 50 एसपीएस कमरे बनाने के लिए फाइनेंस विभाग से मंजूरी मिल गई है?
- (ख) यदि हां तो इन कमरों का निर्माण कब से शुरू हो जाएगा?
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में गार्मियों
 में ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगाए जाते हैं?
- (घ) यदि हां, तो सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र के कितने विद्यालयों में वाटर कूलर लगाए गए हैं, और

5 सितम्बर, 2012

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 96 (ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

- (क) जी नहीं। किसी भी क्षेत्र के विद्यालयों में एस.पी.एस कमरों के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। प्राक्कलन को लागत के अनुसार शिक्षा विभाग निर्धारित नीतियों के अनुसार अपनी क्षमता या वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त लो.नि.वि. को प्रशासनिक अनुमादेन एवं व्यय स्वीकृति जारी करता है। सुलतानपुर माजरा क्षेत्र के सुलतानपुरी सी-ब्लाक के स्कूल में 50 एस.पी. कमरो के निर्माण हेतु रू0 5.81 करोड़ का प्राक्कलन शिक्षा विभाग को 11.01.2012 को 23 (एम-34)/एम-3/ई.ई(यों)/69 द्वारा भेजा गया था। प्राक्कलन पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अपेक्षित है। लो.नि.वि. के पास यह जानकारी नहीं ही कि इस प्राक्कलन पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है अथवा नहीं क्योंकि यह मामला शिक्षा विभाग के तत्वाधान में है। सुलतानपुर माजरा क्षेत्र के सुलतानपुर माजरा स्कूल में 12 एस0पी0एस0 कमरों के निर्माण हेतु रू0 91.02 लाख की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति 03.01.2012 को प्राप्त हुई है तथा निविदांए प्राप्त हो गई है।
- (ख) सुलतानपुरी सी-ब्लॉक के स्कूल में 50 एस0पी0एस0 कमरों का निर्माण स्वीकृति
 प्राप्त होने के पश्चात नियोजित किया जायेगा। सुलतानपुर माजरा स्कूल के 12
 कमरों के निर्माण का कार्य सितम्बर, 2012 में प्रारम्भ करने की योजना है।
- (ग) संबधित विद्यालयों से रिक्वायरमेंट प्राप्त होने के बाद संपूर्ण विभागीय प्रक्रिया पूरी होने एवं फंडस उपलब्ध होने की स्थिति में वाटर कूलर जगाए जाते हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 97 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (घ) सुलतानपुर माजरा क्षेत्र के विद्यालयों में लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक वाटर कूलर नहीं लगाए है।
- (ड) संबधित विद्यालयों से न ही रिक्वायरमेंट प्राप्त हुए हैं और न ही फंडस उपलब्ध कराए गये हैं।

114. श्री प्रहलाद सिंह साहनीः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार के पास काफी मात्रा में गेहूं का भंडार पड़ा है, जो खराब हो रहा है,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार झुग्गी वालों के अतिरिक्त सफेद राशन कार्डधारकों को भी गेहूं उपलब्ध कराने की योजना बना रही है,
- (ग) यदि हाँ, तो उन राशन कार्डधारकों के राशन कार्ड पर राशन उपलब्ध कराने के लिए मोहर कब तक लगा दी जाएगी, और
- (ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

- (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम दिल्ली क्षेत्र में भडारित खाद्यान्त सुरक्षित है।
- (ख) ऐसी कोई योजना विचारधीन नहीं है।
- (घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
- (ड़) केन्द्र द्वारा दिल्ली सरकार को जो कोटा जारी किया गया है वह वर्तमान में मौजूदा

- अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 98 5 सितम्बर, 2012 ए.पी.एल.(स्टैण्ड), बी.पी.एल. जे.आर.सी. ए.ए.वाई. होमलेस और अन्नपूर्ण कार्डों के लिए ही पर्याप्त है इसीलिए वर्तमान में ए.पी.एल. अनस्टैम्प्ड कार्डो पर राशन नहीं दिया जा रहा है।
 - 116. श्री कुलवंत राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र में ए.पी.एल. कार्डो पर मोहर लगाकर उनको राशन देने की सूची में सम्मिलित किया गया था,
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि मोहर लगने के बाद भी बहुत से लोगों को आज तक राशन नहीं दिया जा रहा हैं,
- (ग) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है, क्या इनको भविष्य में राशन मुहैया करवाने की कोई योजना विचाराधीन है, और
- (घ) सर्कल संख्या 6 व 7 में किन-किन ए.पी.एल. कार्डधारियों को राशन मुहैया करवाया जाता है व किन-किन कार्डधारियों को राशन नहीं दिया जाता है उनके नाम व पतें के साथ सूची मुहैया करवाई जाए?

ऊर्जा मंत्री

(क) जा हाँ।

- (ख) जी नही। सभी मुहर लगे वैध ए.पी.एल. राशन कार्डो पर राशन दिया जा रहा है।
- (ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं।
- (घ) सर्कल संख्या 6 व 7 में ए.पी.एल. कार्डधारियों को राशन मुहैया करवाया जाता है
 तथा जिन कार्डधारियों को राशन नहीं दिाया जाता, उनकी सूची सीडी में संलग्न है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 99 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 117. श्री कुलवंत राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में सभी राशन दफतरों को कम्प्यूटराईज किया गया है,

- (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि ज्यादातर समय इन कम्पयूटरों को सर्वर से सम्पर्क टूटा रहता है,
- (ग) क्या यह सत्य है कि आम जनता को कम्प्यूटर बन्द होने से उत्पन्न होने वाली समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है।
- (घ) सरकार ने सर्कल कार्यालयों में किस आधार पर कम्प्यूटरों की संख्या निर्धारित की है,
- (ड़) क्या यह सत्य है कि जनसंख्या के हिसाब से अभी सर्कल कार्यलयों में लगाए गए कम्प्यूटरों की मात्रा पर्याप्त है,
- (च) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के सर्कल कार्यालय में कितने कम्प्यूटर हैं, जनसंख्या के अनुपात में नियमानुसार वहां पर कितने कम्प्यूटर होने चाहिए, और
- (छ) वर्तमान में कितने कम्प्यूटर है, यदि वहां पर कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है?

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी नहीं।
- (ग) फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर भी समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए विभाग ने इंटरनेट ब्राडबैंड कनेक्शन की स्पीड को 512
 KBPS से बढा़कर 02 MBPS कि दिया है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 100 5 सितम्बर, 2012

- (घ) पी.डी.एस. साफ्टवेयर को कार्यप्रणाली के अनुसार एक कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, एक कम्प्यूटर निरीक्षक के लिए एवं एक कम्प्यूटर खाद्य संभरण अधिकारी के लिए दिए गए है।
- (ड़) जनसंख्या से कम्प्यूटर का निर्धारण नहीं किया जाता है अपितु विभाग की जरूरत के आधार पर कम्प्यूटर लगाए जाते है। वर्तमान में सभी मंडल कार्यालयों में कम्प्यूटरों की संख्या पर्याप्त है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 100 जी.आर.सी. सेन्टर भी खोले गए है जहाँ पर राशनकार्ड सें संबधित आवेदन प्राप्त किए जाते है।
- (च) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के सर्कल कार्यालय में तीन कम्प्यूटर हैं। इसके अतिरिक्त एक जी. एवं आर.सी. भी स्थापित किया गया है।

118. श्री कुलवंत राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सत्य है कि दिल्ली सरकार राशन के बदले परिवार के मुखिया को 600 रूपए
 प्रतिमाह की राशि देने की योजना बना रही है,
- (ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन-किन लोगों को शमिल कियाजाएगा एवं इसके मापदंड क्या होंगे, और
- (ग) सरकार द्वारा यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी?

- (क) जी हाँ
- (ख) 'दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम' के अन्तर्गत एसे कमजोर परिवार (जिन्हें कैबिनेट निर्णय संख्या 1921 दिनांक 13/8/2012 द्वारा परिभाषित और चिन्हित किया गया है) जो

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 101 भाद्रपद 14, 1934 (शक) बी.पी.एल./अन्नपूर्णा/अन्त्योदय कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे हैं, उन परिवारो को रू 600/- प्रतिमाह नकद खाद्य सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।

(ग) इस योजना को इसी वित्त वर्ष में लागू कर दिया जाएगा।

119. श्री सतप्रकाश राणाः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) दिल्ली में अब तक कुल एसे कितने नए राशन कार्ड हैं, जिन पर राशन लेने के लिए स्टैंम्प नहीं लगी है।
- (ख) इस संबंध में सरकार की क्या योजना है, क्या इन कार्डो पर राशन लेने के लिए सरकार द्वारा स्टाम्प लगाने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो कब तक,
- (ग) क्या इन लागों को गरीब परिवार को मिलने वाली 600 रूपए की सहायता स्कीम
 में सम्मिलित किया जाएगा, और
- (घ) यदि हाँ, तो कब तक व नहीं तो क्यों नही?

- (क) ऐसे ए.पी.एल. कार्डो की संख्या 1608487 है। जिन पर राशन नहीं दिया जा रहा है।
- (ख) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
- (ग) ''दिल्ली अन्न्श्री कार्यक्रम'' के अन्तर्गत ऐसे कमजोर परिवार (जिन्हें कैबिनेट निर्णय संख्या एवं 1921 दिनांक 13/8/2012 द्वारा परिभाषा और चिन्हित किया गया है) जो बी.पी.एल.

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 102 5 सितम्बर, 2012

 (घ) अन्नपूर्णा/अन्त्योदय कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभांवित नहीं हो रहे हैं, उन परिवारों को रू 600/- प्रतिमाह नकद खाद्य सहायता प्रदान की जाएगी।

120. श्री सुनील वैद्यः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि Quality Control Committee त्रिलोक पुरी विधान सभा की कितनी मीटिंग हुई है, वह नहीं हो रही, तो क्यों नहीं,
- (ख) राशन के संबंध में Quality Control Committee के क्या-क्या कार्य हैं, और
- (ग) त्रिलोक पुरी विधान सभा का प्रस्तावित F.S.O office -25 ब्लाक त्रिलोक पुरी के निर्माण में हो रही देरी के कारण बताए?

- (क) ऐसी कोई कमेटी विभाग द्वारा गठित नहीं की गई है।
- (ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।
- (ग) खाद्य एव संभरण विभाग द्वारा स्लम को भूमि आवंटन करने हेतु दिनांक 20.01.2011 को पत्र लिखा गया था, उसके बाद स्लम विभाग को नक्शे का नमूना भी दिनांक 05.05.2011 को भेजा जा चुका है। दिनांक 17.09.11एवं 07.02.2012 को एक बार फिर से अनुस्मारक पत्र भेजे गए, लेकिन अभी स्लम विभाग द्वारा भूमि का आंबटन नहीं किया गया है। स्लम विभाग द्वारा भूमि का आंबटन होते ही मंडल कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 103 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 121. श्री जय किशनः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि सरकार ए.ए.वाई., बी.पी.एल. जे.आर.सी. कार्डधारी को केरोसिन के स्थान पर सिलेंडर देने जा रही है,
- (ख) यदि हाँ, तो ए.पी.एल. मोहर लगे कार्डधारियों जो केरोसिन प्रयोग करते है, उनके
 लिए सरकार की क्या पालिसी है,
- (घ) यदि नही, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) ए.पी.एल. मोहर लगे कार्डधारियो को, विभाग द्वारा, केरेसिन दिया ही नहीं जा रहा है।
- (ग) जी नहीं।
- (घ) विभाग द्वारा केवल बी.पी.एल. ए.ए.वाई एवं ए.पी.एल. (जे.आर.सी) कार्डधारियों को ही मिट्टी का तेल दिया जा रहा है और अब ऐसे कार्डधारियों को मिट्टी के तेल की जगह गैस सिलेंडर दिए जाने की योजनाएं है।

122. श्री जय किशनः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार की दिल्ली में और बी.पी.एल. कार्ड बनाए जाने की योजना है,
- (ख) यदि हाँ, तो ये कब से बनाये जाएगें,
- (ग) यदि नहीं, तो क्यों?

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 104 5 सितम्बर, 2012 ऊर्जा मंत्री

(क) अभी इस प्रकार की कोई योजना विचाराधाीन नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

 (ग) दिल्ली में बी.पी.एल. कार्डो की संख्या वर्तमान में भारत सरकार द्वारा, दिल्ली के लिए स्वीकृत बी.पी.एल. राशन कार्डो की संख्या के लगभग बराबर है।

123. श्री कृष्ण त्यागीः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) दिल्ली में जारी किए गए राशनकार्डो को, आधारभूत उद्देश्य क्या है, पिछले साढ़े तीन वर्षो में बनाए गए राशनकार्डो पर एस.एफ.ए क्यो नहीं दिया जा रहा है,
- (ग) एस.एफ.ए. प्राप्त करने योग्य राशन कार्डों पर स्टम्पिंग खादय एवं संभरण विभाग द्वारा क्यों नहीं की गई,
- (घ) नए राशन कार्डो को स्टम्पिंग को क्या आवश्यकता है, जबकि इनका प्रयोग केवल
 पी.डी.एस. से एस.एफ.ए. लेने के लिए किया जा सकता है, और
- (ड़) दिनांक 23 जुलाई 2012 के पत्र संख्या बुरारी ए.सी.2/एफएंडएस/201213/69 का जवाब अभी तक लंबित क्यों है?

ऊर्जा मंत्री

 (क) ए.पी.एल. राशनकार्ड वर्तमान में सरकार की नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाए जा रहे है। केन्द्र द्वारा दिल्ली को जो कोटा जारी किया गया है वह वर्तमान में मौजुद ए.पी.एल. (स्टैम्प्ड), बी.पी.एल., जे.आर.सी. ए.ए.आई, होमलेस और अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 105 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अन्नपूर्णा कार्डो के लिए ही पर्याप्त है इसीलिए वर्तमान में ए.पी.एल अनस्टैम्प्ड कार्डो पर राशन कार्डो पर राशन नहीं दिया जा रहा है।

- (ख) वर्तमान में सरकार की अनस्टैम्प्ड ए.पी.एल. राशन कार्डो पर स्टैम्प्ड लगाने की कोई योजना लागू नहीं है।
- (ग) सभी ए.पी.एल. कार्डधारीयों में से ऐसे ए.पी.एल कार्डधारियों को, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रूपए 24,200/- से अधिक तथा रूपए एक लाख से कम थी, चिन्हित करने के लिए उनके कार्डो पर मोहर लगाई गई थी।
- (घ) उक्त पत्र का जवाब लंबित नहीं है इसका जवाब विभाग के पत्र 29/08/2012 द्वारा
 को दे दिया गया है।

124. श्री कृष्ण त्यागीः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कुल कितने बी.पी.एल. कार्ड जारी किए गए
 है, कार्डधारियों का नाम, पता एवं एफ.पी.एस. संख्या पूर्ण ब्यौरा दे,
- (ख) खाद्य एवं संभरण विभाग द्वारा वर्तमान में बी.पी.एल. कार्ड न बनाए जाने के क्या कारण है,
- (ग) आय के आधार पर जब एक बी.पी.एल. का व्यक्ति ए.पी.एल. की श्रेणी में तब्दील हो जाता है तो इसे क्रास चैक करने के लिए विभाग द्वारा क्या नीति अपनाई गई है?

ऊर्जा मंत्री

(क) बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कुल 5453 बी.पी.एल. कार्ड जारी किए गए
 है जिनका ब्यौरा सीडी में सलंग्न है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 106 5 सितम्बर, 2012

- (ख) दिल्ली में बी.पी.एल. कार्डो की संख्या, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा, दिल्ली के लिए स्वीकृत बी.पी.एल. राशन कार्डो की संख्या के लगभग बराबर है।
- (ग) किसी बी.पी.एल. परिवार की वार्षिक आय बढ़कर ए.पी.एल. श्रेणी में आने की जानकारी प्राप्त होने पर क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा फिजीकल वैरीफिकेशन के आधार पर परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करके बी.पी.एल. कार्ड को ए.पी.एल कार्ड में बदलने की कार्यवाही की जाती है।

125. श्री श्रीकृष्ण त्यागीः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) सरकार के नियमानुसार प्रत्येक एफ.पी.एस के साथ कितने कार्ड जोड़े जा सकते है,
- (ख) क्या कुछ ऐसे एफपीएस है जिसके साथ निर्धारित संख्या से अधिक कार्डो को जोड़ा गया है, यदि हाँ, तो बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने एफपीएस हैं, और
- (ग) एफपीएस की कमी होने के बावजूद नए एफपीएस के लाईसेंस जारी किए जाने के कारण है।

ऊर्जा मंत्री

- (क) सरकार के नियमानुसार प्रत्येक एफ.पी.एस के साथ (बिना मुहर लग ए.पी.एल. राशनकार्डों के अतिरिक्त) अधिकतम 1000 कार्ड जोड़े जा सकते हैं।
- (ख) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में 18/8/2012 को एक नए एफ.पी.एस. का लाइसेंस जारी किया गया है जिसकानम्बर 9111/2012 है।

126. श्री मनोज कुमारः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सर्कल न. 8 मुंडका में सन 2008 में ए.पी.एल. रारान कार्डो

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 107 भाद्रपद 14, 1934 (शक) में विभाग द्वारा उन राशन कार्डधारियों के राशन कार्ड पर अंडरटेंकिग लेकर जिनकी आय एक लाख से कम है, मोहर लगाई गई थी,

- (ख) क्या यह सत्य है कि जिन राशन कार्डों पर मोहर लगाई गई थी, उन राशनकार्डधारियों को सस्ती दर पर गेहूं चावल और मिट्टी का तेल मिलता था,
- (ग) कितने राशन कार्डो पर मुहर लगाई गई थी और कितने राशन कार्डो पर गेहूं चावल और मिट्टी का तेल मिलता है,
- (घ) जिन राशन कार्डों पर मोहर लगने के बाद भी उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिलता
 है, उसके क्या कारण हैं?

- (क) जी हां। 2008 में मुडका नांगलोई, नजफगढ़ और बवाना मंडल का हिस्सा था। 2009
 में विधानसभा परिसिमन के पश्चात मुडंका अस्तित्व में आया। 2009 में मुंडका मंडल को 23325 मोहर लगे कार्ड पूर्ववर्ती नांगलोई बवाना मंडलों से प्राप्त हुए।
- (ख) जी हां। मिट्टी का तेल मई 2011 तक मिलता था।
- (ग) 2008 में मुडंका नांगलोई, नजफगढ़ और बवाना मंडल का हिस्सा था। 2009 में विधानसभा परिसिमन के पश्चात् मुंडका मंडल अस्तित्व में आया। 2009 में मुंडका मंडल को 23325 मोहर लगे कार्ड पूर्ववती नांगलोई और बवाना मंडलों सें प्राप्त हुए और 23325 कार्डों पर गेहूं, चावल मिलता है। मिट्टी का तेल मई 2011 से बंद कर दिया गया है।
- (घ) सभी मोहर लग वैद्य ए.पी.एल कार्डों पर राशन मिलता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 108 5 सितम्बर, 2012 127. श्री सुरेन्द्र कुमार क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वित्तीय वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओ0बी0सी0 के कल्याणर्थ सरकार ने कितनी राशि खर्च की है;
- (ख) उक्त राशि कहां-कहां खर्च की गई है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) ब्यौरा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

128. श्री जय किशन क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र को सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग द्वारा अन.जाति बस्तियों
 में विकास कार्यो की कितनी स्कीमे विभाग को प्राप्त हुई हैं;
- (ख) कितनी स्कीमों को विभाग द्वारा मंजूर कर दिया गया है;
- (ग) कितनी स्कीमं लंबित है, और
- (घ) इन स्कीमों के लंबित होने के क्या कारण है?

- (क) सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र के विकास कार्यों की केवल सात स्कीमें (PRoposal) प्राप्त हुई हैं।
- (ख) इन सात में से तीन स्कीमों की स्वीकृति हो चुकी है।
- (ग) केवल चार स्कीमें लम्बित हैं।
- (घ) वांछित दस्तावेजों की उपलब्धता ना होने के कारण लम्बित हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 109 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 129. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि अनु. जा./जन.जा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने अभी तक ई.बी. सर्वे नहीं करवाया है और वो अभी तक लगभग 11 वर्ष पुरानी ई.बी. सूची से ही कार्य चल रहा है;
- (ख) यदि हां, तो नया सर्वे कब तक लागू कर दिया जाएगा और नई सूची कब तक जारी कर दी जाएगी, वर्तमान में जा सूची उपलब्ध है उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं;
- (ग) अनु. जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. विभाग क्षेत्रीय विकास कार्यो हेतु किन-किन योजनाओं के तहत फण्ड करवाता है; और
- (घ) विकास कार्यों को करवाने हेतु फण्ड पास करने में कितना समय लगता है?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी, हाँ। जनगणना 2001 की सूची के आधार पर कार्य किया जा रहा है क्योंकि जनगणना 2011 के प्रगणक ब्लाक स्तर के आंकड़े भारत सरकार द्वारा अभी जारी नहीं किये गये हैं।
- (ख) उपरोक्तानुसार मांगी गई सूची संलग्न हैं।
- (ग) इस विभाग द्वारा क्षेत्रीय विकास कार्य जैसे चौपाल, बारातघर, गली, सड़क एवं नालियों को बनाने/मरम्मत का कार्य अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत फण्ड दिया जाता है।
- (घ) योजना के अनुसार प्राक्कलन एवं वांछित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात, फण्ड उपलब्ध होने पर शीघ्र ही फण्ड की स्वीकृति कर दी जाती है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 110 5 सितम्बर, 2012

	ward no	115		
	Detail of village/Locality	Total Population	SC Population	%age of SCF
4.	Harijan Basti Wazirabad	513	174	33.9
5.	Harijan Basti Wazirabad	691	598	86.5
6.	Harijan Basti Wazirabad	478	195	40.8
7.	Harijan Basti CN 225-288	473	343	72.5
8.	Harijan Basti CN 1-145	1054	380	36.1
9.	Wazirabad Village & Extn. CN901-1050	958	833	87.0
10.	Waxirabad village & Extn. CN 1351-1408	265	122	46.0
11.	Sanjay Camp T.Huts CN 126-275	739	283	38.3
12.	Sanjay Camp T-Huts CN 576-726	690	309	44.8
13.	Sanjay Camp T.Huts CN1-217	784	262	33.4
14.	Timar pur Delhi admn Staff Qtrs Block A 1- Type 114 and 1-6,D-1 to D-11 type Qtrs 1-6 CPWD Qtrs 461-536 including T-huts 1-50 including temple, office, police Post, Enquir office Children park.		233	36.7
15.	Timarpur T.Huts CN 51-221	714	354	49.6
16.	Timarpur (Bishan Basti) T.Huts CN 1-50 including temporary shed Delhi Admn office truck parking	e, 568	276	48.6
17.	Shiv Basti Timarpur T.Huts CN 151-235 Bishan Basti T.hutsCN 301-326. CPWD Qtrs 445-460 including T.Huts 411-420 shops-1 21, mosque, school, licenece authority, service centre, truck parking, traffic police	480	343	71.5
18.	Timarpur (Din Dayal Sharma Marg) CPWD			
	qtrs 121-292	782	265	33.9

Ward No 115

अत	गरांकि	त प्रश्नों के लिखित उत्तर 111		भाद्रपद	14, 1934	(शक)
	19.	Timar pur (Lucknow Road) T.Huts CN 1-	150	635	433	68.2
2	20.	Timarpur (Lucknow Road) T.Huts CN 151	1-300	632	258	40.8
,	21.	Timarpur (Lucknow Road) T.Huts CN450	-590	389	327	84.1
2	22.	Timarpur (Lucknow Road) Dairy No.3 inc T.Huts from1-113 cluster IV block 5 1-32 Type IV storeyed Qtr 665-696	-	358	193	53.9
	23.	Mall Road T. Huts CN 1-125		510	250	49.0
		Malka Ganj Road (Kabir Basti) CN 1-75		592	254	42.9
		Malka Ganj Road(Kabir Basti)CN No.76-	150	574	447	77.9
		Malka Ganj Road(Kabir Basti)CN 151-22		596	531	89.1
	27.	Malka Ganj Road (Kabir Basti)CN No.220	6-300	480	314	65.4
,	28.	Malka Ganj Road(Kabir Basti) CN No. 30)1-375	486	201	41.4
,	29.	Malka Ganj Road (Kabir Basti) CN No.45	51-520	715	429	60.0
	30.	Malka Ganj Road (kabir Basti) CN No.52	1-600	584	257	44.0
	31.	Kabir Basti Roshanara Road CN No.676-7	750	469	175	37.3
	32.	Kabir Basti Roshanara Road CN No.751-8	825	644	252	39.1
	33.	Kabir Basti Roshanara Road CN No.826-9	900	593	328	55.3
	34.	Kabir Basti Roshanara Road CN No.901-9	975	454	371	81.7
	35.	Kabir Basti Roshanara Road CN No.976-1	1050	475	309	65.1
	36.	Kabir Basti Roshanara Road CN No.1051	-1134	481	255	53.0
		Kabir Basti Roshanara Road CN No.1135- and 1to14	-1201	334	282	84.4
		Nehru Kutir Malkaganj CN No.1-121.		538	262	48.7
	39.	Nehru Kutir Malkaganj CN No.122-202		526	424	80.6
4	40.	Nehru Kutir Malkaganj CN No.211-300		657	465	70.8
	41.	Nehru Kutir Malkaganj CN No.307-375		491	478	97.4
	42.	Nehru Kutir Malkaganj CN No.376-450		686	511	74.5
	43.	Nehru Kutir Malkaganj CN No.451-559		504	432	85.7

- अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 112 5 सितम्बर, 2012 130. श्री ओ.पी. बब्बर क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के परिवारो के उद्धार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं है;
- (ख) क्या यह सत्य है कि पिछले कई वर्षो से अनुसूचित जातियों / जनजातियों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया था?

लोक निर्माण मंत्री

(क,ख) सूची अनुलग्नक ''ख'' पर उपलब्ध है।

131. श्री सत प्रकाश राणाः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली में अनुसूचित बस्तियों व चौपालों के विकास के लिए पिछले चार वर्षो में
 कितने-कितने बजट का प्रावधान किया गया हैं;
- (ख) वर्ष अनुसार अनुसूचित बस्तियों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई और कितनी राशि खर्च नहीं हो पाई;
- (ग) महिपालपुर विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन सी फाईलें कितने-कितने दिनों से लंबित है और इन विकास योजना के लिए पैसा आबंटित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) पिछले चार वर्षों के बजट का विवरण संलग्न हैं।
- (ख) पिछले चार वर्षों में खर्च की गई एवं बची हुई राशि का विवरण संलग्न हैं।

अतारांकि	त प्रश्नों	के	लिखित	া ডা	त्तर	113			भाद्रप	द	14,	1934	(शक)
(ग)	2009-10	से	अभी	तक	विकास	कार्यो व	की	168	फाईले	ल	म्बित	हैं।	

(घ) बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले महिपालपुर क्षेत्र से सम्बन्धित केवल एक फाईल ई.बी. नम्बर एवं land owning agency से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 7.4.2011 से लम्बित हैं।

Details of funds allottee for "Improvement of SC/ST Baties"

Year	Approved Outlay	Expenditure Incurred	Balance fund
2008-09	2890.00	2887.60	2.4
2009-10	1800.00	1506.60	293.40
2010-11	1450.00	1111.40	338.60
2011-12	3300.00	2657.21	642.79

131. श्री कुलवन्त राणाः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभा क्षेत्र में अनु.जाति/जनजाति की कुल कितनी आबादी है;
- (ख) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर 33 प्रतिशत से अधिक आबादी
 अनुसूचित जाति/जनजाति की है;
- (ग) चुनाव आयोग दिल्ली/भारत सरकार के अनुसार रिठाला विधान सभा क्षेत्र में
 किन-किन ई.बी. में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक है, उसकी सूची मुहैया करवाई जायें;

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 114 5 सितम्बर, 2012

- (घ) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के निवास क्षेत्र के विकास जैसे कि नालियों, सड़कों व गलियां के लिये संबधित विभाग द्वारा कोई योजना बनाई जा रही हैं;
- (ड़) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी क्षेत्र में विकास कार्यो के लिये बजट का अलग से प्रावधान किया गया हैं;
- (छ) उसकी नियम व शर्ते क्या हैं?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में ई0बी0 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल संख्या 8193 हैं।
- (ख) कुल 28 ई0बी0 में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या 33 प्रतिशत से अधिक हैं।
- (ग) उपरोक्तानुसार सूची संलग्न हैं।
- (घ) वर्तमान में इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत विकास कार्य किये जा रहे है।
- (ड़) जी हाँ। बजट का अलग से प्रावधान हैं।
- (च) जी हाँ। वर्ष 2012-13 के वार्षिक मद में 35 करोड़ रूपयें का प्रावधान है। इस मद से हरिजन बस्तियों के विकास कार्यो जैसे चौपाल, बारातघर गली/नालियों एवं सड़को को बनाने/सुधारने का कार्य किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 115 भाद्रपद 14, 1934 (शक) 133. श्री जसवंत राणाः क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांव तथा एस.सी./एस. टी बस्तियों के विकास कार्यो तथा विभिन्न एस.सी/एस.टी चौपालों के निर्माण की फाईलें निदेशक एस.सी./एस.टी. बोर्ड के कार्यालय में लंबित पडी है;
- (ख) यदि हां, तो इन फाइलों की स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ग) इन लंबति फाइलों की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी, हाँ।

- (ख) वांछित दस्तावेजों, ई0बी0 की प्राप्ति ना होने के कारण सम्बन्धित फाईलों की स्वीकृति नहीं हो पा रही है जिसका विवरण संलग्न है।
- (ग) वांछित दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर शीघ्र ही स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।
 134. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले को अल्पसंख्यक बाहुल जिला माना गया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त जिले में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए भारत सरकार व दिल्ली सरकार द्वारा क्या-क्या सांझा प्रयास किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा स्तर सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए है;

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 116 5 सितम्बर, 2012

- (घ) यदि हां, तो उक्त जिले की किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किन-किन योजनाओ को अंजाम दिया गया हैं;
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने सीमापुरी की पुर्नवास कालोनी, सुन्दर नगरी
 में कई सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है;
- (च) यदि हां, तो उक्त विद्यालय कब तक शुरू किया जाएगा तथा इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी, हाँ।
- (ख) बहुक्षेत्रीय विकास प्रोग्राम के अंतर्गत 07 राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक/सर्वोदय कन्या विद्यालयों में 80 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं 10 रजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक/सर्वोदय कन्या विद्यालयों का निर्माण, 02 नये राजकीय उच्चतर विद्यालयों का निर्माण, 01 आईटीआई में महिलाओं के लिये अतिरिक्त विंग का निर्माण एवं मशीनरी तथा इक्यूपमेंट की खरीद, 01 डिस्पेंसरी का निर्माण, 04 मोबाईल वेन की खरीद, 02 क्षेत्रों में पानी की सप्लाई लाईन का सम्वर्धन एवं 08 राजकीय उन्या उच्चतर माध्यमिक/सर्वोदय कन्या विद्यालयों में कम्प्यूटर कोर्सिस एवं 10 राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक/सर्वोदय कन्या विद्यालयों में कम्प्यूटर कोर्सिस एवं 10 राजकीय की स्कीम/प्रोजेक्ट लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
- (ग) जी, हां।
- (घ) शिक्षा स्तर सुधारने के लिए क्रियांन्वित की जाने वाली योजनाओ का विधानसभा क्षेत्रानुसार ब्यौरा अनुलग्नक ''अ'' पर उपलब्ध हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 117 भाद्रपद 14, 1934 (शक) (च) लोक निर्माण विभाग, निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करेगा और इसके लिए 550.46 लाख रू0 की राशि स्वीकृति की गई है।

क्रम स.	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृति प्रोजेक्ट/योजना
1.	सीलमपुर	न्यू सीलमपुर में सर्वोदय कन्या विद्यालय नं01 एवं
		राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नं2 में 12
		अतिरिक्त कक्षों एवं 02 शौचालय ब्लाक का निर्माण एवं
		कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाईगि का कोर्स। राजकीय उच्चतर
		माध्यमिक विद्यालय न्यू उस्मान पूर में कम्प्यूटर एवं फैशन
		डिजाईनिंग का कोर्स।
2.	मुस्तफाबाद	राजकीय कन्या उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय तुकमीरपुर में
		20 अतिरिक्त कक्षा एवं 01 शौचालय ब्लाक का निर्माण।
		कम्प्यूटर एवं फैशन डिजाईनिग का कोर्स।
3.	सीमापुरी	नन्द नगरी जनता फलैट राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक
		स्कूल में 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण एवं 01 शौचालय
		ब्लाक का निर्माण तथा कम्प्यूटर का कोर्स। सर्वोदय कन्या
		विद्यालय सीमापुरी, न्यू सीमापुरी में 02 शौचालय ब्लाक
		का निर्माण। आई.टी.आई नन्दनगरी में महिला विंग का
		निर्माण एवं मशीनरी तथा इक्यूपमेंट की खरीद। सर्वोदय
		कन्या विद्यालय सीमापुरी में फैशन डिजाईनिंग का कोर्स।
		सुन्दर नगरी में 01 राजकीय माध्यमिक विद्यालय के भवन
		का निर्माण।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 118 5 सितम्बर, 2012

- 4. घोन्डा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक्स ब्लाक ब्रहमपुरी में 08 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण तथ फैशन डिजाईनिंग का कोर्स एवं राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बी-1 यमुना विहार में एक शौचालय ब्लाक का निर्माण एवं कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाईनिंग का कोर्स। सर्वोदय कन्या विद्यालय सी-2 यमुना विहार में कम्प्यूटर तथा फैशन डिंजाईनिंग का कोर्स।
- गांधी नगर बुलन्द मस्जिद, शास्त्री पार्क में सर्वोदय कन्याविद्यालय में
 20 अतिरिक्त कमरों और 02 शौचालय ब्लाक का निर्माण एवं कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाईनिंग का कोर्स तथा 01 डिस्पेंसरी का निर्माण
- 6. बाबर न्यू जाफराबाद में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय का निर्माण। सर्वोदय कन्या विद्यालय में 20 अतिरिक्त कमरों और 02 शौचालय बलाक का निर्माण एवं कम्प्यूटर तथा फैशन डिजाईनिंग का कोर्स तथा 01 डिस्पेंसरी का निर्माण।

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	-	<u> </u>						()
अतारांकित	प्रश्ना	сh	ालाखत	उत्तर	119	भाद्रपद	14,	1934	(शक)

Vocational Training Course

Provision should be made for additional computer labs in the following Muslimdominated school so that compute lateracy cna be promoted Vocoational based courses to some selected organization running in Delhi.

Total Budget allotted Rs. 3.0 crore

Vocational stream to be opened:-

1. Information Computer Technology

S.No.	Name of school		Approx. % of inoritie.	Remarks s
1.	SKV (CRDASS), No. 1 New Seelampur	1105020	60%	Computer
2.	GGSSS No. 2 New Seelampur	1105025	65%	Computer
3.	Govt. school, Buland Masid, Shastri Park	New school	90%	Computer
4.	GGSS, New Usmanpur	110511	55%	Computer
5.	GGSSS, Tukmirpur	1104262	60%	Computer
6.	SKV, Shastri Park	1105021	65%	Computer
7.	SKV, C-2 Yamuna Vihar	1104024	50%	Computer
8.	GGSSS, Janta Flats, Nand Nagri	i 1106115	45%	Computer

The details of equipments andstaff etc. for one Vocational Centre (Information Computer Technology) per school is as under:-(i) It (Basic Computer Education), DTP (Desk Top Publishing), BDP (Business Data Processing) अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

5 सितम्बर, 2012

S.No.	Name of items	Qty required	Approx . rate	Total expenditure approx.
1.	Computer Set	20 sets	28000x20	5,60,000
2.	Computer table	20	25000x20	50,000
3.	Computer Chair	20	1500x20	30,000
4.	Demonstration Table	02	5000x2	10,000
5.	White Board	01	2500x1	35,00
6.	UPS	02	18000x2	36000
7.	Printer	03	7000x21000)
8.	Scanner	01	7000	7000
9.	Hub	02	2000x2	4000
10.	Book case	01	5500	5500
11.	Almirah	01	7000	7000
12.	Reference book	50	200x50	10000
13.	Air conditioner (2 ton)	01	35000	35000
14.	Carpet	04	15000	15000
15.	Teacher Chair (Revolving)	04	3000x4	12000
16.	Curtain cloth	50mt.	200x50	10000
17.	Computer cover	20	300x20	6000
18.	Paper ream	20pkt	200x20	4000
19.	CD Box of 100 Cd pack	One	5000	5000
20.	LCD projector	One	1,00,000	1,00,000
21.	Server with installation	One	2,00,000	2,00,000
22.	Photocopier Machine	One	75000/-	75000/-
	Total			12,05,000

120

Construction of room (Approx. 800Sq. Ft.)= Rs.8,50,000/-

Apart from the above, the following additional expenses are also required

Lab. Installation charges = 35000 approx.

Total cost. -12,05,000+25000+8,50,000 = 20,50,000

Total proposed school 8×20.80 lac = crore (Aprox)

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 121

भाद्रपद 14, 1934 (शक)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI REVENNUE DEPARTMENT: PARLIAMENT CELL 5, SHAMNATH MAR, DELHI

No. F.11/111/DC/PC/VS/314

Dated: 04/09/2012

То

Dy. Secretary (Question Cell) Vdhan Sabha Secretariat, Old Sectt. Delhi-110054

Sub: Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 135 due for 05.09.2012 regarding दिल्ली सरकार द्वारा अनुसुचित जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाने के संबंध में।

Sir,

Please find enclosed herewith para-wise reply of Vidhan Sabha Un-Starred Question No. 135 due for 07/09/2012 on the above-cited subject for necessary action at your end.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(D.K. SAINI) SUB DIVISIONAL MEDGISTRATE-IV(HQ)

Copy for information & necessary action to:-

 Director, Diorectorate of Information & Publication, Old Sectt. Delhi-54

> (D.K. SAINI) SUB DIVISIONAL MEGISTRATE-IV(HQ).

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 122 5 सितम्बर, 2012 135. श्री वीर सिंह धिगानः क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे है,
- (ख) यदि हां,तो जाति प्रमाण-पत्र बनाने में क्या-क्या मुख्य शर्ते को माना जाता है,
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि जाति प्रमाण-पत्र फार्म में 1951 से पूर्व दिल्ली में रहने की शर्त के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र बनाए जाते हैं,
- (घ) यदि हां, तो क्या उक्त शर्ते को लागू रहने से दलित समाज का बहुत बड़ा तबका अपने जाति प्रमाण-पत्र बनवाने में सफल नहीं हो पा रहा है; और
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार दलित वर्ग को आरक्षण का पूरा फायदा देने के लिए उक्त शर्त को समाप्त कराकर पिछले 10 वर्षो से अधिक समय से रहने वाले दलितों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करेगी, यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हां।
- (ख) अनुसूचित प्रमाण-पत्र बनाने के लिए कोई शर्त नहीं है। केवल आवेदक को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य होना चहिए। इस संबंध में राजस्व विभाग दो प्रकार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। एक दिल्ली राज्य के मूल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एवं दूसरा अनुसूचित जाति अन्य राज्य के लिए। दिल्ली का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक के मूल

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 123 भाद्रपद 14, 1934 (शक) निवास को 1951 की तिथि से निर्धारित किया जाता है जबकि अनुसूचित जाति अन्य राज्य प्रमाण पत्र के लिए इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है।

- (ग) जी हां।
- (घ) उत्तर ख के मद्देनजर सभी अनुसूचित जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
- (ड़) जी नहीं,,उक्त शर्त को परिवर्तन करने की शक्ति सिर्फ भारतीय संसद में निहित
 है। इस संबंध में विभाग में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

136. श्री माला राम गंगवाल: क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार दिल्ली में एस.सी/एस.टी. कमीशन का गठन करने की कोई योजना बना रही है;
- (ख) क्या सरकार ने इस सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए है;
- (ग) सम्बन्धित फाईल इस समय किसके पास है, सरकार को कमीशन बनाने में और कितना समय लगेगा; और
- (घ) सरकार की कमीशन बनाने से सम्बंधी क्या सभी तैयारी पूरी हो गई हैं?

लोक निर्माण मंत्री

- (क) जी हाँ।
- (ख) जी हाँ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के ट्रान्सेकशन आफ बिजनेस रूल्स 1993 की धारा 55 के प्रावधान के अन्तर्गत दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति केआयोग के गठन हेतु बिल 2012 को माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव के, द्वारा दिनांक 23.8.2012 को भारत सरकार की अनुमति हेतु गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया है।

137. श्री मनोज कुमारः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार की ओर से क्या योजना है,
- (ख) क्या यह सत्य है कि ऐसे बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा इनके रहने
 व खाने आदि की व्यवस्था की गई है,
- (ग) क्या यह सत्य है की सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को कामकाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, और
- (घ) यदि हाँ तो उसके लिए आवेदकों द्वारा इन औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक होता है?

समाज कल्याण मंत्री

(क) एवं (ख) (1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाये जा रहे हैं, जिनकी सूची संलग्न है। इन संस्थाओं में निराश्रित, अनाथ तथा अन्य जरूरतंमद बच्चों को आश्रय, आहार, चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएं दी जाती है। (2) इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 41 बालगृह तथा 15 open shelter homes चलाये जा रहे है। (3) इन संस्थाओं में प्रवेश हेतु सरकार ने धारा 29 (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2009 अनुसार 07 बाल कल्याण अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 125 भाद्रपद 14, 1934 (शक) समितियों का गठन किया हैं। जिनकी सूची संलग्न है। इन समितियों के आगे इस प्रकार के बच्चों को पेश किया जाता है और ये समितियां बच्चों के हित के अनुसार निर्णय लेती हैं। सूची संलग्न है। (4) उपर्युक्त संस्थाओं में बच्चो को आश्रय, आहार, चिकित्सा, मनोंजन शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह स्वालम्बन की तरफ अग्रसर हों।यह सुविधाएं दिल्ली किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम 2009 के अनुसार निशुल्क प्रदान की जाती है।

- (ग) जी, नहीं।
- (घ) उपरोक्त के अनुसार।

138. श्री सुरेन्द्र कुमारः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

- (क) क्या यह सत्य है कि महिला समाज कल्याण विभाग द्वारा गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2012 तक कितनी विधवाओं, एवं वृद्वों की पेंशन बनाई गई,
- (ख) कितनी विधवाओं और वृद्वों को पेंशन दी गई,
- (ग) कितने पेंशन केस लंबित हैं, और
- (घ) उन्हें कब तक पेंशन उपलब्ध कराई जायेगी?

समाज कल्याण मंत्री

 (क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008-12 तक स्वीकृति किए गए आवेदनों का कारण निम्नलिखित है:-

अतारांकित प्रश्नों के	लिखित उत्तर	126		5 सि	तम्बर, 2012
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वृद्धावस्था पेंशन	1484	1129	596	1023	689
विधवा पेंशन	395	487	199	383	159

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) कोई आवेदन लंबित नहीं हैं।

(घ) पिछले स्वीकृति सभी केसों की धनराशि सभी लाभर्थियों के खाते में पहुचां दी गई है। इस बार के सभी स्वीकृति आवेदनों की धन राशि सितम्बर माह तक सभी लाभार्थियों के खाते में पहुंचा दी जायेगी।

139. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि पूरे वर्ष के दौरान ऑगनवाडी कार्यकत्ताओं और सहायिकाओं को कितना अवकाश दिया जाता हैं तथा एक बार में कर्मचारी कितना अवकाश ले सकते हैं, क्या पूरे वर्ष के दौरान कर्मचारी द्धारा अवकाश न लिए जाने पर उसके अवकाश को अगले वर्ष के अग्रनीत कर दिया जाता हैं?
- (ख) सरकारी कर्मचारियों को पूरे वर्ष में किस-किस प्रकार के अवकाश दिये जाते हैं तथा ऑगनवाडी को इतना अवकाश क्यों नहीं दिया जाता हैं?
- (ग) दिल्ली सरकार द्वारा कितने वर्ष पूर्व इनके मानदेय बढा़ए गये थे तथा केन्द्र सरकार द्वारा कितने वर्ष पूर्व इनके मानदेय बढा़ए गये थें?
- (घ) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए पूरे माह में किये गए कार्य के दिनों के आधार पर इनको मानदेय देने पर विचार करेंगी?

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 127 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (ड़) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार से वास्तव में दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गये श्रम कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा हैं?
- (च) ऑगनवाडी कर्मचारियों के जीवन स्तर तथा मानदेय में सुधार करने हेतु सरकार की आगामी वर्षो में क्या योजना हैं?
- (छ) क्या यह सत्य हैं कि समाज से जुड़े हुए अनेक योजनाओ को इन कार्यकर्ताओं के द्धारा सम्पादित किया जाता है परन्तु मानदेय के नाम पर सरकार उनको कम पैसे देकर उनका शोषण कर रही हैं?
- (ज) वर्तमान में ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं से उनके मूल कामों के अतिरिक्त कौन-कौन से काम लिये जाते हैं?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) भारत सरकार के नियमानुसार, पूरे वर्ष के दौरान ऑगनवाडी कार्यकत्ताओं और सहायिकाओं को 20 दिन का अवकाश दिया जाता हैं। वे एक बार में 10 दिन का अवकाश ले सकती हैं। अवकाश न लिए जाने पर अवकाश को अगले वर्ष क लिए अग्रनीत नहीं किया जाता।
- (ख) सरकारी कर्मचारियों को पूरे वर्ष में निम्नलिखित अवकाश दिये जाते हैं:

आकस्मिक अवकाश	=	8 दिन
अर्जित अवकाश	1 जनवरी से 30 जून	15 दिन
	1 जुलाई से 31 दिसबर	15 दिन
	=	30 दिन

अतारांकित प्रश्नों के लिखि	वत उत्तर 128	5 सितम्बर, 2012
रूग्ग अवकाश	1 जनवरी से 30 जून	10 दिन
	1 जुलाई से 31 दिसबर	10 दिन
	=	20 दिन

ऑगनवाडी केन्द्र भारत सरकार द्धारा प्रायोजित योजना समेकित बाल विकास सेवाओं के अर्न्तगत उन्हीं के द्धारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार चलायें जाते हैं। योजना के अनुसार आगॅनवाडी कार्यकर्ता का पद अवैतनिक हैं तथा नियमित सरकारी कर्मचारी के पद के समान नहीं हैं। इसलिए ऑगनवाड़ी कार्यकताओं को सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश नहीं दिया जाता।

- (ग) अप्रैल 2008 से दिल्ली सरकार द्वारा आंगॅनवाड़ी कार्यकत्ताओं को मानदेय 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह तथा आगंनवाड़ी सहायिकाओं का 200 रूपय प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया गया। भारत सरकार द्धारा 1 अप्रैल 2011 से आगॅनवाड़ी कार्यकत्ताओं का मानदेय 1500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह तथा आगॅनवाड़ी सहायिकाओं का 750 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रूपये प्रतिमाह तथा आगॅनवाड़ी सहायिकाओं का 750 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह किया गया। कुल मिलाकर आगॅनवाड़ी कार्यकत्ताओं को 4000 रूपये प्रतिमाह तथा सहायिकाओं को 2000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता हैं।
- (घ) चाूंकि कार्यकर्ता का पद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) के अर्न्तगत नहीं आता हैं क्योंकि यह अवेतनिक (Honorary) कार्यकर्ता हैं। अत: विचाराधीन नहीं है भारत सरकार से ओदश प्राप्त होने पर ही इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।
- (ड़) चूांकि कार्यकर्ता का पद श्रम अधिनियम (Minimum Wages Act) के अर्न्तगत नहीं आता हैं इसलिए इस संबंध में दिल्ली सरकार द्धारा बनाए गये श्रम कानून का उल्लघंन नहीं हो रहा हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 129 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (च) भारत सरकार द्धारा प्रायोजति योजना होने के नाते भारत सरकारर से प्राप्त आदेशों
 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (छ) आगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्धारा आगॅनवाड़ी में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबधिंत कार्य का ही संपादन कराया जाता हैं। आगॅनवाडी के समय के पश्चात स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करने पर संबधित विभाग द्वारा अतिरिक्त मानदेय दिया जाता हैं।
- (ज) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से उनके कार्य समय (9:00Am-2:00Pm) के दौरान आगंनवाड़ी से संबंधित कार्य ही कराए जाते हैं।

140. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान में चुनाव के मददेनजर आगॅनवाड़ी कार्यकर्ताओं
 को बी.एल.ओ के रूप में काम लिया जा रहा हैं?
- (ख) क्या यह सत्य हैं कि इस प्रकार के काम लेने के सरकार द्धारा इस प्रकार का आदेश दिया जाता हैं कि कर्मचारी अपने मूल काम के अतिरिक्त इस कार्य को अवकाश के दौरान करेंगी?
- (ग) क्या यह सत्य है कि जब इस कार्य पर नियमित कर्मचारियों को लगाया जाता है
 तो उनके मूल विभाग से पूरी तरह उस कार्य हेतु नियुक्त कर दिया जाता हैं?
- (घ) यदि हां, तो आगंनवाड़ी कार्यकताओ को भी क्यों नहीं इसी प्रकार पूरे समय हेतु नियुक्त कर दिया जाता हैं, तथा मात्र एक दिन अवकाश रविवार के दिन भी सरकार उनसे जबरदस्ती बी.एल.ओ का काम क्यों ले रहीं हैं?

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 130 5 सितम्बर, 2012

- (ड़) क्या यह भी सत्य हैं कि बी.एल.ओ. का काम न करने की इच्छुक कर्मचारियों को जान बूझकर धमकी देकर बी.एल.ओ. का काम करवाया जाता हैं तथा उनके पास चुनाव डयूटी का हवाला देकर कार्य न करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही करने का भय दिखाया जाता हैं?
- (च) यदि हां, तो इस प्रकार के अन्याय के क्या कारण हैं तथा कब तक इनका शोषण रोकने हेतु सरकार कारगार कदम उठोयगी?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) विभाग द्वारा ऑगनवाड़ी कार्यकताओं को बी.एल.ओ के रूप में कार्य करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। परन्तु विभाग ने CEO को पत्र लिख कर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को Election Duty पर न लगाने का अनुरोध किया है तथा CEO ने यह मामला Election Commission of India को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया है।
- (ख) उपरोक्त अनुसार।
- (ग) बी.एल.ओ. के कार्य के लिए नियमित कर्मचारियों को चुनाव कार्यालय के आदेशानुसार कार्य पर लगाया जाता हैं।
- (घ) विभाग द्वारा कार्यकताओं को इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं। बहरहाल, विभाग ने CEO को पत्र लिख कर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता को Election Duty पर न लगाने का अनुरोध किया हैं तथा CEO ने यह मामला Election Commission of India को स्पष्टीकरण के लिए भेज दिया हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 131 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

- (ड़) आगॅनवाड़ी कार्यकर्ता का पद अवैतनिक हैं तथा इनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही CCS (CCA) Rule 1965 के अर्न्तगत नहीं की जा सकती।
- (च) लागू नहीं होता।

141. श्री ओ.पी.बब्बर: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा विधवाओ के मासिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता को 1000 रू.
 से बढ़ाकर 1500/- रू. एवं उनकी पुत्रियों के विवाह राशि को 25000/- रू.
 किए जाने को कोई प्रस्ताव विचारधीन है, और
- (ख) सरकार द्वारा गरीब विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए जो औपचारिकताएं
 होती हैं उनको समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) विधवाओं की मासिक पेंशन 1000/-रू. से बढ़ाकर उनकी पुत्रियों की विवाह राशि को 25000/- रू. से बढ़ाकर 30000/-रू. कर दी गई है। इसे 35000/-रू. करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ख) विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए अब केवल दस्तावेज के आधार पर
 स्वीकृति की जाती है। सभी शर्ते को पहले से सरल कर दिया गया है।

142. श्री सतप्रकाश राणाः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) महिपाल पुर विधान सभा क्षेत्र के राज नगर पार्ट-2 महिपालपुर, समालका,

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 132 5 सितम्बर, 2012 कापसहेडा़, विजवासन आदि में कुल कितनी आंगनवाड़ी हैं व कहाँ-कहाँ पर चलाई जा रही हैं?

- (ख) प्रति आगॅनवाड़ी वर्कर व आंगनवाड़ी का नाम व पता सहित पूरी जानकारी क्या हैं?
- (ग) इस क्षेत्र में कुल कितने नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने की योजना हैं?

समाज कल्याण मंत्री

- (क) महिपालपुर विधान सभा क्षेत्र के राज नगर पार्ट-2 में 10 आंगनवाड़ी केन्द्र, महिपालपुर में 13 आंगनवाड़ी केन्द्र समालका में 17 आंगनवाड़ी केन्द्र विजवासन में 12 आंगनवाडी केन्द्र चल रह हैं। इनकी सूची संल्ग्न है।
- (ख) सूची संलग्न हैं।
- (ग) विभाग प्रत्येक क्षेत्र में आंगनवाड़ी की सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में कार्य कर रही हैं। यदि किसी क्षेत्र में अभी भी आंगनवाड़ी की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

133

भाद्रपद 14, 1934 (शक)

Bijwasan

S. No.	AW No.	Worker Name	Aanganwadi Address
1.	62	Santosh	Dispensary Gali Bijwasan
2.	63	Nirmla	Near Silai Center Bijwasan
3.	64	Krishna	Pana bijwasan
4.	65	Bimla	TundaHeda Road Bijwasan
5.	66	Rajeshwari	Harijan Bsti Bijwasan
6.	134	Susheela	Harija Bsati Bijwasan
7.	40	Rekha Devi	Isspur Khea VPO Bijwasan
8.	44	Nisha	Bank Wali Gali Bijwasan
9.	45	Sheela Devi	H.NO 1127 Bijwasan
10.	46	Suman Lata	H.No 450/41 Bijwasan
11.	47	Sunita	Railway Station Bijwasan
12.	48	Babita	H.No. 58 Bijwasan

Samalka

S. No.	AW No.	Worker Name	Aanganwadi Address
1.	182	Suresh	Kuan Wali Gali Samalka
2.	2	Susheela	Mata Wali Gali Samalka
3.	184	Anita	Sonia Gandhi Camp Samalka
4.	185	Veena	Sonia Ganhi Camp Samalka
5.	186	Lokesh	Shiv Mandir Gujjar Colony Samalka
6.	187	Sonu	Ambedkar colony Samalka
7.	188	Lajjawati	Gopalji colony Samalka
8.	41	Asha	Upender Gali no. 2 Samalka
9.	42	Chetna	Mahesh Kumar VPO Samalka
10.	43	Rekha	Jindel Colony Samalka

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

5 सितम्बर, 2012

S. No.	AW No.	Worker Name	Aanganwadi Address
1.	49	Dazy Bala	Gali No.11 Kapashera
2.	50	Kavita	Gali No.13 Kapashera
3.	51	Mamta	VPO Kapashera
4.	52	Mamta Yadav	H.No.326 Kapashera
5.	53	Maumi Yadav	H.No-355 Kapashera
6.	54	Poonam	Gali No-3 Kapashera
7.	55	Poonam Kumari	Gali No. 2 Kapashera
8.	56	Pushpa Devi	H.No.808 Kapashera
9.	57	Rikha Rani	Gali no. 2 Kapashera
10.	58	Rinki	H. No. 459, Kapashera
11.	59	Seema yadav	Gali no-38, Kapashera
12.	60	Sonia	H.No.612 Kapashera
13.	61	Suman Lata	H.No.472 Kapashera
14.	62	Suman yadav	Gali No. 4 Kapashera
15.	63	Sunita	Gali No-6 Kapashera
16.	64	Sunita	Gali No-2 Kapashera
17.	65	Sunita Sharma	H.No. 840 Kapashera

Kapashera

134

Raj Nagar Part-II

S. No.	AW No.	Worker Name	Aanganwadi Address
1.	58	Rekha	RZ 27/A4 Raj Nagar Rapt-11
2.	59	Kiran	RZ-3 Raj Nagr part-II
3.	60	Veena	RZH 706 Raj Nagar part-II
4.	61	Babita	RZH 70A Raj Nagar Part-II

अतारांवि	फ्त प्रश्नों के	लिखित उत्तर	135	भाद्रपद 14, 1934 (शक)
5.	62	Anju		RZH 245 Raj Nagar Part-II
6.	64	Deepa		RZH 732 Raj Nagar Part-II
7.	66	Asha		RZH 11 Raj Nagar Part-II
8.	69	Preeti		RZF 492 Raj Nagar Part-II
9.	70	Seema		RZF 764/12 Raj Nagar Part-II
10.	71	Kanta		RZF 723 Raj Nagar Part-II

Mahipalur

S. No.	AW No.	Worker Name	Aanganwadi Address
1.	114	Shakuntia	A/7 Mahipalpur-37
2.	115	Rajwati	Arjun Park Mahipalpur-37
3.	116	Kavita	F366Mahipalpur
4.	117	Ritu	Tarachand colony Mahipalpur-827
5.	118	Chanchal	Mohalmahpalpur-37
6.	120	Gayatri	68, Mahipalpur-37
7.	121	Santosh	Arjun park Mahipalpur -37
8.	122	Savita	575, Mahipalpur -37
9.	123	Khirpati	K218 Mahipalpur-37
10.	124	Sunita	B27 Mahipalpur-37
11.	130	Mukesh	Gali No-10 Mahipalpuri
12.	133	Tarawati	H.No-19 Gali No-6 Mahipal pur
13.	134	Sudesh	Arjun Camp Mahipalpur-37.

143. श्री अनिल झाः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) महिला बाल विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्ष में कितनी नई योजनाएं प्रारंभ की गई और उनकी पात्रता क्या तथा इन योजनाओं से किस प्रकार का लाभ दिया जाता हैं? अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 136 5 सितम्बर, 2012

- (ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं इनके नाम स्थान फोन नं. और ऑगनवाड़ी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थिति हैं तथा उसके मुखिया का नाम व फोन क्या हैं?
- (ग) आगॅनवाड़ी वर्कर और सहायक को मासिक वेतन कितना दिया जाता है, कितने सहायक वर्करों के पद किराड़ी विधान सभा में रिक्त हैं, पूर्ण विवरण क्या हैं?
- (घ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षो में कितनी विधवाओं विकलागों, बुर्जुग तलाकशुदा महिलाओं एवं निरक्षित महिलाओं की पेंशन लगाई गई पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें?

समाज कल्याण मंत्री

(क) महिला बाल विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार द्धारा प्रायोजित
 निम्नलिखित दो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं:

लाभार्थी

1. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग गर्भवर्त	ो महिला-19 वर्ष से अधिक की आयु
योजना (IGMSY) जिसक	ा पहला व दूसरा प्रसव हो जिसमें उसने
जीवित	बच्चे को जन्म दिया हो और जिसका पति
सरकार	ो कार्यालय/सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम
(केन्द्र	ाय या राज्य सरकार) में काम नहीं करता
हैं। ल	भार्थियों को 4000 रूपये की धन-राशि
उचित	देखभाल हेतु 3 किश्तों में निर्धारित शर्तो
के आ	धार पर दी जाती हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	137 भाद्रपद 14, 1934 (शक)
2. राजीव गांधी किशोरी	इसके अर्न्तगत 11 से 18 वर्ष को किशोरियों को
सशक्तीकरण योजना संबला	पोषहार संबधी सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं
	जिसमें स्वास्थ्य जॉच, आयरन एवं फौलिक एसिड
	की गोलियों का वितरण, जीवन कौशल कला
	शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान हैं।
3. आवाज उठाओं	सरकार में सामाजिक सुविधा संगम के GRC के माध्यम से वर्ष 2011-12 में 60 आवाज उठाओं समूहों का गठन किया। इन समूहों का उद्देश्य महिला सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना एवं जो महिलाएं Sexual Harasssment/Assault से पीड़ित हैं उनको मदद करना हैं।

- (ख) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र में 7 परियोजनायों के अर्न्तगत कुल 375 आगॅनवाड़ी
 केन्द्र चल रहे हैं। इनकी सूची संलग्न हैं।
- (ग) ऑगनवाड़ी वर्कर को 4000 रूपये प्रतिमाह और सहायक को 2000 रूपये प्रतिमाह मासिक मानदेय दिया जाता हैं। सहायक वर्करों का कोई भी पद रिक्त नहीं हैं।
- (घ) निम्न श्रेणियों में प्रदान की जाने वाली पेंशन-

योजना का नाम	लाभार्थी की स.
वृद्धावस्था पेंशन	3586
विंकलाग पेंशन	681
विधवा/निराश्रित	1641

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 138 5 सितम्बर, 2012 144. श्री सुनील वैद्यः क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि त्रिलाकपुरी विधान सभा क्षेत्र में अब तक बेसहारा आवेदन महिलाओं के कितने आवेदन पेंशन के लिए मिलें, कितने Reject हुए और कितने Approve हुए; और
- (ख) आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दें?

समाज कल्याण मंत्री

 (क) त्रिलोक पुरी विधान सभा क्षेत्र में 2008 से अब तक बेसहारा, विधवा महिलाओं के पेंशन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

योजना का नाम	वर्ष	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृति	रद	बकाया
बेसहारा व विधवा पेंशन	2008-09	180	149	31	
	2009-10	319.	261	58	
	2010-11	259	219	40	
	2011-12	299	296	03	
	2012-13	66	56	10	

(ख) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:-(1) विधवा एवं महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 30000 रूपये एक मुश्त राशि देने की योजना। (2) विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/- रू. प्रतिमाह पेंशन योजना। (3) लाड़ली योजना। (4) प्रियदर्शी कामकाजी महिला हॉस्टल, विश्वास अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 139 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

नगर, दिल्ली। (5) महिला कार्य केन्द्र। (6)घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं के लिए महिलाओं की ''घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005'' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं। (7) दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण आधिकारियों को दहेज प्रतिषेध आधिकारी नामित किया गया है। (8) दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लोक, विकास भवन, नई दिल्ली। (9) निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रय गृह। (10) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। (11) आवाज उठाओं। इन योजनाओं के अतिरक्ति दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं। (1) निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली। (2) अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली। (3) महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली। (4) अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली। बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:-(1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं (2) 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी सस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। (3) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं। (4) समेकित बाल विकास परियोजना के अतंर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 106 आंगनबाडी केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

145. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के अन्दर कुल कितने रोजगार कार्यालय कहाँ-कहाँ
 पर स्थित है;

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 140 5 सितम्बर, 2012

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अनुपात के अनुसार यहाँ कर्मचारियों की कमी है; और

 (ग) यदि नहीं, तो वर्ष 2008 से आज दिन तक कुल कितने बेरोगार लोगों का नाम दर्ज किया गया, उनकी संख्या बतायें;

लोक निर्माण मंत्री

- (क) दिल्ली रोजगार निदेशालय के अन्तर्गत 9 जिला रोजगार कार्यालय, (2) विशेष रोजगार कार्यालय (विकलांग व्यक्तियों हेतु), विशेष रोजगार कार्यालय (भूतपूर्व सैनिक हेतु), तथा मार्गदर्शन केंन्द्र कार्यरत हैं। इन कार्यालयों की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।
- (ख) रोजगार निदेशालय में कुल 370 पद स्वीकृति है जिनमें से 117 वर्तमान में कायर्रत है।
- (ग) वर्ष 2008 से 28 अगस्त, 2012 तक कुल बेरोजगार लोगों के नाम 5,93,404 दर्ज है।

146. श्री साहब सिंह चौहनः क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पिछले दस वर्षो में कुल कितने नाम दर्ज हुए है;
- (ख) पिछले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अनुसार सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया है; उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

लोक निर्माण मंत्री

(क) दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पिछले दस वर्षो में 28 अगस्त, 2012
 तक 17,11,791 नाम दर्ज हुए हैं।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 141 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

 (ख) पिछले दस वर्षो में प्रत्येक वर्ष के अनुसार सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया इसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	प्लेसमेंट	
2003	00	
2004	64	
2005	20	
2006	10	
2007	28	
2008	05	
2009	08	
2010	8651	
2011	175	
28.08.2012 तक	1160	

147. श्री वीर सिंह धिंगान क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास किए गए है;
- (ख) यदि हाँ, तो सरकार के प्रयासों से दिल्ली में गत 2 वर्षो में कितने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया है;
- (ग) क्या यह सत्य है कि सरकार भविष्य बढ़ती बेरोगारी पर अंकुश लगाने के कुछ और कदम उठा रही है;

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 142 5 सितम्बर, 2012

- (घ) यदि हाँ, तो सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की दिशा में क्या-क्या कदम उठा रही है;
- (ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद दिल्ली में भारी तादात में पढ़े लिखे युवक, युवतीयाँ रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं; और
- (च) यदि हाँ, तो सरकार रोजगार मिलने तक पढ़े लिखें बेरोजगारों को बेराजगारी भत्ता
 देने पर विचार कर रही है यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक निर्माण मंत्री

(क) यह सत्य है। रोजगार कार्यालय (अनिवार्य रिवती अधिसूचना) अधिनियम 1959 के अर्न्तगत दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न रोजगार कार्यालय को स्थापित किया गया है। नियोक्ता की वांछिक शिक्षा के आधार पर अर्थ्यार्थयों की योग्यता से मिलान करके उपरोक्त अधिनियम के अनुसार ही नियोक्ता को प्रक्षित करता है। अर्थ्यार्थयों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, कौशल एवं अनुभव के आधार पर ऑन लाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। संगठित क्षेत्र के प्रत्येक नियोक्ता को निर्धारित प्रारूप पर अपने अधिष्ठान में होने वाली रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को अनिवार्य रूप सें अधिसूचित किया जाता है, जिसके आधार पर नियोक्ताओं को अभ्यार्थियों के नाम प्रेषित किए जाते हैं। दिल्ली सरकार रोजगार कार्यालय द्वारा दिल्ली के युवाओं के भविष्य हेतु रोजगार बढ़ाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल कर दिया है। रोजगार निदेशालय द्वारा रोजगार मुहैया करने हेतु दिनांक 15.06.2009 से पंजीकरण कार्य को ऑन लाइन कर दिया गया है। नियोक्ताओ को भी नाम प्रषित करने का कार्य दिनांक 06.12.2009 से आनॅ लाइन कर दिया है। नियोक्ता स्वेच्छा, से अपनी रिक्तियां रोजगार कार्यालय की ऑन लाइन सुविधा उपलब्ध है। अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 143 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

(ख) दिल्ली सरकार के रोजगार निदेशालय द्वारा वर्ष 2010-8651, 2011-175 व
 अगस्त 2012-1160 बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया।

- (ग) विभाग द्वारा बेरोजगारो को रोजगार दिलावाने के लिए स्वरोजगार हेतु दिल्ली सरकार के अन्य विभागों द्वारा 'क' में दिए गए विवरण के अलावा क्रियांवित स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन किया जाता है:-(1) प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 लाख रू0 तक का ऋण दिया जाता है। (2) राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत 3 लाख रू0 तक ऋण का प्रवधान है। (3) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 35 लाख रू0 तक का ऋण दिया जाता हैं (4) स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के तहत 50 हजार रू0 का ऋण जिस पर 7500/- सबसिडी शहरी स्वरोजगार के अन्तर्गत है इस योजना के तहत कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं लाभांवित होंगी। (5) बेरोजगार युवको को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबधी अन्य सूचना उपलब्ध कराने का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। (6) विभाग ने अब अल्पकालिक रिक्तियों हेतु बेरोजगार व्यक्तियो का पंजीरण एवं पंजीकृत व्यक्तियों की सूची भेजना भी शुरू किया है। (7) घरेलू आधारित (Home Based) रोजगारों को भी रोजगार प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है।
- (घ) रोजगार विभाग ने दिनांक 15.06.2009 से पंजीकरण प्रक्रिया को ऑन लाइन किया हुआ है तथा बेरोजगारों का नाम नियोक्ताओं को भी नाम प्रषित करने का कार्य दिनांक 06.12.2009 से ऑन लाइन कर दिया है। परन्तु यह विभाग न तो रोजगार मुहैया कराता है और न ही रोजगार सृजन करता है अतएव विभाग में बेरोजगार युवको को रोजगार दिलवाने के लिए स्वरोजगार हेतु मार्गदर्शन किया जाता है।

યુવવત વત રાગમાં વિલયમાં વે મેલેર સ્વરાગમાં હતું માંગવરામાં વિલ્યા ગાળ હો

(ड़) अन्य महानगरों की तरह दिल्ली में भी देश के विभिन्न भागों से रोजगार प्राप्त करने

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 144 5 सितम्बर, 2012 के लिए युवक-युवितयां रोजगार के लिए आते हैं रोजगार विभाग अपने कार्य-कलाप के अनुसार उनकी आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन करता है।

 (च) वर्तमान में बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना का प्रावधान रोजगार निदेशालय दिल्ली द्वारा नहीं है। यह नीतिगत मामला है।

अध्यक्ष महोदयः गौड़ साहब, प्रश्न पूछने के लिए तरविन्दर मारवाह जी सदा तैयार रहते है लेकिन मैंने अभी पूछा आप बोलगे क्या, तो हाथ हिला रहे है। समझौता हो गया है इनका। प्रश्न काल समाप्त। 280 शुरु करें उससे पहले मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगी।

.....अंतरबाधाएँ......

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, कल आपनेअंतरबाधाएँ......

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कहीं है, जो उन्होंने तथ्य कहे हैं मैं अपना एक वक्तव्य देना चाहता हूँ......अंतरबाधाएँ......

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, कल जब यह मामला उठा था, कल आपने.अंतरबाधाएँ......

मुख्यमंत्री: Sir, I would like to place it on the Table of the House also.

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य

Chief Minister : Thank you very much, Sir. Yesterday, an honourable Member of this House, Mr. Harsh Vardhan carried a playcard and the Bhartiya Janta Party led by Mr. Malhotra cast as pensions of corruption against our Government and the Chief Minister in particular. I would like to make small statement clarifying this, Sir.

Number of works were executed by the Delhi Government for organization of the Commonwealth Games, 2010.

Prof. Vijay Kumar Malhotra : इस पर डिबेट होगी क्या, आप कह रहे थे कि इस पर डिबेट नहीं होगी, ये बोलेंगे तो....

Chief Minister : It goes to the credit of the Government of Delhi that all works which were assigned to the Government of Delhi were completed well in time for organizing games which were held successfully. There were some complaints of irregularities committed on account of various aspects, especially, relating to increase in the project cost. History of organizing international games clearly establishes that there have been significant cost escalations everywhere.

The Government of NCT of Delhi has worked in a transparent manner and made the records available to all the concerned agencies including C&AG, the Shunghu Committee, C.T.E., C.B.I. and the C.V.C. The Government of Delhi has also promptly given detailed replies to the issues raised by these agencies. Considering the replies furnished by the GNCTD, the CBI has, till date, not filed a single charge-sheet against any Officer of the GNCTD, leave alone any Minister. In the CC No. 87/1 "Vivek Garg Vs. Sheila Dikshit and another", no judgement has been passed till date. In an order dated 31.8.2012, the Court has observed that the complaints seem to be maintainable in view of the non-furnishing of the information by the Police as sought by the Court and, therefore, has asked the Officers of the Delhi Police to appear in person and furnish the documents. As on date, Government of Delhi has not been found wanting on any account for the conduct of the Games. In fact, in a few cases where investigations have been completed by the CVC/CBI, the matter has been closed.

It has been, sorry, Sir, I have brought this to the attention of this Honourable House, merely to say and to point out that it has always been the practice of the BJP to disrupt all manner of Constitutional functioning be it the Parliament or the Legislative Assembly of Delhi.

.....Interruptions.....

Chief Minister : This is a deliberate attempt to thwart Constitutional provisions and I would urge BJP to follow well established Constitutional and democratic processes rather than resorting to practices which are unconstitutional and only disruptive.

I urge the BJP not to mislead the people by distorting the facts and arguments. You are senior members of a recognized political party. In all humility, I can only say, I hope and pray that they are not conniving with those forces outside our country or inside our country which are trying to destabilize the country. Therefore, I say this.

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य 147 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, कल आपने जब यह मामला उठा था, आपने मुझे कहा था कि यह मामला कोर्ट में है इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता। आज मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं, मैं आपके सामने......अंतरबाधाएँ......

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान एक ऐसे आदमी की और दिलाना चाहता हूँ जो अपने को सबसे बडा़ आरटीआई कार्यकर्ता बताते हुए लोगों को डरा धमका कर......अंतरबाधाएँ......

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी, थोडा़.....अंतरबाधाएँ......

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, कोर्ट ने कहा था भ्रष्टाचार का मामला, कोर्ट ने इसमें यह बात कहीं है। अध्यक्ष महोदय......अंतरबाधाएँ.....

डॉ. हर्षवर्द्धनः अध्यक्ष जी, हम बतायेंगे क्या-क्या भ्रष्टाचार किया है इन्होंने डिबेट कराइये हाउस के अंदर.....अंतरबाधाएँ......

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, विवेक गर्ग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ...... अंतरबाधाएँ..... प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, इन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। नैतिक तौर पर, लीगल तौर पर कोर्ट के Maintainability कहने के बाद मैं यह हाउस में रखता हूँ आपके सामने......अंतरबाधाएँ......

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, विवेक गर्ग क्या चीज हैं, मैं बताना चाहता हूँ, एक वक्तव्य मैं देना चाहता हूँ। मल्होत्रा जी, जरा विवेक गर्ग के बारे में सुन लीजिए। आपको पता चल जायेगा।

.....अंतरबाधाएँ.....

मुख्यमंत्री: मल्होत्रा जी, अगर यह पुलिस का है.....अंतरबाधाएँ.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, कोर्ट ने कहा है और यहाँ पर सीबीआई क्या कर रही है वो सब के सामने है। दूसरा क्या मामला है how can he speak? इन्होंने कल हमें नहीं बोलने दिया। हमें रोका था, दोनों बातें नहीं हो सकती, ऐसे ही बोलते जायेंगे

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, कल आपने कहा था यह कोर्ट में मामला है

.....अंतरबाधाएँ.....

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, विवेक गर्ग के बारे में मैं टेबल करना चाहता हूँ

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. हर्षवर्द्धनः सारे दिल्ली शहर ने देखा और बच्चे-बच्चे ने दिल्ली में देखा कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, सारे अखबारों ने दिया......अंतरबाधाएँ...... मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य 149 भाद्रपद 14, 1934 (शक) प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, अब तो कोर्ट कह रही है, शुंगलू कमेटी कह रही है, सीएजी कह रही है, हरेक आदमी कह रहा है

.....अंतरबाधाएँ.....

परिवहन मंत्री: मल्होत्रा जी, सुन लीजिये, विवेक गर्ग के बारे में सुन लीजिये

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: How can you mention a person who is not a Member of this House.

.....अंतरबाधाएँ.....

परिवहन मंत्री: आप सुनिये तो सही, सीबीआई क्या कह रही है विवेक गर्ग के बारे में। सीबीआई क्या कहती है

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः कोर्ट की बात करिये।

.....अंतरबाधाएँ.....

परिवहन मंत्री: सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा है, मैं टेबल कर रहा हूँ।

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. हर्षवर्द्धन: We are ready for any debate and we willअंतरबाधाएँ...on the Floor of the House.

.....अंतरबाधाएँ.....

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य 150 5 सितम्बर, 2012

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, कल आपने हमें बोलने नहीं दिया, आज आपने कैसे बोलने दिया। कल आपकी रुलिंग है यह मामला कोर्ट में है इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता और आज आपने मुख्यमंत्री को बोलने दिया।

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, मंत्री के प्रिविलेज का मिसयूज किया गया है जी।

.....अंतरबाधाएँ.....

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष जी, रुल 270 के अंदर पब्लिक महत्व पर स्टेटमेंट दिया जाएगा और लिखित में एक बार सेक्रेट्री को एक दिन पहले बताया जायेगा कि परमिट कब करेंगे। यह लोक महत्व का नहीं है

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, नहीं, हमें रोका है, रुलिंग के खिलाफ है it is against these rulings.

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. जगदीश मुखी: अध्यक्ष जी, ये तो रुल कोट कर रहे हैं मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ आपकी रुलिंग का violation है यह, कल आपने रुलिंग दी है मैटर कोर्ट के अंदर है इसे डिस्कस नहीं किया जा सकता। आज मुख्यमंत्री उसे डिस्कस कर रही है। क्या आपकी रुलिंग दो लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है?

.....अंतरबाधाएँ.....

मुख्यमंत्री: Sir, I have a Point of Order.

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य 151 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अध्यक्ष महोदय: सुनिये, देखिये, ऐसा है

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. जगदीश मुखी: रुलिंग अलग-अलग हो सकती है दोनों के लिए?

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः कोई अधिकार इस बात का नहीं है।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: मुखी साहब, ऐसा है आप तो प्रोसिजर को जानते हैं...... अंतरबाधाएँ......

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सब खड़े हो जायें ठीक है यहाँ भी खड़े हो जायें इसका क्या? मुख्यमंत्री सब को खड़ा कर दें......अंतरबाधाएँ......

अध्यक्ष महोदयः मुख्यमंत्री या कोई मंत्री

.....अंतरबाधाएँ.....

डॉ. जगदीश मुखी: वो कह रहे हैं कि वह स्टेटमैंट दे सकती हैं किन्तु स्टेटमेंट देने के लिए मिसयूज किया गया है

> (पक्ष-प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी) (पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदयः सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। (सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई) परिवहन मंत्री द्वारा वक्तव्य 152 5 सितम्बर, 2012

सदन अपराहून 3:25 बजे पुनः समवेत हुआ। अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

परिवहन मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्ष महोदयः श्री साहब सिंह चौहान और कंवर करण सिंह जी प्रतिवेदन के कागजात रखेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, जो सीएम ने सुओ-मोटो स्टेटमैन्ट दिया है, उस पर डिस्कसन हो।

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक ऐसे आदमी की और दिलाना चाहता हूँ......व्यवधान.....व्यवधान.....

श्री साहब सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्टेटमैन्ट टेबल कर दें, पढ़ क्यों रहे हैं? (भाजपा के सभी माननीय सदस्य अपने आसनों पर खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे।)

परिवहन मंत्री: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कि जो अपने को सबसे बड़ा आरटीआई कार्यकर्ता बताते हुए लोगों को डरा-धमका कर रकम ऐंठने के काम में जुटा है। इस आदमी का नाम विवेक गर्ग है और यह भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई सेल का अध्यक्ष है। इस व्यक्ति ने दिल्ली की सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ 3 शिकायतें (complaints) दर्ज कराये हैं, इसके लिए उसे थोक में 1278 सूचनाएँ आरटीआई आवेदन डालकर लेनी पड़ी। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि विवेक गर्ग के खिलाफ सीबीआई ने सरकारी सूचना और कागजात चुराने और उसके बाद लोगों को धमकाने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने सरकार गुप्ता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला संख्या पाँच (5)/2007 दर्ज किया है। इसके अलावा विवेक गर्ग के भागीदार हरिओम गुप्ता भी मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी शिकायतें कराते रहे हैं। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। यह भी संदेह होता है कि ये दोनों श्री गुप्ता के निकट सहयोगी हैं और उनके सलाहकार और सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं।

इस सदन को यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि श्री विजेन्द्र गुप्ता को अपने झूठ के आडम्बर से दुखी होकर 31 अगस्त को जमानत लेनी पड़ी। उन्होंने मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में 15 हजार के निजी मुचलके और 15 हजार रुपये की गारेंटी देकर जमानत ली।

श्री गुप्ता मुख्यमंत्री पर बेवजह, बेबुनियाद, बिना सोचे समझे, केवल समाचार पत्रों में सुर्खियाँ हासिल करने और दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष पद बरकरार रखने का आरोप लगाने का नाटक करते हैं। ये सिलसिला जारी है और अब उन्हें श्रीमती दीक्षित के खिलाफ निराध ार आरोप लगाने का पछतावा हो रहा है। अगर उनके आरोप सही थे और वह अपने दिल से यह मानते थे कि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत किया है तो उन्हें गिड़गिड़ाकर जमानत लेने की कोई जरुरत नहीं थी। अगर वह सच्चे थे जो वह अपनी बात सही दिखाने के लिए जेल चले जाते।

मैं इस सदन में बेहद खेद से कह रहा हूँ कि दिल्ली की राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष ऐसे लोगों को शह देते हैं जो बेवजह आरटीआई का घोर दरुपयोग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री द्वारा वक्तव्य 154 5 सितम्बर, 2012 (भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदयः ये जो मेरी अनुमति के बिना कहा जा रहा है और जो नारे लग रहे हैं। इन सब को कार्यवाही से निकाल दीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः XXXX

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः XXXX

अध्यक्ष महोदयः ये सब सदन की कार्यवाही नहीं आना चाहिए।

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः XXXX

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये हमारे सभी सदस्य जो विपक्ष के सदस्य हैं। वे हाऊस को चलाना नहीं चाहते और इसी तरह से वे हाऊस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि इनको सदन से निकाल दिया जाए। इनके नाम हैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा, श्री जगदीश मुखी, श्री हर्षवर्धन, श्री साहब सिंह चौहान, श्री जय भगवान अग्रवाल, श्री ओ.पी. बब्बर, श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री धर्मदेव सोलकी, श्री रविन्द्र नाथ बंसल, श्री एस.पी. रातावाल, श्री कुलवन्त राणा, श्री सुभाष सचदेवा, श्री नरेश गौड़, श्री मनोज कुमार, श्री अनिल झा, श्री श्रीकृष्ण त्यागी, श्री सुनील कुमार, श्री एस.सी.एल. गुप्ता, श्री श्याम लाल गर्ग और श्री प्रद्युमन को सदन से निकाल दिया जाए।

XXXX चिन्हित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेश से सदन की कार्यवाही से निकाले गए।

परिवहन मंत्री द्वारा वक्तव्य 155 भाद्रपद 14, 1934 (शक)अंतरबाधाएँ.....

(बी.जे.पी. के सभी सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने वैल में आ गए और नारे लगाने लगे।)

.....अंतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः वो नेम नहीं कर सकते।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः श्री रमाकान्त गोस्वामी, परिवहन मंत्री जी का जो प्रस्ताव आया है। जो इसके पक्ष में हैं वे अपने हाथ खड़े करें।

(सदन के अधिकतर सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ खड़े किए।)

अध्यक्ष महोदय: श्री रमाकान्त गोस्वामी, परिवहन मंत्री जी का जो प्रस्ताव आया है। जो इसके पक्ष में हैं वे अपने हाथ खड़े करें।

(सदन के अधिकतर सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ खड़े किए।)

अध्यक्ष महोदयः ये जो नारे लग रहे हैं वो सदन की कार्यवाही में नहीं आयेंगे।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: ये जो सदस्य नेम हुए हैं। हर्षवर्धन जी, श्री साहब सिंह चौहान साहब, श्री जय भगवान अग्रवाल, श्री ओ.पी. बब्बर, श्री मोहन सिंह बिष्ट, धर्मदेव सोलंकी जी, रविन्द्र नाथ बंसल जी, एस.पी. रातावाल साहब, श्री कुलवन्त राणा, रमेश बिधूड़ी जी, समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 156 5 सितम्बर, 2012 सुभाष सचदेवा जी, नरेश गौड़ जी, मनोज कुमार जी, श्री अनिल झा, श्री श्रीकृष्ण त्यागी, श्री सुनील कुमार, श्री सतप्रकाश राणा, श्री सी.एल, गुप्ता, श्री श्याम लाल गर्ग, श्री प्रद्युमन राजपूत आप सब आराम से बाहर जाइए। जिन सदस्यों को नेम किया गया है वो मेहरबानी करके सदन से बाहर जाइए।

.....अंतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः मार्शल इनको बाहर निकालिए। तुम किसलिए खड़े हो, आप लोगों का क्या काम है। इनको बाहर निकालिए। इन सब सदस्यों को सदन से बाहर कर दीजिए। आप इनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित की।)

ससदन अपराहन 3.50 बजे पुनः समवेत हुआ अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानंद शास्त्री) पीठासीन हुए।

समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदयः बोलिये।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से दो बात कहना चाहता हूँ, कल भी सदन में इन्होंने यह मामला उठाया था। यह sub-judiced मामला आपकी निश्चित तौर पर रुलिंग आ चुकी है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस विषय की तकनीकी बारीकी में जाने की आवश्यकता है, जो बवाल जिस तरीके से समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 157

भाद्रपद 14, 1934 (शक)

पॉलिटिकल कॉन्सपीरेसी की जा रही है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति ने एक सिम्पल शिकायत एक Hon'ble ACMM के यहाँ दर्ज कराई। ACMM साहब ने जिन व्यक्तियों के खिलाफ उसने नाम शिकायत में दिया उनको न तो नोटिस किया, और उस शिकायतकर्ता ने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने कोई गलत काम किया है उस शिकायतकर्ता ने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस को मैंने एक शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की। उसने पुलिस को एक नोटिस दिया, पुलिस को सिर्फ ACMM ने कहा कि आपने चूंकि यह इनफोर्मेशन फर्निश्ड नहीं की है इसलिए यह शिकायत मेन्टेनेबल है। अध्यक्ष जी, एक न्याय का सिद्धान्त है मेरे खिलाफ यदि शिकायत है तो मुझको बुलाकर पूछा जाएगा कि मेरे खिलाफ ये चार्जेज हैं, इसलिए अध्यक्ष जी, इस विषय को जबर्दस्ती वाद-विवाद बनाया जा रहा है और मैं यह कहना चाहता हूँ चूंकि चौदह साल से दिल्ली में इतनी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवपलमैंट किसी को हजम नहीं हो रही है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया अलोकतांत्रित है, इनका लोकतंत्र में विक्ष्वास नहीं है जितनी भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो लोक सभा है, चाहे वो विधान सभा है, किसी भी संवैधानिक संस्था में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है यह साबित हो गया है। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अन्दर और बाहर बहुत बुरे तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की जाँच होनी चाहिए इस देश में और दिल्ली में, इस देश की और दिल्ली का विकास रोकने के लिए जिस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है इस देश में वो वातावरण लोकतंत्र के लिए ही खतरनाक नहीं है बल्कि इस मुल्क के लिए खतरनाक है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी घटना की पुनरावृति इस विधान सभा में कल भी हुई, आज भी हुई। इस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधान सभा में जो इनकी भूमिका है उसकी यह सदन कड़े शब्दों में निंदा करता है क्योंकि यह लोकतंत्र के खिलाफ है, हम इसकी निंदा

समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 158

5 सितम्बर, 2012

करते हैं अध्यक्ष जी, और मैं आपके माध्यम से फिर यह कहना चाहता हूँ कि जो शिकायत है वो एक तकनीकी पहलू है उसको पोलिटिकल ढंग से ट्वीस्ट किया जा रहा है और जो आरटीआई एक्टिविस्ट की बात हो रही है उसका नाम लेने में भी शर्म आती है। अध्यक्ष जी. मैं आपके माध्यम से आज यह भी कहना चाहता हूँ आरटीआई एक्ट को ब्लैकमेल करने का एक टूल बना लिया गया है, ब्लैकमेल करने का एक रास्ता बना लिया गया है। इस आरटीआई एक्ट में भी निश्चित तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। जिन लोगों का किसी चीज से कोई संबंध ही नहीं है। आज उस आरटीआई एक्टिविस्ट की हालत क्या है उसके खिलाफ जो रमाकांत जी ने कहा खुद सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा है। जिस शिकायतकर्ता की खुद विश्वसनीयता जो है संदेहस्पद है, उस पर कोई विश्वास करने लायक नहीं है। जो व्यक्ति खुद भ्रष्ट है जिसके खिलाफ सीबीआई ने केस रजिस्टर कर रखा हो. जिसके खिलाफ सीबीआई काम कर रही हो वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहा है जो व्यक्ति दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली का जन-जन उसको याद कर रहा है इसलिए अध्यक्ष जी मैं फिर दोबारा कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ दिल्ली को और देश को और social activists बहुत बडा षडयंत्र आरएसएस, बीजेपी ये कहीं न कहीं किसी न किसी रुप में घूमकर अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है। सीएजी जैसी संस्था, अध्यक्ष जी, सीएजी ने रिपोर्ट इस देश में आज पहली बार नहीं दी है। बोफोर्स पर जब रिपोर्ट आई, बोफोर्स की इन्क्वायरी पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये, उसके अन्दर क्या निकला। अध्यक्ष जी, सीएजी का काम ही ऑडिट करना, सीएजी किसलिए बनी हुई है और अगर हर सीएजी की रिपोर्ट पर इस तरीके से देश में बबाल होना है तो सीएजी इस मुल्क को चला लेगी इस पोलिटीकल स्ट्रक्चर की जरुरत ही नहीं है। इलैक्टिड बॉडी की जरुरत ही नहीं है। मुल्क को सीएजी चलाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की समय दिया, आपका धन्यवाद, और इनकी भूमिका की कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं।

समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 159 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अध्यक्ष महोदय: श्री मारवाह जी।

श्री तरबिन्दर सिंह मारवाहः अध्यक्ष जी, कल भी आपने सदन में देखा भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई बात लेकर, विजय कुमार मल्होत्रा जी, नेता प्रतिपक्ष अखबारों में पढकर उन्होंने दिया कि जो सदन है वह कम से कम 8-10 दिन चलना चाहिए। चार पैरे की न्यूज थी। जब सदन चलता है तो कोई न कोई बहाना, चाहे कॉमन वैल्थ गेम्स हो, किसी भी एजेंसी ने अभी तक दिल्ली सरकार पर कोई चार्ज नहीं लगाया, न मुख्यमंत्री पर। ये अपने आप ही कोई न कोई षडयंत्र कर देते हैं। अध्यक्ष जी, आज सबसे बडी बात यह कि है इनको उधर बैठे हुए 14 साल हो गये, दूसरी बात है कि चुनाव का एक साल रह गया है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चाहे वह पार्लियामेंट का है चाहे वह दिल्ली का चुनाव है। ये लोग कुछ न कुछ षडयंत्र करके, क्योंकि ये दिल्ली की प्रगति को रोकना चाहते हैं। आज दिल्ली में अध्यक्ष जी, आप भी देखते हो, आप भी दिल्ली में कहीं न कहीं 10-12 जगह ब्याह शादी में जाते हो, हम भी जाते हैं, पहले जहाँ हमें तीन-तीन घण्टे लगते थे आज हम एक घण्टे में चाहे विकासपुरी से हो नई दिल्ली में पहुँच जाते हैं। आज मैट्रो किस तरह से प्रगति से काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया, मैंने एक बार पहले भी सदन में कहा था यहाँ का एक मुख्यमंत्री कह रहा था कि यहाँ दिल्ली में कभी मैट्रो कामयाब नहीं होगी, दिल्ली में मैट्रो नहीं आएगी। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री ने आज चारों तरफ मेट्रो घुमा दी, सड़कें देखो, पुल देखो। ये किसी बात पर ठहरते नहीं। मैंने इनका जंतर मंतर पर प्रोटैस्ट देखा तीन दिन पहले वहाँ पर कुल 200 आदमी भी नहीं थे और वह सेंटर के खिलाफ था, इतने कम इसलिए थे क्योंकि अब इनके साथ आदमी नहीं हैं। क्योंकि दिल्ली में पानी हो, बिजली हो, सड़कें हों, मेट्रो हो कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर काम नहीं चल रहा। इनके समय में बजट क्या था 50 लाख भी नहीं था। आज बजट 4 करोड़ के अलावा दिल्ली जल बोर्ड का बजट अलग. कहीं पर हैल्थ का बजट अलग. आज हमारे

समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 160 5 सितम्बर, 2012

को किसी चीज की दिक्कत नहीं हो रही। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये कोई न कोई षडयंत्र करके कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने 93 से 98 तक तीन मुख्यमंत्री बदले, पहला मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना, दूसरा मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा, जब चुनाव को आठ महीने थे तो श्रीमती सुषमा स्वराज को लाकर बिठा दिया था। क्रप्शन का चार्ज इन पर लगता हैं, अभी भी इनका एक मुख्यमंत्री जेलों में घूमता है, कभी हाईकोर्ट से जमानत कराता है कर्नाटका का मुख्यमंत्री। हमारी केबिनेट चाहे वह सेंटर की केबिनेट हो चाहे दिल्ली की केबिनेट हो, किसी मंत्री पर आज तक कोई क्रप्शन का चार्ज नहीं लगा। ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए कोई न कोई षडयंत्र कर रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह कंडैम करते हैं और जो ये हाउस में सरकार के खिलाफ कहते हैं इनपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी को एक बात जरुर कहूँगा कि फाइनेंश मुख्यमंत्री जी के पास है बजट जल्दी से जल्दी पास हो जिससे काम जल्दी शुरु हो। कमी यहाँ पर टेंडर रुक रहे हैं कभी वहाँ पर रुक रहे हैं जल्दी ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयहिन्द।

प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदयः और कोई सदस्य बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। अभी 4.10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रैस कांफ्रेस है वे उसमें जाएंगी, उससे पहले हम जो गवर्नमैंट बिजनेस है उसको पूरा कर लें। श्री कंवर करण सिंह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री कंवर करण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिनांक 4 सितम्बर, 2012 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है। समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 161 भाद्रपद 14, 1934 (शक) अध्यक्ष महोदय: यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

> जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

श्री कंवर करण सिंह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे-

श्री कंवर करण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिनांक 4 सितम्बर 2012 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय- यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अब श्री रमाकांत गोस्वामी, परिवहन मंत्री अपने विभाग से संबधित कागजाती की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे-

परिवहन मंत्री: अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली परिवहन निगम सम्बन्धित निम्नलिखित कागजात सदन पटल पर रखता हूँ- समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति 162 5 सितम्बर, 2012

- 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये दिल्ली परिवहन निगम का लाभ-हानि खाता एवं पक्का-चिट्ठा की हिन्दी अंग्रेजी प्रति।
- 2. दिल्ली परिवहन निगम के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति।
- 3. दिल्ली परिवहन निगम की विलम्ब एवं समीक्षा विवरण की हिन्दी-अंग्रेजी प्रति।

अध्यक्ष महोदयः अब डा. ए.के. वालिया, स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग से सम्बन्धित कागजात सदन पटल पर रखेंगे।

Minister of Health (Dr. A.K. Walia): Honourable Speaker, Sir, with the permission of this August House, I lay copies of the following notifications:

- (i) F.No. 9(1) 89/DLC(W)LC/1102-1130 dated 11.6.2012 regarding rules to amend Delhi labour Welfare Funde Rules, 1997.
- (ii) F.No.31/600/LC/Estt. 08/1857 dated 18.7.2012 regarding appointement of Sh. R.S. Singh as Chief Inspector of Boilers & Smoke Nuisances & Sh. R.N. Dahiya as Inspector of Boiler for NCT of Delhi.
- (iii) F.No. DLC/ CLA/BCW/99/736 dated. 18.7.2012 regarding rules to amend the Delhi Bulding & other Construction Workers' Rules, 2012.
- (iv) F.No. 19(4)CIS/05/2251 dated 09.8.2012 regarding addition in Delhi Shops & Establishments Act, 1954.

विधेयक का पुरःस्थापन 163 भाद्रपद 14, 1934 (शक)

विधेयक का पुरःस्थापन

अध्यक्ष महोदयः अब श्रीमती शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या 13) को हाउस में इंट्रोड्यूज करने की परमिशन मांगेगी।

Chief Minister: Sir, I seek the permission to introduce the "The Entertainment & Betting Tax (Amendment) Bill, 2012" Bill No. 13 of 2012 in the House.

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ।

अब मुख्यमंत्री बिल को हाउस में इंट्रोड्यूज करेंगी।

Chief Minister: Sir, I introduce the "The Entertainment & Betting Tax (Amendment) Bill, 2012" in the House.

अध्यक्ष महोदय-अब सदन की कार्यवाही जलपान हेतु 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही जलपान हेतु 30 मिनट तक के लिए स्थगित की गई)

5 सितम्बर, 2012

164

सदन अपराहन 4:40 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शास्त्री) पीठासीन हुए।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदयः दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ करेंगे, श्री मुकेश शर्मा, श्री सुरेन्द्र कुमार और श्री नन्द किशोर जी। मुकेश शर्मा जी।

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों पर चर्चा जिस समय यह विषय लगाया था, उसमें और आज की परिस्थितियों में पूरे तरीके से एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा शुरु करने से पूर्व तमाम दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों के निवासियों उन 40 लाख लोगों की और से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी आदरणीय यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गाधी जी, का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली की 900 कालोनियों को नियमित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसके लिए आज सारी दिल्ली उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को लेकर इस सदन में पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा के इतिहास में 1993 से पहले दिन से जब पहली बार दिल्ली विधान सभा बनी, लगातार हर सत्र में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों पर बहस होती रही है। और अगर मुझे ठीक से याद है तो हर सत्र में, चाहे हम विपक्ष में थे, चाहे हम लगातार 1998 से आज सत्ता पक्ष में हैं, हर बार अनधिकृत कालोनियों के विषय पर कांग्रेस पार्टी की नीति, नीयत और मंशा में कभी अंतर नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रुप से प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विपक्षी पार्टी है, वह दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों

भाद्रपद 14, 1934 (शक)

अल्पकालिक चर्चा

की न केवल दुश्मन है, बल्कि जब भी कभी उनको मौका मिला है, उन्होंने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना तो अलग बात है, जब हमने कभी नियमित करने कि दिशा में पहल करने की कोशिश की है, या पहल की है। तो उन्होंने हमेशा उसमें रोड़ा अटकाया है और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली विधान सभा में उनका आचरण मुख्यमंत्री जी की स्टेटमैन्ट के बाद जिस तरह से उनका आचरण रहा है, वो पूरे तरीके से एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत हुआ है। क्योंकि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों पर आज चर्चा होनी थी। मैं इसलिए प्रमाणित करने की स्थिति में हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि कल उन्होंने 4 दिन तक सदन को नहीं चलने दिया और उनको सदन से निकाला नहीं गया। बिजली पर बहस थी। उनको कल भी निकाला जा सकता था। लेकिन यदि कल वो स्थिति होती तो लोग समझते कि शायद बिजली पर हम बहस से डर रहे हैं, बिजली के मुद्दे पर हम बहस नहीं चाहते। पूरी दिल्ली के लोगों ने, सदन ने, मीडिया ने देखा। हमने बिजली पर डिबेट की।

165

अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से वातावरण बनाया गया वो केवल इसलिए बनाया गया कि वे दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों पर चर्चा नहीं चाहते। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए उनके पास कुछ है नहीं और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी आरोप लगाना चाहता हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं प्रमाण के साथ ये साबित करने की स्थिति में हूँ कि एक बार फिर दिल्ली की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी ने स्व. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद जब ये ऐतिहासिक फैसला करने का निर्णय लिया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हीं के सोशल एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट इन्हीं के स्पान्स्र्ड आरएसएस और बीजेपी के लोग एक बार फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट में चले गये। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके प्रेस कांफ्रेस करके मीडिया में बताकर एक बार फिर हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी को डराने का काम इन्होंने किया कि हम कालोनियों को नियमित न कर सकों।

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय, अदालत जाने का काम कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि जब 1992 के अन्त में हम इन कॉलोनियों को नियमित करना चाहते थे। Mr. Arunachalam, Sh. R.K. Dhawan Saheb उस समय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार हुआ करते थे। उस वक्त अध्यक्ष महोदय, श्री एच.डी शौरी जी जो कॉमन कौज के अध्यक्ष थे। उनके माध्यम से एक पी.आई.एल भारतीय जनता पार्टी ने डलवाई। ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया गया और 1993 में उस स्टे ऑर्डर की वजह से अगर हम ने उस वक्त वो कॉलोनियाँ पास कर दी होती तो हम 1993 में भी चुनाव नहीं हारते। स्टे ऑर्डर लिया गया और जान-बूझकर एक political conspiracy के तहत कांग्रेस पार्टी को accused बनाया गया कि हम कॉलोनियाँ पास नहीं करना चाहते। अध्यक्ष महोदय, 1993 में जब इनकी सरकार आई तो 1995-96 में राजकुमार जी को याद होगा, डॉक्टर वालिया जी यहाँ पर नहीं हैं। प्रेम सिंह जी को याद होगा कि कि हम ने इसी सदन में यह मामला उठाया था। अध्यक्ष महोदय, जिस सरकारी खजाने से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार पहलवान को दो करोड़ रुपए इसलिए दे रही हैं कि वो ओलम्पिक जीतकर आया है। जिस उन्मुक्त चन्द्र को सरकार 25 लाख रुपए इसलिए दे रही है कि वो वर्ल्ड कप जीतकर आया है। 1995-96 में इनकी सरकार ने किसी खिलाड़ी को पुरस्कृत नहीं किया। अगर सरकारी ट्रेजरी से पैसा निकला तो 11 लाख रुपए का इनाम और दिल्ली रत्न की उपाधि से श्री एच.डी शौरी साहब को कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने के लिए सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ। दिल्ली सरकार का पैसा 11 लाख रुपए देकर दिल्ली रत्न से सम्मानित किया गया। वो कोई साहित्यकार नहीं थे। उन्होंने कोई रजत पदक या गोल्ड मेंडल ओलम्पिक में नहीं जीता था। उन्होंने सब से बड़ा गोल्ड मेंडल जीता था कि उन्होंने अदालत से स्टे ऑर्डर लिया था और उन गरीब लोगों के खिलाफ स्टे लिया था। जिन लोगों ने अपने बच्चों का पेट काटकर अपने मकान बनाए। अध्यक्ष महोदय. यह इनकी हालत है।

166

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूँ और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। मैं कुछ चीजों को यहाँ पर सदन में कहना नहीं चाहता। लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी के समय में 1972-73, 1974 की मैं बात करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जब इन्दिरा जी ने जब इन कॉलोनियों को पास करने की बात शुरु की जो दिल्ली के एक्स बुलडोजर मंत्री जगमोहन साहब जो इनकी भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, जिनको दिल्ली के लोग बुलडोजर मंत्री कहते हैं। वो मिस्टर जगमोहन उस वक्त हमारी सरकार में अधिकारी थे। अध्यक्ष महोदय, मिस्टर त्यागी थे। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भी जगमोहन साहब का यही रवैया था कि इन कॉलोनियों को पास न किया जाए क्योंकि ये लॉ ब्रेकर हैं। लेकिन वो स्वर्गीय श्रीमति इदिरा गाँधी जी थीं जिसने जगमोहन साहब को कहा कि या तो 5 मिनट में फैसला करिए। वरना आप छुट्टी जाइए। हम आपको निकाल रहे हैं और जगमोहन साहब को वहाँ से हटाया गया आज स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी के बाद अगर उनके बाद किसी ने कोई बोल्ड फैसला किया है तो उसका नाम शीला दीक्षित है जिसने तमाम अड़चनों को दूर किया है। यह स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी के बाद का फैसला है। इस फैसले में भी दिक्कत थी, यह मैं जानता हूँ। इस फैसले में भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऑफिसर, कुछ प्रशासनिक लोगों को कुछ प्रशासनिक दिक्कत थीं जिसमें बार बार कानूनी अड्चनें लगाई जा रही थी। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ने ये कॉलोनियाँ पास करनी हैं और इनका नॉटिफिकेशन होकर रहेगा और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी जैसा ऐतिहासिक फैसला अध्यक्ष जी शीला दीक्षित जी ने लिया। हम इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की अनधिकृत कॉलानियों का मसला कोई आज पहली बार नहीं हुआ। कुछ हमारे मीडिया के साथी रिपोर्ट करते हैं कि दिल्ली में unauthorized colonies बस गई। लॉ ब्रेकर्स आ गए। अध्यक्ष जी, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1948 में भी unauthorized colonies थीं और मैं यह बात भी रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ कि दिल्ली

167

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

168

में सब से पहली बार श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी से पहले कभी कॉलोनियाँ यदि पास हुई तो काँगेस के शासन में हुई। 1962, 1964 के बीच में 103 कॉलोनियों को regularized किया गया था और अध्यक्ष जी, मैं यह अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उस वक्त भी हम शासन में थे। उस वक्त और कोई शासन में नहीं था। उस समय की दिल्ली नगर निगम की स्टैन्डिंग कमेटी ने किया था। अध्यक्ष जी, 30 सितम्बर, 1970 यह एसेम्बली की प्रोसीडिंग कह रही हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। 30 सितम्बर, 1970 को इसी हाऊस में चीफ मेट्रोपोलिटन काऊँसलर श्री विजय कुमार मल्होत्रा साहब ने कहा था कि इन लॉ ब्रेकर्स से डवलपमेंट चार्ज लिया जाए। 1970 में ढाई सो रुपए गज डवलपमेंट चार्ज की बात मल्होत्रा साहब ने की थी। अध्यक्ष जी, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ। यह यहाँ का रिकॉर्ड बोल रहा है। मैं इसलिए आपको यह बात कहना चाहता हूँ कि इनका नजरिया कभी साफ नहीं रहा है। 1977 में डक्लपमेंट चार्ज लगाने की बात थी। उसके बाद अध्यक्ष जी, 1999 में नवम्बर के अंदर, दिसम्बर के अंदर अध्यक्ष महोदय, जगमोहन साहब ने एक एफिडेविड दिया। उसमें 514 रुपए गज डवलपमेंट चार्ज की बात थी। अध्यक्ष जी, उससे बात नहीं बनी। उसके बाद अध्यक्ष जी, इन्होंने एक एफिडेविड दिया और अध्यक्ष जी, वो एफिडेवडि, माफ करिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दो तारीख को दो हजार में यहीं पर स्पेशल सैशन बुलाया गया। इस विधान सभा के इतिहास में एक ही बार एक दिन का सैंशन हुआ है। वो सैंशन यदि हुआ तो वो दिल्ली की unauthorized colonies के लिए हुआ। अध्यक्ष जी, उस सैंशन में एक प्रस्ताव पास हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 4 अप्रैल, 2001 का यह एक एफिडेवड। अध्यक्ष जी, यदि इस एफिडेविड को मान लिया जाए। इस एफिडेविड में इनकी सरकार यह कहती थी। हमारी निशा सिंह जी अर्बन डवलपमैंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी सैक्रेट्री थीं। अध्यक्ष जी, उसमें यह स्पष्ट रुप से कहा गया है कि इन कॉलोनियों को बुलडोज कर दिया जाए। 93 प्रतिशत कॉलोनियों को बुलडोज कर दिया जाए। उसके साथ में क्या शर्त लगाई गई कि Delhi

भाद्रपद 14, 1934 (शक)

अल्पकालिक चर्चा

Land Reforms Act Section 81A के तहत कह दिया गया कि कोई भी फर्क नहीं है। दिल्ली की गाँव सभा ऑरिजिनल गाँव सभा वेस्टिड गाँव सभा लैन्ड के अंदर और अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वो एक 81 ए का बहाना निकालकर इन कॉलोनियों को तोड़ने का असफल प्रयास हुआ। इसी एफिडेविड में माननीय लवली जी को मैं यह बताना चाहता हूँ। इसी एफिडेविड में यह भी कहा गया कि 19 हजार रुपए मीटर और दस परसैंट पैनल्टी इन कॉलोनी के लोगों से वसूला जाए। अध्यक्ष जी, राजकुमार चौहान जी हमारे यू.डी मिनिस्टर थे। जब हम ने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह किया कि कॉलोनियों पास होने में सब से पहली अडचन कौन सी है। प्राइवेट लैम्ड और गवर्नमेंट लैन्ड की डैफिनेशन बनाई जाए। अध्यक्ष जी. हमारी सरकार ने उस डैफिनेशन को बदला और हमने यह कहा कि धारा 81ए की जो कॉलोनियाँ हैं, वो प्राइवेट लैन्ड की कॉलोनियाँ मानी जायेंगी। वो गवर्नमेंट लैन्ड में नहीं मानी जायेंगी। हम ने वहाँ से रास्ता निकाला। वहाँ से हम ने एक रास्ता साफ किया और अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम कभी संवैधानिक संस्थाओं को कभी ठेस नहीं पहुँचाते। हम ने कभी संवैधानिक संस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचाई। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं एक लेटर आज जरुर पढूंगा। हालांकि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मना किया था कि इन लैटर को कभी किसी सूरत में मुकेश जी, जब मैंने उनको बताया कि यह ऐसा लैटर है। उन्होंने मुझे यह कहा कि मुकेश जी हमें इस लैटर को हमें कभी रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं उस लैटर को आपको पढ़कर जरुर सुनाना चाहता हूँ कि इनकी नियत और नीति क्या है। अध्यक्ष जी, यह पढ़कर इसलिए बताया जरुरी है कि जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी का चोला लिया और जिसने आर. एस.एस की खाकी नेकर पहन ली।

169

जिसने इनके सिद्धांत को मान लिया। भारतीय जनता पार्टी के, वो एंटी पूअर है। वो गरीब विरोधी है। वो अनअथोराइज कॉलोनियों का दुश्मन हैं। वो कांसटीटयूशन बॉडी के

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

170

खिलाफ है। वो हिंदुस्तान की तमाम संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ है। मैं अध्यक्ष महोदय एक लैटर पढ़ रहा हूँ और 10.08.2012 को। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल सैशन बुलाने के बाद मुख्यमंत्री जी को याद होगा और सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली सरकार ने उस दिन किया कि वो रैज्यूलुशन हमने हाउस में पास किया। 2 अगस्त को हमने हाउस में रेगोल्यूशन पास किया। रेल्यूलुशन पास होने के बाद यह दिल्ली के लेफिटिडेंट गर्वनर, भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे इस रैजोल्यूशन को एफिटएफिट के तौर पर मानती। हमारी बात को सुना नहीं गया। जगमोहन साहब के एफिटएफिट को काटने के लिए वरना कालोनियाँ बुलडोज हो जाती। हम 10 अगस्त को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में अपना रेजोल्युशन लेकर गए। हमारी सरकार के शहरी विकास मंत्री डा. वालिया गए, हम सब उनके साथ हाई कोर्ट में थे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने वालिया जी को भेजा, वालिया जी ने कहा पता नहीं अंदर जाऊंगा या बाहर रहुँगा। बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट में घुसे थे। हमने कहा चलो डा. साहब हम भी अंदर चलेंगे आपके साथ। कोई अंदर नहीं भेज रहा है और 40 लाख लोगों के लिए अंदर जाना पडेगा तो उसके लिए भी तैयार है, हम। अध्यक्ष महोदय, पहली बार कामन कॉस के इस मुकदमें में हम पार्टी बने। 2.8.2000 को। उससे पहले हम उस केस में पार्टी नहीं थे। अगर उस दिन हमारी सरकार पार्टी नहीं बनती, हमारी सरकार अदालत नहीं जाती तो अध्यक्ष महोदय, ये कालोनियाँ बुलडोज हो गई होती, पास करना तो अलग बात है। अध्यक्ष जी, मैं एक चिटठी पढ़ रहा हूँ। इस चिटठी के बाद मैंने कहा है कि जो लोग भाजपा की नीतियों में विश्वास रखते है वो किसी कोशिश को कुछ नहीं समझते, अध्यक्ष जी। ये चिटठी श्रीमती सुमन सूद प्रिसीपल सेक्रेटरी, अरबन डवलपमेंट के लैटरहेड पर है। 10.7.2000 की चिटठी है। Dear Baha ji, I am directed to enclose a copy of resolution passed by Delhi Legislative Assemble in the Special Session held on 2.08.2000. LG has also asked me to inform of that the

endorsement of this resolution by him may not be assumed. अध्यक्ष महोदय, ये लैटर लैफ्टिनेंट गर्वनर ने हमारे आफिसर को बुलाकर डराया और कहा कि जो विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है हम इसको सरकारी तौर पर मानते नहीं। अध्यक्ष जी इससे बडा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान और क्या हो सकता है? उस समय कौन थे लैफ्टिनेंट गर्वनर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो आज चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि इनकी नीति और नीयत में शुरु से फर्क था। जब-जब ये शासन में आए हैं। जब-जब इन्होंने इन दिल्ली की अनधि कृत कालोंनियों के खिलाफ काम किया और अध्यक्ष जी इतना ही नहीं है इसके साथ-साथ बार-बार आज कहा जा रहा है कि प्रोवीजनल सर्टिफिकेट बोगस थे। अध्यक्ष जी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाई द गजेट नोटिफिकेशन दिये गये थे, जैसे आज अनधिकृत कालोनियाँ बाई द गजेट नोटिफिकेशन नियमित की जा रही हैं। उस वक्त अध्यक्ष जी अगर सोनिया जी को बुलाकर जो हमारे यू.डी. मिनिस्टर साहब ने जो उसक वक्त प्रोवीजनल सर्टिफिकेट बांटे, हो सकता है अध्यक्ष जी जल्दबाजी में किसी खाली जमीन का किसी आरडब्ल्यूए ने जल्दबाजी में ले लिया और मैं उसको रुल आऊट नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, इन कालोनियों को नियमित करने की दिशा में वो हमारा एक कदम था। जिसको आज कहा जा रहा है कि प्रोविजन सर्टिफिकेट बांटे। 3500 करोड़ रुपया हमने इन कालोनियों के विकास पर खर्च किया और इतना ही नहीं लवली जी भी उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मैम्बर हैं। जिस समय यह तय किया जा रहा था कि इन कालोनियों पर विकास शुल्क लगाया जाये। हमारी सरकार ने तय किया हर प्राइवेट लैंड कालोनियों पर कोई भी विकास शुल्क नहीं लगेगा। किस मुँह से बीजेपी के लोग इन कालोनियों की बात करते हैं। आज एक नई बात शुरु कर दी कि 1639 कालोनियाँ पास करो। पहले यह कहते थे कि सिर्फ 51 कालोनियाँ पैरामीटर पास करती हैं। आज 1639 की वकालत करने लग गये। इनका दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों से कोई संबंध रहा है, न है।

171

अल्पकालिक चर्चा

5 सितम्बर, 2012

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी दिल्ली की जिस अनधिकृत कालोनी में चाहे, जहाँ चाहे, जिस समय चाहे हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, हम टेलिविजन पर बहस के लिए तैयार हैं। ये ओपन स्टेज पर बहस करना चाहते हैं। ये दिन समय स्थान निश्चित करके पब्लिक मीटिंग करके उसका पैमाना बनाना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं। ये जिस मुद्दे पर जहाँ जैसे चाहते थे, हम अनधिकृत कालोनी पर 1960 से लेकर आज तक डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जब जब ये शासन में आये. जब जब इन कालोनियों को मारने की कोशिश हुई, इनके समय में 41 करोड़ रुपये रखे गये थे, 1993 से 1998 तक। पाँच साल में 41 करोड़ रुपये लैप्स हुए। 41 रुपये भी इन कालोनियों पर खर्च नहीं हुए। इनकी एमसीडी की हालत यह है 165 करोड़ रुपये हमने सफाई के लिए इन अनधिकृत कालोनियों में एमसीडी को दिया। किसी एक भी कालोनी में सफाई कर्मचारी नहीं है। मैं माननीय अरविंदर साहब से निवेदन करुँगा कि इसकी जाँच होनी चाहिए। वो पैसा एमसीडी कहां लेकर के गयी। अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ मुझे खुशी है कि पहले वरण की कालोनियाँ हमारे विकास मंत्री के हाथ से नियमित हुई हैं, जो डरते नहीं हैं, थोड़ा कहीं दबाव हो जाता है। अध्यक्ष जी, लोगों ने हमें मंत्री बनाया है। हमारी सरकार बनाई है और लोगों के काम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे यूडी मंत्री दिलेर और ताकतवर हैं, सुझबुझ वाले हैं। जैसे शिक्षा विभाग को ठीक किया है। हम इनसे आशा करते हैं कि आने वाले दिनों और महीनों में हम सब आपका झंडा लेकर के चलेंगे। इन बाकी बची हुई कालोनियों को भी कैसे नियमित किया जाये उसका रास्ता हमें निकालना चाहिए। मैं इसके साथ ही साथ दो बातें और कहना चाहता हूँ, इन कालोनियों को जितना नियमित करना जरुरी है उतना ही जरुरी इन में विकास के काम शुरु करना है। वो जो नरक की हालत है, बीजेपी के लोग कहेत हैं कोर्ट का स्टे, मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि जब आप इन लोगों को डिस्प्लेड नहीं कर सकते तो इनको नागरिक सुविधाएँ दीजिए। हमारी सरकार इनको डिस्प्लेस न करने का

अल्पकालिक चर्चा

भाद्रपद 14, 1934 (शक)

फैसला ले चुकी है। हम इनको नियमित करने का फैसला ले चुके हैं। तो फिर किसकी हिम्मत है कि विकास के काम रुकेंगे। विकास के काम शीला दीक्षित जैसी. इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड मुख्यमंत्री हो, अरविंदर सिंह लवली जैसा बोल्ड मंत्री हो तो उसके बाद किसकी हिम्मत है। अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं जिसकी आरएसएस का खून है, चाहे वो शासन में है या प्रशासन में है, वो गरीब के खिलाफ है। वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इस बिल से पिछले बीस दिनों में यह साबित हो गया है। विकास के कार्य जब शुरु होंगे तो कोई ये जो भी फोरेस्ट है, वो हमारा बनाया हुआ है, ऐसी ऐसी जमीने फोरेस्ट में हैं जहाँ पेड़ के नाम पर झाड़ी भी नहीं है और उसको प्रोटेक्टिव फोरेस्ट लैंड बना रखी है। एएसआई की बात करते हैं, फारेस्ट की, सरकारी भूमि की बात करते हैं, रिज की बात करते हैं, मैं इसलिए यह बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि ये फोरेस्ट पब्लिक के लिए होता है, रिज लोगों के घूमने के लिए बनाये गये हैं, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो रिज का क्या करना है? केवल रिज ही रखो। शमशान घाट बना दो, ऐसा तो संभव नहीं है। मैं रिज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फोरेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एएसआई के खिलाफ नहीं हूँ। अध्यक्ष जी, जमूरियत में 40 लाख लोगों को डिस्प्लेस करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। जब उनको आप छत नहीं दे सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं है। तो जब छत ले नहीं सकते तो विकास के काम क्यों न हो। इसकी जिम्मेदारी किसी एक पर तय नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपको आप सारी दिल्ली दुआ दे रही है। मैं इसलिए बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन हिंदुस्तान के राजनीतिक लोगों में थोड़ी शक्ति कम हो गयी है। हमारे लोकतंत्र का डमरु बज रहा है। मुख्य मंत्री जी 900 कालोनियों को नियमित करके देश और दिल्ली को इंदिरा गांधी जी याद दिलायी है। इसलिए हम सब आपके साथ खड़े हैं, दिल्ली के 40 लाख लोग आपके साथ खड़े हैं। एक बार फिर इंदिरा गांधी बनकर एक हस्ताक्षर से इन कालोनियों में विकास के काम शुरु कर दो आपकी पूजा होगी। लोग आपकी जय जय करेंगे। इन गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा। सुप्रिम

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

174

कोर्ट के आर्डर का पालन होगा, और दिल्ली के लोग इन बीजेपी के लोगों को सदन के अंदर तो अध्यक्ष जी का अधिकार है लेकिन बाहर जनता का अधिकार है। हम सड़कों पर इनको चलने की हालत में नहीं छोडेंगे, आज दिल्ली के लोग इनको ढूंढ रहे हैं। मैं इसलिए यह सब बातें कहना चाहता हूँ कि ये पूरे तरीके से हर हालत में इन कालोनियों के दुश्मन ही नहीं हैं, इनका बस चल जाये ये इन कालोनियों को तुड़वा सकते हैं। आज एमसीडी की यह हालत है, कोई गरीब आदमी अपनी रसोई बनाता है। एमसीडी वाले नाली साफ नहीं करते, सुबह उठते ही यह क्या करते हैं कि नया मकान कहाँ बन रहा है? सिर्फ नया मकान ढूंढते हैं कहाँ बन रहा है एक लैंटर का रेट है 50 हजार, एक लैंटर का रेट है एक लाख रुपये। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब आदमी से बुरी तरह घूस ली जा रही है। आज गरीब आदमी अपनी रसोई की मरम्मत करता है तो रिश्वत खाई जा रही है। ऐसे पी.सी.आर. वालों को किसी के घर में चोरी हो जाये, कोई मर्डर हो जाये तो एड्रेस नहीं मिलता कि मुकेश शर्मा का घर कहाँ पर है लेकिन अगर मैं नया मकान बना रहा हूँ तो फटाफट दो मिनट में पी.सी.आर. पहुँच जाती है कोई काम अध्यक्ष जी इनको नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर ईमानदारी से किसी ने काम किया है तो दिल्ली की सरकार ने काम किया है, किसी ने ईमानदारी से इन कालोनियों की सेवा की है तो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की है, किसी ने ईमानदारी से इन कालोनियों की सेवा की थी तो इंदिरा गांधी ने की थी, किसी ने ईमानदारी से इन कालोनियों में काम किया था तो राजीव गांधी ने किया था अध्यक्ष महोदय, न उससे पहले किसी ने किया, न उसके बाद कोई करने की हिम्मत रखेगा क्योंकि यह बहुत बडा ऐतिहासिक निर्णय है। अध्यक्ष जी, इसमें अदालत का नाम लेकर डराया जा रहा है, कोई अदालत में स्टे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करना, अदालतें लोगों के भले के लिए बनी हैं। अदालतें 40 लाख लोगों को उजाड़ने के लिए नहीं बनीं, एक छोटा सा शोएब साहब का मसला तो हल हो नहीं रहा है यह 40 लाख लोगों का मसला हल हो सकता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूँ कि इन कालोनियों को जो लोग लॉ ब्रेकर कहते हैं, कोई विकासपुरी में, जनकपुरी में, ग्रेटर कैलाश में, वंसत कुज के अंदर अगर नक्शे के बगैर मकान बनायेगा तो लॉ ब्रेकर नहीं है कोई गरीब आदमी मकान बनायेगा तो लॉ ब्रेकर है और अध्यक्ष जी, कालोनियाँ बनी क्यों हैं हिंदुस्तान की सरकार मानती है पाँच लाख मकान हर साल दिल्ली में बनने चाहिये जो पिछले पच्चीस साल से एक भी मकान नहीं बना। यह कहाँ जायेंगे लोग, सड़कों पर कब्जा करेंगे, पार्को पर कब्जा करेंगे, अघ्यक्ष जी, कहाँ जायेंगे, कहीं तो मकान बनायेंगे। अब पहली बार हमारी सरकार ने राजीव रत्न आवास योजना के माध्यम से मकान बनाने का काम शुरु किया है। मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ मैं आपकी इजाजत से.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सम-अप करिये।

अध्यक्ष महोदयः मुकेश जी......(व्यवधान)

श्री मुकेश शर्माः मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः यह अभी नहीं है, इसके बाद होगा पहले......(व्यवधान)

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, आप इस पर वोटिंग इसके बाद कराना।

अध्यक्ष महोदयः वो कार्यवाही में है।

अल्पकालिक चर्चा 176 5 सितम्बर, 2012 श्री मुकेश शर्माः एक मिनट, अध्यक्ष जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अध्यक्ष महोदयः एक मिनट सुनिये। श्री मुकेश शर्माः एक मिनट, मेरी तो सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदयः सुनिये तो आप। श्री मुकेश शर्माः मैं नियम नहीं तोड़ रहा।

अध्यक्ष महोदयः मैंने कार्यवाही मैं रखा हुआ है, आप उस पर बोलेंगे, पहले इसको.(व्यवधान)

श्री मुकेश शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा अनुरोध सुन लो आप। आप मुझे इसे पढ़ लेने दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा, सुबह से ये कानून तोड़ रहे थे, मैं तो पब्लिक की बात कर रहा हूँ चालीस लाख लोगों की। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है'' यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिल्ली की सभी सूचीबद्ध, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है सूचीबद्ध जो 1639 है अध्यक्ष जी, यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिल्ली की सभी सूचीबद्ध अनधिकृ कालोनियाँ जहाँ आबादी हैं, और जिसमें रिज वन क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व विभाग, निजी भूमि या अन्य किसी भूमि पर बसी सभी कालोनियाँ शामिल हैं में तुरंत प्रभाव से विकास कार्य शुरु किये जाये।'' यह मेरा इस सदन में प्रस्ताव है, मुझे आशा है यह सदन इस प्रस्ताव को पारित करेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: देखिये, यह जो प्रस्ताव मुकेश शर्मा जी ने रखा है यह मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरुप है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 917 कालोनियों को जब पास किया तो मुख्यमंत्री जी ने अगले ही दिन यह कह दिया था कि जो भी कालोनी रिज पर अल्पकालिक चर्चा 177 भाद्रपद 14, 1934 (शक) है, फोरेस्ट में है, एएसआई के अंतर्गत हैं उन सब को भी हम पास करेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव को मैं आपके सामने रखता हूँ और पास कराना चाहता हूँ।

शहरी विकास मंत्री: सर, रिप्लाई के बाद बोटिंग करवाना ना इस पर।

अध्यक्ष महोदयः इसलिए तो मैं कह रहा था ना, इसको बाद में रखा जाये। पहला प्रस्ताव जो था अल्पकालिक चर्चा उस पर श्री सुरेन्द्र कुमार बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष जी, यह जो कालोनियों पर चर्चा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी कांग्रेस की चैयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का और माननीय शहरी विकास मंत्री श्री कमलनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो हमारी अनधिकृत कालोनियाँ थीं उनको नियमित किया अध्यक्ष जी, अच्छा होता अगर बीजेपी के भी हमारे साथी यहाँ मौजूद होते। कल भी जब हमने यह बात रखी थी, तो यह हर बात में विरोध करते हैं अध्यक्ष जी, एक बात पकड़ रखी है कई सालों से भ्रष्टाचार पिछले समय में भारत के गृह मंत्री के बारे में कहा गया कि इस्तीफा दो। मगर कोर्ट ने क्या कहा कि इन पर कोई केस नहीं बनता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना शोर मचाया। मगर पब्लिक ने दिखाया कि इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं बनता है। जब भी यह हाउस लगता है तब भी एक कसम खा कर के आते हैं कि हमनें हाउस नहीं चलने देना, लोक सभा में क्या हाल है, आज दसवाँ दिन है, लोक सभा को चलने नहीं देते। सिर्फ एक नीयत है इनकी एक मंशा इन्होंने बना रखी है कि शोर करो और पब्लिक में यह प्रचार करो कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। मगर मैं अध्यक्ष जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कोई साबित तो करे, कोई किसी पर इल्जाम लगा करके उसको पूरा तो करे मगर आज तक कोई ऐसा जो इन्होंने इल्जाम लगाया है वो साबित नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, जब इलैक्शन जीत कर के आए तो जब हम कालोनियों से इलैक्शन जीते, हम यह बात सोचते

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

थे कि इलैक्शन तो हमारे को जीता दिया इस भगवान ने और जनता ने मगर इन कालोनियों में काम कौन करेगा। अध्यक्ष जी, हमें याद है, हमारे तमाम साथियों को याद है कि बल्ली पर लगा-लगा कर के केवल, तार एक-एक बल्ली पर हजार-हजार तार थे और हम यह कहते थे कि अगर किसी की लाइट चली जाये तो इनको पता कैसे चलता है कि ये-ये वायर, तार मेरा है। इतनी भारी चोरी थी कहीं मीटर नहीं था, मगर में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो सिस्टम बनाय, सिंगल प्वाईट का हमारे डॉ. नरेन्द्र नाथ जी बैठे हैं, कितना बड़ा निर्णय था यह और आज कालोनियों में जाकर के देखे

किसी कालोनी में कहीं बिजली की चोरी नहीं हैं और आज सब को बिजली मिली।

अध्यक्ष जी, कहीं रोड नाम की चीज नहीं थी। हम जब वोट मांगते थे हमें पता है कि कैसे वोट मांगते थे कालोनियों में और आज किसी भी कालोनी में जाकर के देखें सारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से वहाँ रोड बने। ये खुद बीजेपी वाले हमारे सामने यहाँ सदन में तो नहीं कहते, मगर हमारे सामने यह इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कमाल है काम करने का। यह मैं रिकार्ड पर कह रहा हूँ इस बात को और यह भी कह रहा हूँ इनके खुद मैम्बरों ने खड़ा होकर के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया और राजकुमार जी का भी धन्यवाद किया कि इनकी वजह से हम इलैक्शन जीत कर के आये हैं और आज ये बुराई करते हैं कि कहीं कालोनी पास होगी, कितनी कालोनियाँ पास होंगी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले किसने पास की थी ये कालोनियाँ स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कालोनियाँ पास की 612 उसके बाद इनकी भी सरकार आई, 93 में कितनी कालोनियाँ पास हुई, बताएँ ये सारे साथी बैठे हैं। कभी कोई कालोनी पास की हो। मगर अध्यक्ष जी, उसके बाद अगर कालोनी पास की हैं तो माननीय श्रीमति शीला दीक्षित जी ने ये कालोनी पास की हैं। आज दिल्ली में कहीं भी जा करके देख लें, गरीब आदमी दीवाली मनाते हैं। जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी में कभी यह सोचा नहीं था कि हमारी कालोनियाँ पास हो जाएंगी। अब उन

कालोनियों में पता करें जिसका 5 हजार रुपये गज का भाव था आज वहाँ 50 हजार रु. गज का भाव है। वे लोग मुख्यमंत्री जी का गुण गाते हैं, वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री जुग जुग जीएँ जिसने हमारा यह काम किया है। 2007 और 2008 में ये अनाधिकृत कालोनियों और गाँव की बढ़ी हुई आबादी व आरडब्ल्यूए के आवेदन पत्र जो मांगे गये। अध्यक्ष जी, उस समय भी इन्होंने झगड़ा किया था और शोर मचाया था जितने भी आरडब्ल्यूए से पत्र मांगे गये हैं गलत मांगे गये हैं। मगर उसका परिणाम क्या हुआ 1218 कालोनियों के प्रोविजनल सर्टीफिकेट श्रीमती सोनीया गांधी जी द्वारा दिए गए। उसके बाद एक हजार करोड रुपया इन कालोनियों में खर्च किया, राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं। कालोनियों के नक्शे बदल गये। इन्होंने ही राजकुमार जी को यहाँ खडे होकर बधाई दी थी, इनके कई विधायकों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्री समूह की कमेटी का गठन किया और उनको आदेश दिया कि जितनी भी कालोनियाँ है इन पर एक मीटिंग करो और इनका पता निकालो कि कितनी वन विभाग की जमीन पर हैं कितनी सरकारी जमीन पर है और कालोनी कहाँ कहाँ बसी हैं। अध्यक्ष जी, कुछ कालोनियाँ बची, 916 के बाद, मैं भी हजारों आदमी लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि 2007 में जो नक्शा हमने जमा कराया था उस समय 50 परसेंट आबादी वहां नहीं थी। मगर आज वहाँ 100 परसेंट आबादी है। जब मैंने यह बात मुख्यमंत्री जी को बताई तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि सुरेन्द्र जी मैं एक भी मकान नहीं तोड़ने दूंगी और मैं इस पाप की भागी नहीं बनूंगी कि किसी गरीब आदमी का मकान तोड दिया जाए। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर 2007 में किसी ने मकान बनाया है, किसी ने 2007 में प्लाट लिया है और वह गरीब आदमी अपना मकान नहीं बना पाया तो मैं उनका मकान तक भी बनवाऊंगी। यह कोई छोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है। हमने भाई अरविन्दर सिंह लवली जी से बात की, इन्होंने भी यही बात कहीं कि दिल्ली की एक भी कालोनी बिना नियमित हुए नहीं बचेगीं यही बात श्री कमलनाथ जी ने भी कही। लेकिन ये लोग इतना बडा़ झूठ क्यों बोलते हैं और

179

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

सही कहते हैं कि ये कालोनी पास नहीं करने जा रहे हैं। मगर अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो कहा है वह किया है। मेरा ख्याल है कि कालोनियों में जो काम हमारी सरकार ने किया है वह किसी सरकार ने नहीं किया। आज हमारे भाई मुकेश जी ने जो बात कही मैं भी उस बात को कहना चाहता हूँ, अगर और कालोनी के पास होने में समय लगता है तो मैं लवली जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार और साथियों ने भी कहा है कि ये आदेश दें जितनी बची हुई कालोनियाँ हैं उनमें विकास का काम होना चाहिए। क्योंकि वे लोग भी इस इंतजार में हैं हमारी कालोनी कब पास होंगी। उसमें जितना जल्दी हो सके उनके लिए आदेश करें कि उन कालोनियों में काम हो ताकि वे लोग भी खुशी मनाएँ और उन्हें पता चले कि हमारी कालोनियों में भी काम शुरू हो गया।

अध्यक्ष जी, पिछले समय इसी भाजपा के नेता अरुण शोरी ने क्या किया था जब उनको यह पता था कि हमारी सरकार इन कालोनियों को पास करने जा रही है तो कोर्ट में कौन गया था और किसने स्टे लिया था, इन्हीं के नेताओं ने स्टे लिया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि ये कालोनी पास हों, यह चाहते थे कि ये जो सारे कांग्रेस के वोट हैं ये लटकी रहे और इनमें काम न हो। हमने इस बात का विरोध भी किया था। मगर आए दिन एक ही बात रहती है कि हाऊस को चलने न दें। हम कुछ बोलना चाहते हैं, कोई भाई अपने क्षेत्र के बारे में बोलता चाहता है ये शोर शराबा यह दिखाते है कि हाउस मत चलाओ ताकि अखबारों में हमारा नाम आए। हम भ्रष्टाचार के बारे में बोले, हम उसके बारे में बोले। मगर अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता इस बारे में जानती है। मैं एक दो बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, 2007 में जो नक्शे मांगे गये थे उसमें लाल डोरे से बाहर जो मकान बने थे उनके बारे में भी कहा गया था कि ये भी अपने नक्शे दें। मगर बहुत सारे गांव ऐसे है जिनमें कोई आरडब्ल्यूए नहीं है। उन गांवों वालों को पता ही नहीं है कि यह आरडब्ल्यूए है क्या। जो लाल डोरे से बाहर जो मकान बने थे उन्होंने उसकी जानकरी

यहाँ तक नहीं पहुँचाई। आज सबसे ज्यादा अगर दुखी हैं तो वे गांव के लोग दुखी हैं उनके जो लाल डोरे से बाहर मकान बने हैं. न तो वे लाल डोरे में गिने जाते और न वे कालोनी में गिने जाते वे बीच में लटके हुए हैं। कोई भी विकास का कार्य होता है तो उनके यहाँ नहीं होता। वहाँ पर बिजली नहीं दी जाती, वहाँ सडक नहीं बनती, वहाँ कोई काम नहीं किया जाता, उनको यह कह दिया जाता है कि आप लाल डोरे में नहीं आते और न ही कालोनियों में आते हो। मेरी अपनी सरकार से यह प्रार्थना है कि एक बार इस बात का भी सर्वे करे, सरकार ने एक कमेटी भी बना रखी है कि लाल डोरे से बाहर जितने मकान हैं इनको देखा जाए उसमें भाई बलराम तंवर जी और हम भी मैम्बर थे। माननीय वालिया साहब ने एक दो मीटिंग बुलाई थीं मगर उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि उन गांव वालों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज हालात बहुत खराब हैं इतने खराब हैं कि वे कहते हैं कि लाल डोरे में हमारा मकान नहीं है कालोनी में हमारा मकान नहीं है, वहाँ बुल्डोजर चला दिए जाते हैं और उन लोगों को यह कह दिया जाता है कि आपका मकान लाल डोरे में और कालोनी में नहीं आता। मेरी आपसे यह प्रार्थना है माननीय शहरी विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हैं इस पर एक बार विचार किया जाये और गांव के लोगों को इससे राहत मिलेगी और आपसे में पुन: प्रार्थना करना हूँ कि जो हमारी कालोनी बची हैं 733 कालोनी, जो लिस्ट बनाई गई थी डॉ. वालिया द्वारा वे बिल्कुल क्लीयर कालोनी थी उनमें किसी चीज जी कमी नहीं थी, मगर वे किसी करण उन 900 की लिस्ट में नहीं आई। माननीय मंत्री जी से हमारी यह भी प्रार्थना है कि वे क्लीयर हैं उनमें ऐसी कोई कमी नहीं है और न ही किसी का ऑबजेक्शन है न उनमें कोई सरकारी जमीन है न उनमें कोई फोरेस्ट की जमीन है, न उनमें कोई डीडीए की दखलंदाजी है वे कालोनी क्लीयर की गई थीं 733 की उसमें सबसे पहले आदेश दिए जाएं क्योंकि उनमें कोई अड्चन नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदयः श्री नन्द किशोर जी।

श्री नन्द किशोर: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को स्थिति पर चर्चा है, मैं सबसे पहले तो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का, सोनिया गांधी जी का और कमल नाथ जी का 40 लाख लोगों की तरफ से की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इतना जो एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लिया, आज जो 900 कालोनियों, दिल्ली की अनधिकृत कालोनियाँ पास की गयी हैं, उससे लोगों में खुशी का माहौल है। और ये फैसला स्व. इंदिरा गांधी के बाद जो 612 कालोनियाँ की गयी थी, उसके बाद अगर किसी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी और उनकी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने इसलिए बनाई थी कि उनको एक आस थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी। और इन कालोनियों का भला होगा परन्तु 1993 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आज विपक्ष में हमारे साथी नहीं बैठे। क्योंकि जब जब भी मैंने देखा है, सदन में जब भी अनाथराइज्ड कालोनीज का मुद्दा होता है तो ये सदन में नहीं रहते, 1993 से 98 में,जब इनकी सरकार थी। कालोनी तो पास करना दूर की बात है, इन कालोनियों में एक भी विकास की ईट इन्होंने नहीं लगाई। हाँ, एक काम तो इनकी सरकार में अच्छा हुआ कि तीन-तीन मुख्यमंत्री इन्होंने बदले। 5 साल में तीन मुख्यमंत्री बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने की नीयत और नीति है, इससे पता लगता है। मैं 1998 में जब दिल्ली में हमारी सरकार आई और लोगों ने भारी बहुत से कांग्रेस की सरकार बनाई, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बनाया तो लोगों में एक आशा बंधी की कांग्रेस की सरकार आई है और कालोनियों में काम होगें। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे मंत्रिमंडल को भी कि जो हमारी सरकार ने जो

अल्पकालिक चर्चा

हमारी मुख्यमंत्री की दुरगामी सोच और नीति है, जिसका आज परणाम है कि जो लोग अन्य प्रान्तों से आकर इस दिल्ली में बसे, और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से पैसा जोड़कर मकान बनाया। आज वे लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम दिल्ली में आकर रहे क्योंकि एक भी अनाथराइज्ड कालोनी में चाहे किसी का 50 गज का भी मकान है, या 100 गज का भी मकान है, वह भी करोड़पति आज के दिन है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज जब, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में तीसरी बार हमारी सरकार बनी तो इसमें अनाथराइज्ड कालोनी के लोगों का बहुत बड़ा अहम योगदान था। क्योंकि उस समय 2007 में हमारे यूडी मिनिस्टर राजकुमार चौहान जी थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में इतने काम हुए कि वे काम आज तक चल रहे हैं और उस काम का अभी सुरेन्द्र जी बता रहे थे कि दो दो किलोमीटर से बिजली की लाईन खींच कर लाते थे। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। न कहीं सीवर, रोड और नलियाँ, 4-4 फीट के गढ्ढ़े इन कालोनियों में हुआ करते थे। लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाने में हिचकते थे कि कल जाकर किसी को ये बताये कि दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं। परन्तु आज इन कालोनियों में आरसीसी के रोड़ बने हुए हैं। पानी की लाइने हैं, बिजली है और काफी जगह पर तो सीवर की लाइन भी डल चुकी है।

183

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से काम कर रही हैं, उनकी सफाई का काम है, मच्छर की दवाई छिड़कने का काम है, स्ट्रीट लाइट ठीक कराने का काम है, परन्तु अभी हमारे एक साथी श्री मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि एमसीडी उन कामों पर तो ध्यान देती नहीं, परन्तु जो मकान बनता है, जो भी मकान बनता है, एमसीडी का जे.ई. या बेलदार वहाँ पहुँच जाता है कि भई पैसे दे तो मकान बनने दूँगा। ये बड़े दुख की बात है। क्योंकि एक गरीब आदमी अपने पैसे से जिसने 5-7 साल पहले मकान ले लिया और आज उसके पास पैसे हो गये

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

हैं तो मकान बनाना चाहता है, आज पीछे भी आपने देखा होगा कि दिल्ली में अगर मलेरिया के या डेंगू के सबसे अगर ज्यादा रोगी अगर मिले जो अनाथराइज्ड कालोनीज में मिले। क्योंकि सफाई का अभाव है। मैं कहना चाहुँगा इस सदन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझते तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन कालोनियों में हमने काम कराये हैं, उन कालोनियों में कम से कम सफाई की व्यवस्था तो ये दुरुस्त रखे और सबसे महत्वपूर्ण, अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहुँगा कि 2007-8 में हमारी सरकार ने 50 करोड रु. यूडी डिपार्टमैन्ट ने एमसीडी को स्ट्रीटलाइट के लिए दिए थे। परन्तु क्योंकि यूडी डिपार्टमैंट एमसीडी को पैसा देता है और एमसीडी बीएसईएस या एनडीपीएल को पैसे देती है। उस 50 करोड़ का आज तक न इन्होंने हिसाब दिया। मैंने अपनी कुछ कालोनियों में स्ट्रीट लाइट लगानी थी। चार साल मैंने एमसीडी में अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटे परन्तु आज तक कोई स्ट्रीटलाइट नहीं लगा पाये। क्योंकि ये चाहते नहीं कि अनाथराइज्ड कालोनीज के लोगों को मूलभूत सूविधाएँ मिले। ये चाहते हैं कि ये कालोनियाँ खत्म हों, परन्तु हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमारी एक अनाथराइज्ड कालोनीज के मुद्दे पर मैडम ने मीटिंग बुलाई थी और मैडम ने उस मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिया था। उस मीटिंग में मैडम भी थी और अधिकारी भी थे कि दिल्ली का एक भी मकान नहीं टूटना चाहिए और जितनी भी कालोनियाँ हैं, इनमें वार फुटिंग में काम होना चाहिए। मैं आदरणीय लवली जी से भी ये प्रार्थना करुंगा कि ये 900 कालोनियाँ तो हो गयी। परन्तु जो 739 कालोनियाँ हैं, आप चाहे उनको 2 महीने बाद में पास कर देना, 6 महीने बाद पास कर देना। पर इन कालोनियों में विकास के कार्य आप जरुर करवायें क्योंकि बाद में पास कर देना। पर इन कालोनियों में विकास के कार्य आप जरुर करवायें क्योंकि वे लोग भी आपकी तरफ, हमारी सरकार की तरफ टकटकी लगाये बैठे हैं कि हमारा भी कभी नम्बर आयेगा और जो 2007 में मान लीजिए कि 50 प्रतिशत से कम आबादी थी, मान लीजिए कि किसी में 45 प्रतिशत

अल्पकालिक चर्चा

थी किसी में 40 प्रतिशत थी। परन्तु आज वह आबादी 90 से 80 परसैंट है तो हम उन कालोनियों को तो नहीं तोड़ सकते। जब हमारी सरकार उन लोगों को हर सुविधा देती है तो उन कालोनियों में विकास के कार्य हाने चाहिए और सुरेन्द्र जी ने जो बताया, क्योंकि मैं भी गांव से आता हूँ और गांव में रहता हूँ, देहात का रहने वाला हूँ। जो गांव के साथ में एक्सटेडिंड लाल डोरा या एक्सेटिंड आबादी है, उन लोगों ने नक्शे नहीं जमा कराये उस समय, इतने पढ़े लिखे लोग गांव में नहीं होते, उनको नहीं पता था कि हमें नक्शा जमा कराना चाहिए। आज उनकी हालत ये है कि न तो वे गांव के लाल डोरे में आते हैं, न वे अनाथराइज्ड कालोनी में आते हैं तो उन लोगों को भी विकास के कार्य वहाँ भी होने चाहिए, उनको भी ये सहुलियत देनी चाहिए। मैं दोबारा से अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्योंकि इतना साहसिक काम, इतना बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने किया है और मैं समझता हूँ कि जो अनौथराइज्ड कालोनीज में रहते हैं, वे अपने बच्चों को भी ये बताकर जायेंगे। कि अगर तुम्हें किसी ने मकान दिया है या किसी ने घर दिया है यहाँ दिल्ली में रहने के लिए कोई जगह दी है, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है। तो इसी के साथ में पूरे मंत्रिमंडल का दिल की गहराइयों से ध न्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

185

अध्यक्ष महोदयः श्री राम सिंह नेताजी।

श्री राम सिंह नेताजी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्वावाद। मैं अपने सम्मानित सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी ने जो प्रस्ताव unauthorized colonies के बारे में लाए हैं। मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूँगा कि 30 साल पहले भी जब कांग्रेस की सरकार इसमें कोई संकोच नहीं है। तब भी unauthorized colonies 600 के करीब पास हुई थीं और अब भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली के अंदर हुआ है।

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय, जब काम होता है तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए। सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है। आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के भाई है, वो आते हैं, शोर मचाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई उसके बाद दिल्ली में unauthorized colonies में काम हुए हैं। यह सच्चाई है। यह हर व्यक्ति जानता है। ये हमारे भाई भी जानते हैं। उनको भी पता है। परन्तु देश में यह परम्परा चल गई है कि दिल्ली सरकार को या कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, कहकर उसकी छवि को खराब करना और यह कहना मैं अच्छा नहीं समझता। अगर वे यहाँ पर होते तो हम उनसे यह बात जरुर कहते। मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जो सरकार ने 900 कॉलोनी पास की हैं। हमारे माननीय मंत्री जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यह विभाग आपके पास आ गया। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों ने ये जो सर्वे किया है, जो 900 इन्होंने जोड़े हैं। इसमें बहुत सी ऐसी कॉलोनी हैं, जो किसी माप-दंड में सही नहीं हैं। परन्तु इनकी लापरवाही की वजह से ये 900 कॉलोनी हो पाई। अगर ये सही करते तो कई और कॉलोनियाँ बढ़ सकती थी। यह मैं सच्चाई से कहना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा की 6 कॉलोनियों ऐसी हैं। वहाँ पर चारों तरफ पास कर दी और बीच में कॉलोनी छोड दी जिनका मतलब न रिज से है और न किसी विभाग से है, न डी.डी.ए से है और न यह किसी सरकारी ज़मीन में है। मैं तो मुख्यमंत्री जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 70 कॉलोनी में से मेरी 63 कॉलोनी पास हुई हैं। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। परन्तु मैं शहरी विकास मंत्री जी से प्रार्थना जरुर करना चाहूँगा कि ये जो इस तरह से छोड़ी गई हैं। आप बहुत मेहनती मंत्री हैं और आप बहुत अच्छा काम भी करते है। इनको बुलाकर जो अधिकारी हैं। ये अधिकारी हम को, आपको और सब को गुमराह करते हैं। ये जान बूझकर शरारत करते हैं। आज जो सब से बड़ी कमी सरकार में है। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी होती तो में यह कहता। जितना सरकार अच्छा काम कर रही है। उस काम को जनता के बीच में नहीं जाने दे रही। आज

अल्पकालिक चर्चा

unauthorized colonies में पानी डालने की बात है। सरकार ने पैसा दे दिया। अधिकारी पैसा नहीं दे रहे। टैन्डर लगे पड़े हैं, उनके काम को रोक रहे हैं। ऐसे ही जो भी एजेन्सी काम कर रही है। उनके ऊपर सरकार की निगरानी रहे कि वो लोग ढंग से काम कर पायें। सरकार तब ही चलती है, जब उनके ऊपर अंकुश लगेगा। अगर हम ने ढीली डोर छोड़ दी तो फिर कोई डरने वाला नहीं है और यह सोचकर चलें कि ये अधिकारी किसी के नहीं हैं। जिसकी कुर्सी है, ये उसके हैं। ये कल ही उस तरफ से आने वालों के साथ हो जायेंगे। परन्तु मैं यह जरुर कहना चाहता हूँ कि इन पर अंकुश रखिए। ये जान बूझकर सरकार को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। मैं पानी वाले मामले में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी के पास यह डिपार्टमेंट है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि डेढ़ साल से मैं पाइप लाइन डालने के लिए पीछे पड़ रहा हूँ। मीटिंग में पैसे के लिए मिनिट्स में तय हो गया, परन्तु में डेढ़ साल से धक्के खा रहा हूँ। परन्तु उन्होंने एक रुपया नहीं लेने दिया। अध्यक्ष जी, आपने unauthorized colonies पास कर दीं, यह बहुत अच्छा काम किया। जब तक उनको नागरिक सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। इनका जो काम रोड़ लाने का है, वो नहीं होगा तो फिर जनता क्या करेगी। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को उनकी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। विधायक की बात पर गौर होना चाहिए क्योंकि विधायक अपने लिए नहीं कह रहा। विधायक जनता की बात कर रहा है। आज जो unauthorized colonies का मामला है, जिनके क्षेत्र में कॉलोनीज पास नहीं हुई हैं वो आपको गलत निगाह से देख रहे हैं। यह सच्चाई है। जो विरोधी हैं, जो हमारे साथी हैं वो उन कॉलोनियों में जा रहे हैं वे और कही पर नहीं जा रहे। उन्हीं कॉलोनियों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी कॉलोनी पास नहीं कीं। तुम्हारी कॉलोनी रोक दी।

187

मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये और जो कॉलोनी रह रही हैं, जो पास हो सकती हैं। अगर कोई अड़चन है तो कोई दिक्कत नहीं है। परन्तु जो चीज हो सकती

5 सितम्बर, 2012

अल्पकालिक चर्चा

188

है। उसको बाकायदा निकालकर और अखबार में उसके विज्ञापन दिए जायें। अखबार में डेली इस बात का प्रचार होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐतिहासिक काम है। अध्यक्ष जी. यह छोटा काम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली सरकार ने, केन्द्र सरकार ने जो लाखों लोग, जो गरीब आदमी आज अपने आपको फख महसूस कर रहे हैं। यह कोई छोटा काम नहीं है। नाली, सड़क बनती रहती है। आज जमीन के भाव यह ठीक कहा कि आज तीस हजार नहीं, 70 हजार हो गए हैं। कोई मकान बेचने के लिए तैयार नहीं है। आज सब को पता है कि आप कॉलोनी के मालिक हो गए। आपकी जमीन की रजिस्टी होगी। आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान रखे कि जो प्रचार है वो सही ढंग से होना चाहिए। विरोधी लोग आज भी कह रहे हैं कि कॉलोनी पास नहीं हुई यह तो ढोग हैं, यह तो नाटक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग लोकायुक्त में गए या कोर्ट में गए उनकी मंशा क्या है? जब नेता, मुझे मंत्री जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं किसी काम से उनके पास गया। वे यह कहने लगे कि हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं और अपने घर के लिए तो नहीं कर रहे हमें डरना नहीं चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जब अपने लिए नहीं करेंगे और पब्लिक के लिए करेंगे तो हमें ऐसे लोकायुक्त या किसी से डरना नहीं चाहिए। हमें काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक जो गाँव का माला है। इन सब भाइयों ने उठाया। मैं भी गाँव से आता हूँ। जो गाँव में लालडोरे के बाहर आबादी है। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि हमारे मकान उसमें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। जो पुराने लोग हैं। उनको यह ही नहीं पता कि आर.डब्ल्यू.ए क्या है और यह एसोसिएशन क्या है। उन लोगों को, गाँव के लोगों को यह मौका मिले, उनकी जो आबादी है उनके काम होने चाहिए।

अल्पकालिक चर्चा

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी नेता हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने जो कॉलोनियाँ पास की। यह कोई छोटा काम नहीं है। यह बहुत ऐतिहासिक काम है। सारी दिल्ली में एक तरह की लोगों में खुशी है। परन्तु मेरी एक प्रार्थना जरुर है कि मैं एक दो बार आपसे मिला। आप हमेशा काम करती हैं। आपने मेरे लैटर पर लिख भी दिया कि रामसिंह के काम कर दो परन्तु जल बोर्ड में ऐसे बधिकारी बैठे हैं। जो आपकी बात को, हमारी बात को नहीं सुनते। मुझे डेढ़ साल से धक्का खिला रहे हैं। मेरे जो काम अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज के थे जिन कॉलोनीज में पानी की लाइन बिछनी थी, वहीं पर लोगों को पानी मिलना था। आपकी चिट्ठी और आपके साइन के बाद भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। वह तो कोई महिला अधिकारी थी और अगर कोई और होता तो रामसिंह भिड़ जाता फिर बाद में कुछ भी हो जाता मैं आपको यह बता दूँ। मैं फिर कुछ भी हो जाता। मेरी आपसे प्रार्थना जरुर है कि ऐसे अफसरों पर अंकुश लगाइए। ये अफसर लुटिया को डुबो देंगे। अगर आप सही बात करेंगे। आप विज्ञापन देंगे। पूरी दिल्ली में इसका प्रचार होगा और एक बडी सभा हो जिसमें दिल्ली के लाखों लोग आयें। यह काम दिल्ली के लिए छोटा नहीं है। अगर कोई समझ सकता है। अगर बी.जे.पी के भाई होते आज ये unauthorized colonies में मीटिंग नहीं कर सकते। इन्होंने तो कॉलोनी को रोका है ये तो कोर्ट में गए हैं सारी दिल्ली के लोग जानते हैं तो मैं इसी के साथ फिर एक बार सरकार का इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यह बहुत ऐतिहासिक काम किया है। जनता आपके इस अहसान को नहीं भूलेगी। आपके इस अहसान को चुनाव में जरुर उतार देगी। जो काम unauthorized colonies में हुए थे, वो सी.सी के हुए थे। लोगों ने गंगा जल की लाइन डाली, टेलीफोन की तार डाली, पानी के कनैक्शन लिए, वो सारे रोड्स अब टूट गए हैं। माननीय वालिया जी मंत्री थे तो चार साल हम ने उसमें कहा था कि जिन कॉलोनियों में चार साल हो गए हैं। उनमें दोबारा से काम करा दिए जायें। जो रोड्स टूट गए हैं, नाली टूट गई हैं तो वो वालिया जी ने आदेश

अल्पकालिक चर्चा 190 5 सितम्बर, 2012 कर दिए थे। आपने मीणा जी एक डाइरैक्टर हैं। उन्होंने वो फाइल रोक रखी है। आप आदेश करके चार साल करा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः श्री नसीब सिंह जी।

श्री नसीब सिंह: अध्यक्ष जी, मुकेश शर्मा जी ने unauthorized colonies पर अल्पकॉलिक चर्चा शुरु की। उस पर मैं भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। इन कॉलोनियों को लेकर 1991 से पहले unauthorized colonies को लेकर राजनीति होती रही है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वो 5 साल रही। इन लोगों ने एक पैसे का काम नहीं किया और न इन लोगों के बारे में कोई सोच बनाई कि इनको क्या करना चाहिए। अध्यक्ष जी, जब से पहली बात तो यह है कि इन कॉलोनियों की जो उपज है वो भी बडी विचित्र रही है। हमारी दिल्ली का विकास का ठेका दिल्ली विकास प्राधिकरण जो केन्द्र सरकार के अधीन आती है। उसको दिया गया और उसने मैं खुले शब्दो में कहना चाहता हूँ क्योंकि में उस ऑथर्टी का मेम्बर भी हूँ। लेकिन मैं खुले शब्दों में यह जरुर कहना चाहता हूँ कि अगर आज ये डी.डी.ए की नाकामी की वजह से हुई और मैं यहाँ पर जोर देकर यह भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट डी.डी.ए से ले लिया और इसी तरह से उनसे हाऊसिंग भी ले ली जाए तो मैं यह समझता हूँ कि आगे भविष्य में ये जो दिल्ली के हालात हैं क्योंकि अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। जो भरोसा देकर आपने इतना बडा़ काम किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को और उनके पूरे मंत्रि-मंडल को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। लाखों लोग जो बेधर होने के कगार पर थे। जो 20 साल से तिल तिलकर के जी रहे थे, मर रहे थे। आज उनको बहुत बड़ा सहारा मिला है और मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर कमल नाथ जी का, सोनिया गाँधी जी का, इन सब लोगों का हम

धन्यवाद करते हैं। काम शुरु हुआ। 1991 में 1071 कॉलोनियों की बात की गई। लेकिन जब इन कॉलोनियों को invitation माँगे गए कि आप कॉलोनियों को पास करने के लिए 2005 में और 2007 में एप्लाई कर सकते हैं। उस समय 1639 कॉलोनियों ने अपनी अर्जियाँ दीं। आज 900 कॉलोनियाँ पास की गई हैं। कुछ और कॉलोनियाँ अभी रहती हैं। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का जो दिल्ली की जनता को लेकर सकारात्मक सोच पैदा हो रखी है। उनका जो एक आम आदमी के साथ लगाव है उसको देखते हुए उन्होंने मीटिंगों में यहाँ तक भी कहा है कि एक भी मकान नहीं तोडा जायेगा और डिपार्टमेंट पर बनी कॉलोनियाँ, चाहे ए.एस.आई के इलाके में बनीं कॉलोनियाँ, उनको भी पास करने का जिम्मा दिल्ली सरकार का है। बहुत सारी अड्चनें आई। बहुत सारे लोगों ने हमारे लोगों को डराया कि जेल जाना पड सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक मजबूत इरादा रखते हुए इस पर डिसीजन लिया और मैं यह समझता हूँ कि ये unauthorized colonies तो उस दिन पास हो गई थीं, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने इन कॉलोनियों के डवलपमेंट के लिए पैसा रखा था। जब 2800 करोड़ रुपए रखा गया तो मैं यह समझता हूँ कि जिस दिन कॉलोनियों में सीवर पड़ने शुरु हो गए, पानी की लाइनें डालनी शुरु हो गई। जिस दिन बिजली मिल गई। उस दिन इन कॉलोनियों को पास करने का रास्ता साफ हो गया था और मैं यह समझता हूँ कि राजकुमार जी आपका धन्यवाद है कि पिछले चुनाव से ये सारे काम आपने करवा दिए थे। इसके लिए आपको भी बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बडी़ बातें हुई हैं। लेकिन कॉमन कॉज को भी कोई नहीं भूलेगा। उस एन.जी.ओ ने जिस तरह से कोर्ट में जाकर दिल्ली के उन नागरिकों के अधिकारों का हनन बताकर और इन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के परिवार में से वो लोग आते हैं। जैसा कि अभी मुकेश शर्मा जी ने भी कहा कि तोड़फोड़ के नाम से बुलडोजर मंत्री जगमोहन जी ने भी इस दिल्ली की सफाई करने में दिल्ली के नागरिकों को बेघर करने में कोई कसर नहीं छोडी थी और इतने सारे पैसे रख दिए थे कि इससे ज्यादा जब तक पैसे नहीं दिए जायेंगे।

अल्पकालिक चर्चा 192 5 सितम्बर, 2012

तब तक इको नियमित करने का मामला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज ये सारी चीजें अलग हुई हैं, मैं समझता हूँ कि जो काम बहुत पहले सोच लिया गया था मुख्यमंत्री जी ने उस वादे को पूरा किया है।

अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर मचा रहे है नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आज नोटिफिकेशन की कॉपी मिल गई तो ये हाउस के पटल पर रख देनी चाहिए और नोटिफिकेशन हो गया है और आप लोगों को तसल्ली मिल सकती है। अध्यक्ष जी, और दूसरे वक्ताओं ने भी कहा और हमारी मुख्यमंत्री जी का बड़ा इसमें आर्शीवाद है कि वो 50 प्रतिशत वाला जो मसला है उसको भी दूर करेंगे और मैं तो कहता हूँ कि 2012 तक जिन लोगों के अपने मकान बना लिए है, जिन्होंने 2008 में अप्लाई किया था, जो आउट प्लान आरडब्लूए ने 2008 में जमा किया था उस ले आउट प्लान को अगर मान ले सरकार तो में समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो भी दूर हो सकती हैं और हम यह नहीं कर रहे कि अलग से किसी को लेने की जरुरत हैं। राम सिंह जी ने एक बात कही है कि इसमें गांव के लोगों का मामला है, वो गांव की जो एक्सटैडीड आबादी है उसके लिए अलग से अलग से फैसला लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि बहुत सारी हमारा एक नौजवान मित्र जिसके हाथ में दिल्ली की विकास की बागडोर दे दी गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें एक नया चमत्कार, नई ऊर्जा का जो स्रोत्र है उसको दिल्ली की जनता को अपने आप देखने को मिलेगा। मुकेश जी समय-समय पर आपसे सलाह मशवरा करते रहेंगे उसमें गांव की जो आबादी हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उस एक्सटंडीड आबादी को रैगुलाइज करने में, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी और मंत्री जी बहुत अच्छे से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। अभी तो एक पिटारा खोलते हुए देखा है इन्होंने, उन गरीबों की बातें नहीं देखी जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने उनको धीरे-धीरे देनी शुरु की है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने

कैरोसीन मुक्त कर दिया, दिल्ली को। गरीबों को दे रहे हैं फ्री में चूल्हा और सिलेंडर। सब्सिडाइज रेट पर उनको आगे की एक राह दिखाई गई है जिन्होंने नहीं देखी थी शायद। पहले एक जमाना था कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग भी लाईन में लगे हुए होते थे। लेकिन आज उन गरीबों तक भी वो पहचान पहुँचेगी, जिसकी उन्हें जरुरत थी। मुख्यमंत्री जी ने अन्न श्री को भी लागू करने की बात कही है, एक अच्छा कदम है और मैं इस मौके पर मंत्री जी से एक दो बात और करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, बहुत सारी जगह पर अभी बिल्टअप ऐरिये को लिया गया है, जो बान्डरी लाइन फिक्स की गई है। इसमें जो प्लाटिड एरिया है उसमें अगर कार्नर पर किसी का प्लाट रह जाता है और हवाई सर्वे की जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ भी नहीं आई है। अभी में मंत्री जी को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि जो नैचुरल बान्डरी का नोटिफिकेशन हुआ हैं उसमें भी कुछ अभी थोड़ी बहुत बातें रहती है। उनको भी ध्यान में रखते हुए आप जरुर इस पर कोई अपनी ऐसी राय बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी उस पर लोगों के ओब्जेक्शन को लेकर जरुर गौर करेगी। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने पहले भी कांग्रेस के लोगों ने ही लोगों को भरोसा देकर, पीछे जो अभी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमने करी है। अगर इन्होंने की है तो एक भी ऐसा सबुत दे दे कि इस दिन इस आदमी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कॉलोनिया पास की थी। कोई सबूत नहीं मिलेगा। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है और हम लोग चाहेंगे कि ये संदेश दिल्ली के उन लोगों तक पहुँचे और पहुँचने की उम्मीद भी हुई है। आज लोग खुश हैं मेरे एरिये में भी अध्यक्ष जी 10-12 छोटी-छोटी कॉलोनियाँ हैं। लोगों में इतनी खुशी है कि रोज कोई न कोई फोन शाम को आता है या सुबह-सुबह आता है और बड़ी खुशी के साथ बधाई देते है कि आपने इतना बडा काम कर दिया, रात को लोगों को नींद नहीं आती थी कि पता नहीं इन कॉलोनियों का क्या होगा। मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बध ाई और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली की इतनी बड़ी जनता को राहत दी है।

अल्पकालिक चर्चा 194 5 सितम्बर, 2012 मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद।

अध्यक्ष महोदयः डॉ. बिजेन्द्र सिंह जी।

डॉ. बिजेन्द्र सिंह जी: बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें अनअथोराइज कालोनी को पास करने के बारे में कही। मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी को, उनकी टीम को, सोनिया गांधी जी को और यू डी मिनिस्टर श्री कमलनाथ जी को मैं ही नहीं बल्कि दिल्ली की अनअथोराइज कालोनियों में रहने वाले तमाम लोग ही नहीं बल्कि तमाम दिल्ली में रहने वाले लोग भी आपका आभार व्यक्त करते है।

1993 में जब बीजेपी पहली बार आई, तक भी वो अनअथोराइज्ड कालोनीज की वजह से आई थी और उनको बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी इनकी मदद करेगी। बहुत लम्बे-चौड़े वायदे भी करे थे जब वो उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतरे तो बीजेपी को पाठ पढ़ा दिया अनअथोराइज्ड कालोनी के लोगों ने। शीला दीक्षित जी के आने के बाद मेरे को आज भी अध्यक्ष जी याद है कि अनअथोराइज्ड कालोनी में घोर अंधेरा होता था कहीं लाइट तक नहीं दिखाई देती थी, जैसे सुरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि बल्ली गाढ़ कर शाम को जब घर में डयूटी से, जब बल्ली गाढ़ कर तार जोड़ कर लाते थे दूर तक और वो खाना परोसती थी और खाना खाने बैठता था तो कहती थी कि फिर तार हट गया फिर वो तार जोड़ने चल देता था आज हर घर में अगर लाइट जलती है, गरीब का बच्चा अगर उस बिजली की रोशनी में पढ़ता है तो दिल्ली सरकार को इसका सीधा-सीधा क्रेडिट जाता है यह बीजेपी वाले लोग भी जानते हैं। मेरे को यह भी याद है कि टूांसफार्मर फुक जाता था, कई-कई महीने तक टूांसफार्मर नहीं बदला जाता था और अल्पकालिक चर्चा

195

ट्रांसफार्मर महीने दो महीने के बाद आता था एरिया का एमएलए उसका उद्घाटन करने जाता था कि आज तुम्हारा ट्रांसफार्मर बदला गया है, ये हालात थे किसी ने सोचा नहीं था बल्कि किसी का कोई रिश्तेदार दिल्ली के बाहर से आ जाता था तो वहाँ तो हवा मारते थे कि हम तो दिल्ली में जाकर बस गये अनअथोराइज्ड कालोनी के लोगों की यह हालत थी, किसी का भाई अपनी बहन के यहाँ आ गया तो यह कहता था कि मेरी बहन अगली दफा तू ही आ जाना, हम तो सोच रहे थे कि तू दिल्ली में कोठी बनाकर के बैठी होगी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आने-जाने का रास्ता नहीं है। कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, यह हालत थी हैं नहीं हमारे सम्मानित साथी बीजेपी वाले, इनको भी इस बात का अच्छी तरह से पता है और इनके बारे में तो अध्यक्ष जी मैं एक और बात कहता हूँ अटल बिहारी जी की पार्टी में होने के बावजूद भी उनसे भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा जिन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा की उपाधि दी थी जब बंगलादेश की लड़ाई लड़कर उसको अलग कराया। हमारे गाँव की बात है एक दफा एक के यहाँ चिनाई लगी हुई थी एक पड़ोसी की ईट और रखी थी उसने उठा कर के उसकी ईटें भी अपनी दीवार में लगानी शुरु कर दीं और वो आ गया उसने आकर के उसको गालियाँ देनी शुरु करी कि भई तू मेरी ईट क्यों लगा रहा है। एक तीसरा उनका साथी और खडा था जो दोनों का दोस्त था, वो कहने लगा कि मैं तेरी ईट नहीं लगा रहा, उसने एक ईट उसकी दीवार से निकाली, एक ईट अपनी ईट के चक्के से निकाली और भट्टे का मार्का दिखा दिया कि दोनों ईट एक भट्टे की नहीं है और वो चुप रहा गया वो कहता कि भई मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता तो उसने उसको कहा कि तेरी आत्मा मरी हुई है कि तू जायज बात को भी नहीं कहना चाहता तो मैं यह कहना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों की आत्मा मेरी हुई है जो जायज बात को भी कहने के लिए तैयार नहीं है। 900 कालोनियाँ पास करीं और फिर मुद्दा और कि भ्रष्टाचार का उसको बधाई देने की हिम्मत नहीं है जायज को जायज बात कहने की हिम्मत नहीं है इस तरह के ये हमारे सम्मानित साथी यहाँ हैं तो

अल्पकालिक चर्चा 196 5 सितम्बर, 2012 मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर गरीब का बच्चा आज लाइट में पढ़ रहा है श्रीमती शीला

दीक्षित जी को इनकी कैबिनेट को, इनकी सरकार को यह बधाई के पात्र हैं उन गरीब लोगों की मदद की है कभी सोचा भी नहीं था अनअथोराइज्ड कालोनी के बच्चे रहने वाले भी बिजली में पढ़ेंगे। वहाँ भी बिजली होगी, सीवर होगा।

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ जो आज अभी तक चर्चा में नहीं आई। जितने भी ये गंदे नाले है दिल्ली में चाहे वो नजफगढ़ डून से जुड़े हुए हो या शाहदरा डून से जुड़े हुए हो। मेरे को याद है जब आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी मेरी विधान सभा में 2000 करोड़ रुपये की लागत से ट्रंक सीवर का उद्घाटन करने गई और होर्डिग लगे देखे राजकुमार जी ने मेरे को फोन किया कि बिजेन्द्र 2000 करोड़ रुपये में तो चांदी के पतरे से सारे तेरे एरिया के विधान सभा के रोड़ बन जायेंगे इतना बड़ा उद्घाटन कहाँ से करा लिया तो मैंने कहा कि मंत्री जी मेरे यहाँ तो केवल साढ़े तीन किलोमीटर की ट्रंक सीवर की लैंथ डलेगी लेकिन सारी दिल्ली में 60 किलोमीटर से ज़्यादा का टूंक सीवर डालने का निर्णय ही नहीं बल्कि उसको एग्जिक्यूट किया है मुख्यमंत्री जी ने। और उसका फायदा एक इंसान को नहीं मिलेगा, एक परिवार को या एक कालोनी को नहीं मिलेगा सारी दिल्ली के जितने गंदे नालों में पानी घूमता है और विशेष अनअथोराइज्ड कालोनियों में क्योंकि उनका आउट-लेट कोई नहीं है। उनका वेस्ट वाटर कहीं जाने का रास्ता नहीं है वो सारे के सारे सीवर का और गंदे नालों का पानी आपको शीला दीक्षित जी की अग्रणीय सोच को देखते हुये एक साल के बाद किसी गंदे नाले में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। यह गंदगी, मक्खी, मच्छर, बीमारी सब खत्म हो जायेंगीं यह भी मैं कहना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए जैसे कि नेताजी ने और भी मेरे बहुत से साथियों ने इन कालोनियों के काम की बात कही, यह भी सच्चाई है क्या पास होंगी क्या पास नहीं होंगी इसका इतना महत्व नहीं है मंत्री जी के पास, लवली जी के पास अब यह डिपार्टमैंट है और मैं ही नहीं

बल्कि तमाम दिल्ली बहुत आशा करती है कि इन सभी में काम बहुत तेजी से होंगे। तो सीधा-सीधा लाभ उनको मिलेगा। जैसे कि 2008 के इलैक्शन से पहले राजकुमार जी और भी साथियों ने आपको बधाई दी है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि आपके काम कराने की वजह से बहुत से बीजेपी के भी जीतकर आये जिनके यहाँ अनअथोराइज्ड कालोनियाँ थीं आपने बजट इतना दिया था। आज भी मैं यह कहना चाहना हूँ कि अनअथोराइज्ड कालोनियों में इतना काम हुआ है कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था और मैं आज अनअथोराइज्ड कालोनीज के डेवलपमेंट के इशु के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और विशेषकर मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय अरविंदर सिंह जी का इन्होंने मेरे यहाँ अनअथोराइज्ड कालोनीज में डेवलपमेंट के लिए जो रोड, नाली, बिजली, पानी हरेक घर में दी और मेरे एरिया की सारी कालोनियों भी कवर हो गई है। इसके अलावा लवली जी ने दो मोडल स्कूल्स दिये, उन गरीब बच्चों के लिए अनअथोराइज्ड कालोनी वालों के लिए और वहाँ बस भी चलवा दी इसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ आज। मैं एक बात और कहना चाहूँगा नेताजी ने कहीं कि अधिकारी कुछ अपने मन से चलते हैं, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा मरे यहाँ एक कालोनी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 762 यादव पार्क एक्सटेंशन के नाम से है, बहुत पुरानी कालोनी है उसी कालोनी का किसी ने अप्लाई कर दिया और छज्जू राम कालोनी के नाम से उसको 121 नंबर के ऊपर फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसका किला नंबर, खसरा नंबर एक है और उसको मेरी विधान सभा में भी दिखा दिया, उसको मुंडका विधान सभा में भी दिखा दिया। दु:ख की बात यह है इन अधि कारियों के लिए कह रहा हूँ मंत्री जी के यहाँ मीटिंग हुई मैं मीटिंग में था मेरा सम्मानित साथी मनोज कुमार जो मुंडका से विधायक है वो भी था मैंने कहा कि मेरा और मनोज का 2002 में जो कारपोरेशन का इलैक्शन हुआ था उसमें भी यह कारपारेशेन की सीट नांगलोई में थी अब बेटा एक है दे दिया दो घरों में। कालोनी एक है मैंने बल्कि उस दिन

अल्पकालिक चर्चा

मंत्री जी की मीटिंग में यह भी कहा कि किसी बीजेपी वाले को या प्रेस में इस बात का पता लगे 900 कालोनियों की बजाय वैसे ही मान लेंगे 450 हुई होंगी। सर, कालोनी एक है, किला नंबर, खतरा नंबर एक है, नक्शा एक है, उसको छज्जूराम कालोनी से मुण्डका में भी दिखा दिया और यादव पार्क के नाम से नांगलोई विधान सभा में भी दिखा दिया और बार बार कहने के बाद एक और दुख की बात है, मंत्री जी की मीटिंग होने के बाद कन्सर्ड अधिकारी मेरे को कहते हैं कि एमएलए साहब आप एक चिट्ठी लिख दो ताकि हम इसको ठीक कर दें। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी बड़े हैं या एक एमएलए बडा है। मंत्री जी ने मीटिंग में फैसला ले लिया और आर्डर दे दिया तब नहीं किया, मैंने भी लिख कर दे दिया। मेरे लिखकर देने के बाद तब तक लिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नहीं गई थी लेफ्टीनेंट गवर्नर दिल्ली को, अनफोर्चूनेटली इन्होंने वही गलती की और गवर्नर साहब के यहाँ वह गलत लिस्ट भेज दी छज्जूराम कालोनी के नाम से। आज भी मेरे को कहते हैं कि वह तो दोनों कालोनी वालों को बुलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आरडब्ल्यूए दो हैं। ये तो आपने एक कालोनी की दो कालोनी बना दी जो नहीं बननी चाहिए थीं। यह यू.डी. डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है। सर, इसमें इतना ही नहीं मैं यह भी कहना चाहूँगा कि नांगलोई विधान सभा में जस्टिस कुलदीप सिंह जी जो कि डी-लिमिटेशन कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने नांगलोई में दिखा रखी है। उस फैसले को दिल्ली गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, सेन्ट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती जो लाइन ड्रा कर दी डी-लिमिटेशन कमीशन ने। लेकिन हमारे यू.डी.डिपार्टमेंट ने वह भी लाइन चेंज कर दी। वह कालोनी मेरे यहाँ से निकाल कर मुण्डका में दे दी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को यह ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ और भी की होंगी उनको ना करें और इसको भी दुरुस्त कर लें। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः इस अल्पकालिक चर्चा पर बोलने वाले काफी सदस्य और भी हैं, मैं नाम पढ़ रहा हूँ उनको कल समय मिलेगा और कल ही मंत्री जी उसका जवाब देंगे। हमारे मंत्री श्री राजकुमार चौहान साहब, श्री तरविन्दर सिंह मारवाह, श्री मालाराम गंगवाल, श्री जयकिशन श्री सोमेश शौकीन, श्री वीर सिंह धिंगान, श्री ए.दयानन्द चंदीला ए., श्री अनिल चौधरी, श्री जसंवत राणा, श्री विपिन शर्मा, श्री प्रह्रलाद सिंह साहनी। किसी सदस्य का नाम नहीं आया है तब भी उन्हें बुलवा लेंगे।

अब नियम 292 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव श्री मुकेश शर्मा ने प्रस्तुत किया था उसको पास करना है। यह सदन प्रस्ताव करता है कि दिल्ली की सभी सूचीबद्ध अनधिकृत कालोनियों जहाँ आबादी है और जिसमें रिज, वन क्षेत्र, भारतीय पुरातत्व विभाग, निजी भूमि या अन्य किसी भूमि पर......व्यवधान

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले सब सदस्यों की राय आ जाए और उसके बाद जब रिप्लाई होगा तब उसके बाद रेजोल्यूशन ले लेंगे। कल ही मेरे रिप्लाई के बाद इसे ले लेंगे। रेजोल्यूशन क्योंकि रिप्लाई से कनेक्टिड है।

अध्यक्ष महोदयः लवली साहब, यह दूसरा है, जो कालोनी वाला है......

शहरी विकास मंत्री: अध्यक्ष जी, यह कालोनियों में डवलपमेंट वर्क के लिए ही है। मैं पहले फैक्च्युवल पोजिशन सबको बता दूंगा उसके अकोर्डिग रेजोल्यूशन ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: जब मैंने कहना शुरु कर दिया है तो इसको स्वीकार कर ले, आप अपने तरीके से बतला देना।

शहरी विकास मंत्री: सर, कल फैक्च्युवल पोजिशन मैम्बर्स को पता लग जाएगी,

अल्पकालिक चर्चा 200 5 सितम्बर, 2012 इनकी पोजिशन क्या है सर, उसके बाद ही तो रेजोल्यूशन ले सकते हैं। उससे पहले कैसे रेजाल्यूशन ले सकते है।

श्री मुकेश शर्माः अध्यक्ष जी, इसे वोटिंग के लिए कल रख लेना।

शहरी विकास मंत्री: सर, इस पर वोटिंग कल रिप्लाई के बाद हो सकती है।

अध्यक्ष महोदयः मैं इसलिए इसको अलग से रखने के लिए कह रहा था। ये दोनों सम्बद्ध नहीं हैं।

शहरी विकास मंत्री: सर, यह हाउस की प्रापर्टी है कल उस पर वोटिंग हो सकती है।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, श्री मुकेश शर्मा का प्रस्ताव सदन के सामने है-

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ वे हाँ कहें जो इसके विरोध में हैं वे ना कहें हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता प्रस्ताव पास हुआ

(सदन की कार्यवाही 6 सितम्बर, 2012 को अपराहृन 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

·11	বগ্রমায	05 सितम्बर, 2012		
-82	बुधवार	भाद्रपद	14,	1934(शक)

खण्ड-11 सत्र-11 अंक-82

दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही



चतुर्थ विधान सभा ग्यारहवाँ सत्र

अधिकृत विवरण (खण्ड-11 में अंक-81 से 84 सम्मिलित है)

> दिल्ली विधान सभा सचिवालय पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग Editorial Board

पी.एन. मिश्रा सचिव

P.N. MISHRA Secretary

लाल मणी उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI Deputy Secretary (Editing)

सत्र-11	बुधवार, 05 सितम्बर, 2012/भाद्रपद 14	अंक-82
क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (प्र.सं. 21 से 23)	5
3.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (प्र.सं. 24 से 40)	35
4.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	63
	(प्र.सं. 85 से 147)	
5.	मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	144
	(मुख्य मंत्री के खिलाफ मेन्टेनेबल शिकायत के बारे में न्यायालय	
	के आदेश के संबंध में)	
6.	विविध (सदन में शोर-शराबा)/सदन का संक्षिप्त स्थगन	151
7.	परिवहन मंत्री द्वारा वक्तव्य	152
	(आरटीआई कार्यकर्ता के संबंध में)	
8.	प्रतिपक्ष के सदस्यों का निलंबन/सदन का संक्षिप्त स्थगन	155
9.	समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति	156
	1. कार्य मंत्रणा समिति	
	2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति	
10.	सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात	161
11.	विधेयक का पुर:स्थापन	163
	(दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर संशोधन विधेयक, 2012)	
12.	अल्पकालिक चर्चा	164
	(अनधिकृत कालोनियों को स्थिति पर)	

विषय सूची